खण्ड ९ — अंक २६
१९ दिसम्बर, १९५६ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक २१ से अंक २९ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[भाग १ वाद-विवाद खण्ड ९—१२ से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक २१—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ से १०७९, १०८२, १०८३, १०८७ से १०९०, १०९५, १०९७, १०९९, ११०५, ११०८, १११९, १११२, १११८ से ११२१, १०८१, १०९४, ११०१ और ११०७ — १०६५–८८

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ४ से ७ — १०८८–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८०, १०८४ से १०८६, १०९१ से १०९३, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०९, १११०, १११३ से १११५, १११७ और ११२२ से ११२४ — १०९६–११०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५४ से ८९१ — ११०४–१९

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११२०–२२**

अंक २२—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६ से ११३०, ११३३ से ११३८, ११४१ से ११४५, ११४७, ११५०, ११५१ और ११५३ से ११५८ — ११२३–४६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८ और ९ — ११४७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११३१, ११३२, ११३९, ११४०, ११४६, ११४८, ११४९, ११५२, ११५९ और ११६१ से ११६८ — ११५०–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९१२ ... ... — ११५५–६२

तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि — ११६३

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११६४–६६**

अंक २३—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से ११७५, ११७८ से ११८१, ११८४, ११८६, ११८९ से ११९४ और ११९६ से १२०० ... — ११६७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११७६, ११७७, ११८२, ११८३, ११८५, ११८७ ११८८, ११९५, १२०१ से १२२१ और ८९५ .... — ११८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९१३ से ९७१ ... — ११९७–१२२१

दैनिक संक्षेपिका — **१२२२–२५**

अंक २४—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२ १२२३, १२२५, १२२६, १२२८, १२२९ १२३१, १२३२, १२३५, १२३८, १२३९, १२४५, १२४७, १२४९ १२५१ से १२५५, १२५७, १२५८, १२६१, १२६५ और १२६७ ... १२२७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२३०, १२३३, १२३४, १२३६, १२३७, १२४० से १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५६, १२५९, १२६०, १२६२ से १२६४, १२६६ और १२६८ से १२७३ १२४९–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ से १०२९, १०३१ और १०३२ १२५८–८०

दैनिक संक्षेपिका **१२८१–८४**

अंक २५—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ से १२७७, १२८०, १२८१, १२८३ से १२८५, १२८७ से १२९१, १२९३, १२९५ से १२९७, १२९९ और १३०१ से १३०३ १२८५–१३०७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३०७–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७४, १२७८, १२७९, १२८२, १२८६, १२९२, १२९४, १२९८, १३००, १३०४ से १३०७ और १३०९ से १३३० ... ... १३१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३३ से १०४३ और १०४५ से १०९९ १३२१–५०

दैनिक संक्षेपिका ... **१३५१–५४**

अंक २६—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३४, १३३७, १३३७-क, १३३८ से १३४५, १३४७ से १३४९, १३५२ से १३५४, १३५५, १३५६, १३५८ और १३६० ... ... १३५५–७६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ ... १३७७–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३५०, १३५१, १३५४-क, १३५७, १३५९, १३६१ से १३९२ ... ... १३७९–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ से १२०६, १२०८ से १२१४ और १२१४-क ... १३९४–१४३७

दैनिक संक्षेपिका **१४३८–४३**

अंक २७—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३ से १४००, १४०३, १४०६, १४०८, १४११ १४०७, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२०-क, १४२१, १४२४-क, १४२५, १४२६, १४२९ और १४३३ — १४४५–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०१, १४०२, १४०४, १४०९, १४१०, १४१२ १४१५, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२७, १४२८, १४३० से १४३२ और १११६ — १४६९–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१५ से १२२५, १२२५-क, १२२६ से १२८४ १२८४-क और १२८७ से १३०४ — १४७५–१५०५

दैनिक संक्षेपिका — **१५०६–१०**

अंक २८—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ से १४३७, १४४० से १४४४, १४४५-क, १४४६, १४४७, १४४९ से १४५६, १४५८ से १४६० — १५११–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३४, १४३८, १४३९, १४४५, १४४८, १४५७, १४६१ से १४८१ और १४८३ ... — १५३३–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०५ से १३४४, १३४४-क, १३४५ से १३६३ — १५४३–६९

दैनिक संक्षेपिका ... — **१५६७–७०**

अंक २९—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ — १५७१–७३

दैनिक संक्षेपिका — **१५७४**

सत्र का संक्षिप्त वृत्तांत ... — **१५७५–७७**

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

M29LSD—190—13-3-58—GIPF.

लोक-सभा

बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली जंक्शन स्टेशन

†*१३३४. **श्री रामकृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ के तारांकित **प्रश्न** संख्या ४८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जंकशन स्टेशन को नये नमूने का बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दिल्ली के छोटी लाइन के यार्ड को नये नमूने का बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और काम चल रहा है। दिल्ली के बड़ी लाइन के यार्ड को नये नमूने का बनाने की योजना तैयार कर ली गई है और उसकी जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामकृष्ण** : कितने नये प्लेटफार्मों का निर्माण किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : छोटी पटड़ी की योजना में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :––समस्त सीधी गाड़ियों के लिये चार प्लेटफार्म लाइनें; उपनगरीय गाड़ियों के लिये दो प्लेटफार्म लाइनें। दूसरे काम भी हैं जैसे कि प्लेटफार्म लाइन पर वाशेवल एप्रण आदि। कई काम हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल प्लेटफार्मों के बारे में जानना चाहते हैं।

सड़कों तथा रेलवे सम्बन्धी समितियां

†*१३३७. **श्री गिडवानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों समितियों ने, जिनमें से एक सड़कों तथा दूसरी रेलवे सम्बन्धी थी और जिन्हें सड़क तथा रेलवे बांधों में पानी गुजरने के मार्गों की पर्याप्त व्यवस्था करने के अध्ययन के लिये बनाया गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इन समितियों ने देश भर की यात्रा की है, और यदि हां, तो किन-किन राज्यों का दौरा किया है ?

†**श्री हाथी** : यह समितियां केवल कुछ राज्यों के लिये हैं । एक बिहार के लिये है तथा दूसरी उत्तर प्रदेश के लिये है । एक दूसरी समिति पश्चिमी बंगाल के लिये है । इसलिये सड़क के पुलों तथा रेल के पुलों सम्बन्धी ये समितियां इन्हीं क्षेत्रों के लिये हैं । सड़क समितियाँ तथा पुल समितियां इन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इन दोनों समितियों––एक सड़क सम्बन्धी समिति तथा दूसरे रेलवे सम्बन्धी समिति––ने आपस में बैठ कर उन योजनाओं पर बात-चीत की है जिनके बारे में वे सरकार से सिफारिशें कर सकती हैं ?

†**श्री हाथी** : अभी वे आपस में नहीं मिली हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रेलवे के प्रतिनिधि भी इन समितियों के साथ लगाये हुए हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**श्री हाथी** : प्रत्येक राज्य के सदस्य भिन्न-भिन्न हैं किन्तु मैं पद्धति बता सकता हूं । सड़क के पुलों के बारे में निम्न सदस्य हैं : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक प्रतिनिधि, भारत सरकार के सलाहकार इंजीनियर (सड़क सम्बन्धी) का एक प्रतिनिधि; चीफ इंजीनियर (सिंचाई), राज्य के लोक निर्माण विभाग का चीफ इंजीनियर (सड़कों तथा भवनों सम्बन्धी), सम्बद्ध सर्किल की सड़कों का सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, और स्थानीय कार्यों का प्रभारी विशेष पदाधिकारी । रेलवे पुलों के लिये निम्न सदस्य हैं : रेलवे का प्रतिनिधि, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक प्रतिनिधि, राज्य के सिंचाई विभाग के तथा इंजीनियरिंग विभाग का एक प्रतिनिधि । सामान्य पद्धति यही रहेगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : जो याचिकायें लोग समय-समय पर पुलों के निर्माण के लिये देते हैं, क्या वे इन समितियों को जांच के लिये भेजी गई हैं ?

†**श्री हाथी** : मुझे पता नहीं है कि क्या इन समितियों को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं या नहीं । किन्तु सामान्यतया ये समितियां रेलवे पुलों तथा जल मार्गों की पर्याप्ता पर विचार करेंगी और वे जल मार्गों को बढ़ाने, बड़े पुलों की रक्षा, छोटे पुलों का बचाव, बांध ढलानों का बचाव, और बाढ़ की रोकथाम के लिये जहां आवश्यक हो वहां निर्माण स्तर को ऊंचा करने के बारे में उपचारों के सुझाव देंगी । सामान्यतया समितियां यही काम करेंगी । यदि कोई व्यक्ति अभ्यावेदन देता है तो स्वाभाविक ही है कि ये समितियां उन पर विचार करेंगी ।

†**श्री सू० चं० सामन्त** : क्या अमेरिकन-रेल-सड़क समिति, जिसमें सर्वश्री सैंडर्सन तथा वोर्टर हैं, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ?

†**श्री हाथी** : यह इन समितियों के क्षेत्र में नहीं आता । यह पृथक् विषय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पूर्वी प्रदेश की बाढ़ें

+

†*१३३७ क. *श्री संगण्णा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा देश के दूसरे भागों में भयंकर बाढ़ों के कारणों का अध्ययन करने के लिये एक आयोग बनाना चाहती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जैसा कि १२ दिसम्बर, १९५६ को सभा में सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ने बाढ़ स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य में बताया है, यह विचार है कि देश में मुख्यतया बाढ़ की समस्याओं के अध्ययन के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई जाये जो यह सुझाव दे कि भविष्य में बाढ़ से बचाव का काम किस तरीके से किया जाये ।

†**श्री संगण्णा** : क्या आयोग ने काम आरम्भ कर दिया है ?

†**श्री हाथी** : नहीं, श्रीमान् । इस विषय पर अभी विचार हो रहा है । वक्तव्य अभी कुछ दिन पहले अर्थात १२ दिसम्बर, १९५६ को ही दिया गया था । प्रस्तावित उच्च-स्तरीय समिति के गटन पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या समिति के सदस्यों का निर्णय करने से पहले राज्य सरकारों से सलाह ली जायेगी ?

†**श्री हाथी** : अवश्य ।

रौकफैल्लर प्रतिष्ठान

†*१३३८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि रौकफैल्लर प्रतिष्ठान (अमेरिका) ने कुछ भारतीय स्कूलों को रोगों की रोकथाम करने वाली औषधियों के क्षेत्र में अनुदान देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो अनुदानों की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, हां । रौकफैल्लर प्रतिष्ठान ने वर्ष १९५६ के मध्य में क्रिसचियन मेडिकल कालेज लुधियाना को १,३६,८०० रुपये का एक अनुदान जो तीन वर्ष की अवधि के लिये है रोगों की रोकथाम करने वाली औषधियों में शिक्षा देने के नये प्रयोगों को जारी रखने तथा अनुसंधान करने और प्रदर्शन करने के लिये देने की घोषणा की है ।

(ख) योजना का मुख्य पहलू यह है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये विद्यार्थियों पर जोर दिया जाता है कि वे वास्तविक रूप से रोगों के रोकथाम की कार्यवाही करें और स्कूल में बैठ कर पढ़ाने पर अधिक जोर नहीं दिया जाता ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार लुधियाना के क्रिश्चियन कालेज के अलावा हिन्दुस्तान की और जगहों में भी रोग का निषेध करने के सम्बन्ध में इस तरह की सहायता देकर ऐसा प्रयोग शुरू करना चाहती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी, हां । हमारे देश में यह पहला कालेज था, जिसने प्रिवेन्टिव मेडिसन (रोगों की रोकथाम) का विभाग खोला । इसलिये उसको यह मदद दी गई । इसके बाद

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वेलोर कालेज में भी एक ऐसा विभाग खोला गया और उसको भी मदद दी जा रही है। हमारी तो यही आशा है कि हमारे देश के हर एक मेडिकल कालेज में एक ऐसा विभाग खोला जाये।

श्री फीरोज गांधी : क्या मंत्राणी जी यह बताने की कृपा करेंगी कि ये जो स्कालरशिप लेकर लड़के बाहर जाते हैं, तो वापस आने पर उनको कोई नौकरी भी मिलती है, या वे बेकार ही घूमते हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी, नहीं। जो लड़के या लड़कियां गवर्नमेंट की तरफ से चाहे रौक-फैल्लर फाउंडेशन (प्रतिष्ठान), या फोर्ड फाउंडेशन या किसी और फाउंडेशन के अधीन यहां से बाहर भेजे जाते हैं उसमें से ऐसा कोई नहीं है जिसके लिये यहां नौकरी मौजूद न हो। मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई नहीं भेजा जाता जिसे यहां आने पर नौकरी न मिले।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि लुधियाना में इसका जो एक यूनिट खोला गया है उसमें सरकार का कितना खर्चा पड़ता है, और उसमें ट्रेनिंग देने की व्यवस्था में कितना समय लगता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जो वहां इस विभाग के लिये शिक्षा मिलती है यह तो मेरे ख्याल से शुरू से और आखिर तक मिलती रहती है। इसका ध्येय यह है कि हमारे विद्यार्थी अध्यापकों के नेतृत्व में गांवों में जायें और शुरू से आखिर तक वहां के जो कुटुम्ब हैं उनको देखें ताकि उनको पता चले कि गांवों की समस्यायें क्या हैं और किस तरह से वहां बीमारियां फैलती हैं। इस तरह से उनमें गांवों में काम करने की दिलचस्पी पैदा होती है।

श्री विभूति मिश्र : अब तक ये विद्यार्थी कितने गांवों में जा चुके हैं और कितने आदमियों की सेवा की जा चुकी है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ने खुद यह काम देखा है। लुधियाना में शायद ऐसे कोई दस गांव हैं जहां ये लड़के जाते हैं।

विदेशी मक्खन तथा घी

†*१३३९. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २८ मई तथा ३० मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५७६ तथा १५३८ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है कि उन अभिकरणों की सूची का पुनरीक्षण किया जाये जिन्हें विदेशों से मक्खन तथा घी को उपहारों के रूप में वितरण करने के लिये मिलता है;

(ख) क्या ऐसे उपहारों के वितरण के लिये सरकार भारत सेवक समाज, समाज कल्याण बोर्ड तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं को उपयुक्त अभिकरण नहीं समझती; और

(ग) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते क्योंकि भारत-अमेरिकी समझौते, १९५१ के अधीन सहायता के सामान का वितरण सरकारी तौर से नहीं किया जाता किन्तु यह काम सहायता अभिकरण स्वयं करते हैं और उनके वितरण करने वाले उनकी अपनी इच्छा से चुने जाते हैं।

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कितने तार भारत सरकार के सामने प्रस्तुत हुए ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : कोई तार नहीं आया ।

†**श्री भीखा भाई** : क्या वितरण उन स्वयं सेवक अभिकरणों के द्वारा नहीं किया जा सकता जो आदिवासी क्षेत्र में कार्य करते हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस बात पर हम करार पर अगली बार पुनर्विचार करते समय विचार करेंगे ।

†**श्री भीखा भाई** : जब इस प्रश्न की सूचना माननीय मंत्री को दी गई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह अन्य अभिकरणों के द्वारा विदेशी घी और मक्खन के वितरण करने की प्रक्रिया बदल देंगे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जो कुछ आश्वासन दिया गया है उसकी पूर्ति की जायेगी ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : इस सभा में जो इतने अधिक प्रश्न पूछे गये हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि इन वस्तुओं के वितरण का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नहीं किया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम इस करार पर शीघ्र ही विचार करने वाले हैं जबकि प्रत्येक चीज ठीक हो जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इसकी जांच करने का कोई तरीका है कि यह घी भीतरी गांवों के लोगों में मुफ्त बांटा जा रहा है अथवा नहीं ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वस्तुतः जहां कहीं घी बांटा जाता है वहां के स्थानीय कलक्टर का प्रमाणपत्र सरकार के पास प्रस्तुत करना पड़ता है ।

†**श्री भीखा भाई** : क्या इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि मक्खन और घी मुफ्त नहीं बांटा गया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : प्रश्न यह था कि क्या भारत सेवक समाज तथा अन्य अभिकरणों को सम्मिलित किये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । उसका उत्तर मैंने यह दिया था कि करार पर अगली बार पुनर्विचार करत समय इन सब बातों पर ध्यान रखा जायेगा ।

ऐक्सप्रेस मालगाड़ी का चलाना

†*१३४०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन लोगों के लिये एक्सप्रेस मालगाड़ी चलाने का विचार है उन्होंने इसके पक्ष में अपने विचार प्रकट किये हैं; और

(ख) क्या प्रत्युत्तर वित्तीय दृष्टि से उत्साहजनक सिद्ध हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). जी, हां ।

†**श्री फीरोज़ गाँधी** : इन एक्सप्रेस माल गाड़ियों को चलाना आरम्भ करने से लेकर अब तक कितनी गाड़ियां वस्तुतः चलाई जा चुकी हैं और बम्बई और कलकत्ता अथवा अन्य कहीं कितनी बन्द करनी पड़ी हैं ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये गाड़ियां समय से नहीं चल रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अलगेशन** : हावड़ा से निम्न गाड़ियां चलाई गई थीं :

हावड़ा—आसनसोल;

हावड़ा—धनबाद;

हावड़ा—कानपुर;

हावड़ा—गया; और

हावड़ा—दिल्ली ।

इनमें से निम्न गाड़ियां बन्द कर दी गई थीं :

हावड़ा—आसनसोल; और

हावड़ा—धनबाद ।

ये गाड़ियां १५-७-५६ से बन्द कर दी गई थीं और हावड़ा-गया गाड़ी १-१०-५६ से बन्द कर दी गई थी ।

†**श्री फीरोज गांधी** : मैं यह बात कह रहा था कि ये गाड़ियां समय से चल रही हैं या नहीं अथवा इनको समय-समय पर बन्द कर दिया जाता है ?

†**श्री अलगेशन** : प्रत्येक गाड़ी का कुछ दिन के लिये समय निश्चित कर दिया गया है । यातायात अधिक न होने के कारण ये गाड़ियां बन्द कर दी गयी थीं ।

†**श्री बोस** : क्या एक्सप्रेस मालगाड़ियों और साधारण मालगाड़ियों द्वारा ले जाये गये माल के भाड़े की दरों में कुछ अन्तर है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां ।

†**श्री बोस** : कितना अन्तर है ?

†**श्री अलगेशन** : जहां तक मैं समझता हूं एक्सप्रेस का भाड़ा प्रति रुपया ६ पाई अधिक होता है इसमें गलती हो सकती है । जबकि वे समय से नहीं चलतीं तो अधिक वसूल किया गया भाड़ा वापस लौटा दिया जाता है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या उन व्यक्तियों को, जिन्होंने इन गाड़ियों से अपना माल भेजा था, समय से गन्तव्य स्थान पर न पहुंचने के कारण कुछ राशि उन्हें वापिस लौटाई गई थी ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास इसके कुछ थोड़े से आंकड़े हैं । दक्षिण रेलवे के बारे में मेरे पास आंकड़े हैं कि १,६०३ रुपये वापिस लौटा दिये गये थे जबकि कुल वसूल की गई राशि ७५,५९८ रुपये थी ।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : प्रतिमास ऐसी कितनी गाड़ियां चलती हैं ?

†**श्री अलगेशन** : विशिष्ट पूर्व सूचना दिये बिना मैं इसके आंकड़े नहीं बता सकूंगा ।

†**श्री फीरोज गांधी** : ये गाड़ियां निर्धारित समय और समय-सारिणी के अनुसार चलती हैं । क्या पिछले वर्ष किसी समय इस निर्धारित समय और समय-सारिणी रद्द कर दी गई थी और यदि हां, तो ऐसी कितनी गाड़ियां बन्द कर दी गई थीं अर्थात् वे समय-सारिणी के अनुसार नहीं चली थीं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय सदस्य की बात भलीभांति नहीं समझ सका ।

†**श्री फीरोज गांधी** : तो फिर उत्तर न दीजिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अलगेशन** : जहां कहीं भी आधिक्य राशि वापिस लौटाई गई वह केवल इसी कारण कि गाड़ियां निर्धारित समय से नहीं चलीं। यदि गाड़ी को निर्धारित काल के अनुसार चार दिन लगने चाहियें जबकि उसे वस्तुतः चार दिन से अधिक दिन लग जाते हैं तो वसूल की गई अधिक राशि उन व्यक्तियों को लौटा दी जाती है।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : उपमंत्री जी मेरी बात नहीं समझे।

†**श्री म० कृ० मैत्र** : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बात की देखभाल करने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है कि जिससे डिब्बों की जितनी माल ले जाने की क्षमता है, उतना माल ले जाया जाये ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां। इस पर ध्यान दिया जा रहा है।

त्रिपुरा में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

†*१३४१. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ रहा है;

(ख) क्या त्रिपुरा की खाद्य समायोजन समिति ने सरकार का ध्यान इस वृद्धि की ओर आकर्षित कर तत्काल कुछ कार्यवाही करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो जनता को सहायता पहुंचाने तथा खाद्यान्नों का मूल्य कम करने के लिये सरकार ने छूट देने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) त्रिपुरा में सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर चावल अब भी १५ रुपये प्रति मन के भाव से बिकता है। इस दर पर बहुत काफी लोगों को सम्भरण हो जाता है। खुले बाजार में मूल्यों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार काफी संख्या में उचित मूल्य की दूकानों के द्वारा चावल बेच रही है और यह व्यवस्था अभी जारी रहेगी।

†**श्री दशरथ देव** : क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा की आनन्दनगर नामक बस्ती के यादव शुक्ल दास नामक शरणार्थी की मृत्यु गत दिसम्बर में माछामुहिनी के निकट अगरतला की सड़कों पर भुखमरी के कारण हुई थी, और यदि हां, तो क्या उसके शव को शव-परीक्षा के लिये अस्पताल ले जाया गया था। यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला और क्या मृतक के क्षुधा-पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमें ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है। त्रिपुरा से हमारा बराबर सम्पर्क बना रहता है। हम बहुधा अपने पदाधिकारी वहां भेजा करते हैं। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि पाकिस्तान में भूखों मरने वाले व्यक्तियों में से कोई यहां आ गया हो और यहीं आकर मर गया हो। त्रिपुरा पाकिस्तान से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के भूखों मरने वाले लोग भारत आते ही रहते हैं. इस कारण हो सकता है कि यह भूखों मरने वाला व्यक्ति वहीं से आकर यहां मर गया हो। हमारे पास कोई ऐसा समाचार नहीं आया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यहां का कोई व्यक्ति भूखों मरा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : त्रिपुरा को कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है और उचित मूल्य की सरकारी दुकानों के द्वारा कितना खाद्यान्न वितरण करने के लिये नियत किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : १२ औंस प्रतिदिन के हिसाब से हम त्रिपुरा राज्य के अगरतला नामक स्थान के लोगों की ८० प्रतिशत मांग की पूर्ति कर रहे हैं। केवल २० प्रतिशत लोग जिनके पास या तो भूमि है और या अधिकांशतः अमीर हैं केवल उन्हीं को हम सम्भरण नहीं कर पाते। वहां हमारे पास चावल का पर्याप्त स्टाक नहीं होता क्योंकि छोटी जगह होने के कारण वहां माल नहीं पहुंच पाता। हमने विमान द्वारा चावल मंगाया। आरम्भ में पाकिस्तान से होकर हम चावल नहीं मंगा सके।

†**श्री वेलायुधन** : क्या प्रत्येक परिवार के लिये कार्ड जारी किये जाते हैं जिससे वे उचित मूल्य की दूकानों पर जाकर खाद्यान्न प्राप्त कर सकें ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : त्रिपुरा में ऐसा किया गया है, किन्तु अन्य स्थानों में नहीं।

†**श्री दशरथ देव** : क्या यह सच है कि उचित मूल्य की दुकानों का चावल अगरतला नगर की सीमा के बाहर नहीं गया है और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों तथा गांवों में चावल का सम्भरण कभी किया ही नहीं गया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वस्तुतः जब माननीय सदस्य त्रिपुरा जायेंगे तब तक स्थिति इसके विपरीत हो जायेगी। फसल अच्छी होने के कारण मूल्य गिर रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि दक्षिण में ८ रुपये प्रति मन के भाव से मूल्य गिर रहे हैं। आंध्र और तंजोर में ६ रुपये प्रति मन कमी हो गयी है। चावल की अच्छी फसल होने की भी आशा है। फसल कटना आरम्भ हो चुका है। पिछले सप्ताह के समाचारों से पता लगता है कि मूल्य काफी गिरते जा रहे हैं। हमें आशंका इस बात की है कि कहीं चुनाव के समय तक लोग मूल्य गिर जाने से अनुचित लाभ न उठायें।

विस्थापित क्षय रोगियों को सहायता

†*१३४२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संघ सरकार ने इस वर्ष दिल्ली राज्य प्राधिकारियों को सुपात्र विस्थापित क्षय रोगियों को सहायता देने के लिये अतिरिक्त राशि देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) तथा (ख). जी, नहीं। ८ जून, १९५६ को सुपात्र क्षय रोगियों को वित्तीय सहायता देने के लिये दिल्ली की सरकार को १५,००० रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। अतिरिक्त अनुदान के लिये कोई निवेदन नहीं किया गया था।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान दिल्ली विधान सभा के उस वाद-विवाद की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें राज्य के मंत्री महोदय ने कहा था कि क्षय रोगियों को सहायता देना सम्भव नहीं है क्योंकि संघ सरकार ने इन्कार कर दिया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : सम्भवतः माननीय सदस्य पिछले वर्ष की अर्थात् १९५५-५६ की घटना का उल्लेख कर रहे हैं। दिल्ली राज्य सरकार को १०,००० रुपये का अनुदान दिया गया था। १९५५ के अन्त तक उसने कुछ भी व्यय नहीं किया था। इसके अतिरिक्त उन विभिन्न राज्यों को पुनः स्मरणपत्र भेजे गये थे जिनमें शरणार्थियों ने यह कहा था कि कुछ राशि अभी बाकी बच रही है। हम उन्हें अतिरिक्त अनुदान देंगे। स्मरणपत्र के बावजूद भी मार्च तक दिल्ली से कोई उत्तर नहीं मिला जब कि उस वित्तीय वर्ष में और अधिक धन उन्हें भेज सकना सम्भव नहीं रहा। मंत्रणा वित्त समिति ने बताया कि जिन राज्यों ने अपनी राशि व्यय कर दी है और जिन्होंने दिल्ली की ८,००० रुपये की मांग करने से पूर्व और अधिक राशि के लिये निवेदन किया है तो उन्हें अतिरिक्त राशि मिल जायेगी, दिल्ली को नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या संघ स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के मंत्री द्वारा लगाये गये आरोप का खण्डन किया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं उस मामले की परिस्थिति बता चुकी हूं। हमें 'नहीं' कहना पड़ा था क्योंकि हमें समय से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। १९५५ के अन्त तक दी गई राशि व्यय नहीं की गई थी। उस वर्ष के लिये उन्हें १०,००० रुपये की राशि दी गई थी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या कुछ क्षय रोग उपरान्त चिकित्सा-गृहों में क्षयरोगियों को प्रवेश से इस कारण इन्कार कर दिया गया है कि उन्हें पहले ही सरकार से सहायता मिल चुकी है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्या किस राज्य के बारे में कह रही हैं। किन्तु मुझे कोई इस प्रकार की सूचना नहीं मिली है।

विद्युत् उत्पादन

†*१३४३. **श्री ल० ना० मिश्र**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) हीराकुड, (२) भाखड़ा नंगल और (३) दामोदर घाटी निगम को नदी घाटी परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत् की तुलनात्मक लागत क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना से उपभोक्ताओं को किन दरों पर विद्युत् दी गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२]**

†**श्री ल० ना० मिश्र** : विवरण से यह जानकारी होती है कि इन तीनों परियोजनाओं में विद्युत् उत्पादन की लागत में विशेषतया प्रथम स्तर पर बड़ा अन्तर है, कि किन कारणों से भाखड़ा में विद्युत् उत्पादन में कम लागत आई है और दामोदर घाटी निगम में अधिक आई है ?

†**श्री हाथी** : विवरण में यह दिया गया है कि हीराकुड तथा भाखड़ा तथा दामोदर घाटी निगम के प्रथम स्तर पर कुछ अन्तर है। द्वितीय स्तर पर हीराकुड तथा भाखड़ा में अधिक अन्तर नहीं है। एक में यह ·२५ आने आती है तथा दूसरे में ·२ आने आती है। दामोदर घाटी निगम में यह ·३६४ आने हैं। यह इसी कारण है कि यह अधिकांशतः ताप विद्युत् है। विद्युत् जल विद्युत् से महंगी होती है। जहां तक भाखड़ा के प्रथम स्तर का सम्बन्ध है हम नंगल अर्थात गंगुवाल और कोटला बिजली घर में उत्पादित विद्युत् का संभरण कर रहे हैं। भाखड़ा बांध बन जाने पर अधिक विद्युत् मिलेगी तथा उत्पादन की औसत लागत कम होगी।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इन तीनों परियोजनाओं से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत् की दरों से यह पता चलता है कि इन तीनों परियोजनाओं में उत्पादन लागत एक सी है। आप इनको कैसे निकालेंगे ? आप इसको एक स्थान पर इकट्ठा करेंगे अथवा विद्युत् संभरण में सहायता देंगे ?

†**श्री हाथी** : जहां तक दामोदर घाटी निगम तथा भाखड़ा विद्युत् का सम्बन्ध है वह एक स्थान पर इकट्ठी नहीं की जा सकती है। वे बहुत दूर हैं। जैसा मैंने बताया कि दामोदर घाटी निगम की विद्युत् ताप विद्युत् होने के कारण महंगी है। ताप विद्युत् के मामले में उत्पादन लागत अधिक होती है तथा संभरण की लागत भी अधिक होती है। जैसा कि विवरण से देखा जा सकता है, दामोदर घाटी निगम से संभरित विद्युत् की दरें, अन्य स्थानों से संभरित विद्युत् की दरों से अधिक हैं। कारण यह है कि दामोदर घाटी निगम में उत्पादन लागत अधिक है। दामोदर घाटी निगम से भाखड़ा को मिलाने की कोई संभावना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वेलायुधन** : यह लागत प्रति यूनिट किस आधार पर आंकी गई है ? क्या पूंजी व्यय भी जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री अन्य देशों जैसे अमेरिका से इसकी प्रति यूनिट लागत की तुलना करेंगे ?

†**श्री हाथी** : विद्युत् संभरण की दरें इस देश में उत्पादन व्यय के आधार पर निश्चित की जाती हैं। हम एक देश में विद्युत् उत्पादन लागत की तुलना दूसरे देश में संभरण दरों से नहीं कर सकते। हम इस देश में उत्पादन लागत के आधार पर संभरण दर लगाते हैं।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री ने यूनिट की लागत दी है। क्या यह चीन की लागत से अधिक है ?

†**श्री हाथी** : चीन के तुलनात्मक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : माननीय मंत्री ने कहा कि उत्पादन लागत की तुलना नहीं की जा सकती। प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने उत्पादन लागत की गणना में परियोजना पर व्यय की गई पूंजी को भी मिला लिया है ? मैं यह जानना चाहता हूं।

†**श्री हाथी** : मैंने यह नहीं कहा कि उत्पादन लागत की तुलना नहीं हो सकती है। मैंने कहा है कि एक देश की उत्पादन लागत तथा दूसरे देश में संभरण दरों की तुलना नहीं की जा सकती है। एक ही देश में उत्पादन लागत की तुलना की जा सकती है तथा इसकी तुलना होनी भी चाहिये। विवरण में तीनों परियोजनाओं की तुलनात्मक दरें दिखाई गई हैं।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन लागत की गणना में, परियोजना में व्यय की गई पूंजी भी जोड़ ली गई है ?

†**श्री हाथी** : जी हां, उसका भी ध्यान रखा गया है।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या सरकार का ध्यान टैनेसी घाटी प्रशासन के मिस्टर हार्ट के लेखों की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि हमारे देश में विद्युत् उत्पादन की लागत अमेरिका तथा अन्य देशों की तुलना में कम है ?

†**श्री हाथी** : मिस्टर हार्ट कुछ समय के लिये यहां थे तथा उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के अध्ययन के लिये दौरा किया था। उन्होंने भारत की नदियों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। मैं नहीं जानता कि मैं उसे एक प्रामाणिक समझूं या नहीं। इसलिये मैंने कहा कि सरकारी रूप से चीन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

गांवखली बन्दरगाह

†***१३४४. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८-४९ में बी० एन० रेलवे ने गांवखली को एक जहाज बनाने वाली गोदी के रूप में विकसित करने तथा उसको रेलवे से सम्बद्ध करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि हुगली नदी के पश्चिमी किनारे, विशेषतया गांवखली में एक बन्दरगाह स्थापित करनी चाहिये और एक रेलवे सम्पर्क भी स्थापित कर देना चाहिये; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) यदि हां, तो गांवखली कब तक एक बन्दरगाह बना दिया जायेगा जिससे इस्पात संयंत्र क्षेत्रों को, जोकि दक्षिण पूर्व रेलवे पर हैं, इस्पात के आयात में सुविधा मिले ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) विश्व बैंक शिष्टमंडल प्रतिवेदन का उपयुक्त उद्धरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(घ) परिवहन मंत्रालय मामले की जांच कर रहा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या १९४६–४७ में श्री एस० एम० अफजल, डी० टी० एस०, बी० एन० रेलवे ने कोंटाई से कोंटाई रोड तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया था और उन्होंने मचादा से कोंटाई तक वैकल्पिक लाइन का भी सर्वेक्षण किया था तथा कहा था कि वैकल्पिक रेलवे लाइनों पर लगने वाली पूंजी से प्राप्त लाभ की प्रतिशतता ६·६ प्रतिशत होगी क्या यह सच है ?

†**श्री अलगेशन** : वह जानकारी मेरे पास नहीं है । मैं इसका पता लगाऊंगा ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या भारत सरकार इन विश्व बैंक विशेषज्ञों से गांवखली के अतिरिक्त अन्य बन्दरगाहों––जैसे उड़ीसा की बन्दरगाहों, पोपट कालीमीर और तूतीकोरन बन्दरगाह—के विकास की संभावनाओं की जांच कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री अलगेशन** : विश्व बैंक शिष्टमंडल ने बन्दरगाहों, नौवहन, तथा रेलवे से सम्बन्धित प्रश्नों की जांच करने की इच्छा प्रकट की है । गांवखली एक उसी प्रकार की बन्दरगाह है जिसकी जांच कराने का हम विचार कर रहे हैं । वे दूसरे बन्दरगाहों की दशाओं की भी जांच करेंगे तथा इसका पता लगायेंगे कि दूसरे बन्दरगाहों की क्षमता बढ़ाने में वह हमारी कितनी सहायता कर सकते हैं । इस समय यह बताना मेरे लिये संभव नहीं है कि वे और किन बन्दरगाहों पर जायेंगे, परन्तु माननीय सदस्य के सुझावों का ध्यान रखा जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि रेलवे की आपत्ति पर इस बन्दरगाह की योजना द्वितीय योजना में इस आधार पर नहीं ली गई थी कि पूंजी व्यय अधिक होगा तथा अधिक माल वापस नहीं लदेगा । क्या इस समय रेलवे को विश्वास है कि अब माल वापिस लदेगा क्योंकि वाणिज्य मंडल ने उनको लिखा है कि वह वहां एक बन्दरगाह चाहते हैं ?

†**श्री अलगेशन**: यह सच है, जैसा माननीय सदस्य ने बाताया कि रेलवे का विचार है कि माल वापिस नहीं लदेगा तथा रेलवे लाइन बनाने से भी इससे अधिक आय नहीं होगी, परन्तु रेलवे तथा परिवहन मंत्रालय ने इस प्रश्न को एक स्वतन्त्र संस्था, विश्व बैंक शिष्टमंडल के विचारार्थ छोड़ने को तत्पर है ।

†**श्री मात्तन** : क्या मंत्रालय ने नौवहन तथा बन्दरगाहों के विकास में विश्व बैंक के सहायता प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कोई प्रस्ताव भेजा है, और यदि हां, तो विश्व बैंक से कितना धन मांगा गया है ? क्या विश्व बैंक से सहायता पाने के लिये उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा है ?

†**श्री अलगेशन** : सभी प्रस्ताव जिन पर हम चाहते हैं कि विश्व बैंक शिष्टमंडल विचार करे और जांच करें, उनके समक्ष रख दिये जायेंगे । इस समय, मैं इस कार्य के लिये अपेक्षित धनराशि बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

स्वचालित टिकट मशीन

†*१३४५. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वचालित टिकट मशीनों का प्रयोग कहां तक सफल सिद्ध हुआ है; और

(ख) कितने स्टेशनों पर ऐसी मशीनें लगायी गयी हैं; **और**

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) स्वचालित छपाई मशीनों का लगाना सफल सिद्ध हुआ है ।

(ख) ५३ स्टेशनों पर ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यह प्रयोग सफल होने के कारण क्या अन्य स्टेशनों पर भी उसे लागू करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां । मेरे पास जानकारी है कि पश्चिम रेलवे का सात और स्टेशनों पर यह सुविधा देने का विचार है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस प्रयोग से वितरण की वर्तमान पद्धति की तुलना में कितने समय और धन की बचत होगी ?

†**श्री अलगेशन** : कई लाभ हैं । वे बहुत अधिक हैं । माननीय सदस्य को मैं एक सूची दे सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं । वह केवल दो बातें जानना चाहते हैं, एक समय और दूसरी धन के सम्बन्ध में, धन में बचत और समय में बचत ।

†**श्री अलगेशन** : इससे कपट दूर किया जा सकता है । क्रम से अलग टिकट जारी करना और उनसे किरायों की राशि का गबन दूर हो जाता है । टिकट पर फिर तारीख डाल कर उसे जारी करना सम्भव न होगा क्योंकि टिकट जारी करने की तारीख टिकट पर मुहर से छापने की बजाय जैसा कि आजकल किया जाता है, मशीन से स्याही में छपी हुई होगी । कुछ मामलों में, जारी करने का समय भी छपा हुआ होता है ।

समय के सम्बन्ध में, मशीन से टिकट देने की अधिकतम गति ७०० प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है और संभव है कि अधिक अनुभव से १,००० प्रति घंटा तक बढ़ायी जा सके जबकि वर्तमान पद्धति में साधारणतया एक घंटे में लगभग ३०० टिकट दिये जाते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस पद्धति से कितने आदमी जो अभी नियुक्त हैं, बेकार हो जायेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : इससे कर्मचारियों की कुछ बचत होगी और कार्यवहन व्यय में कुछ कमी होगी किन्तु वास्तविक संख्या मैं अभी नहीं बता सकता ।

†**श्री वेलायुधन** क्या मुख्य दिल्ली स्टेशन पर यह व्यवस्था चलाई गयी थी और क्या वहां इसके कारण कोई छंटनी हुई थी ?

†**श्री अलगेशन** : मैं यह नहीं बता सकता कि वह व्यवस्था मुख्य दिल्ली स्टेशन पर थी या नहीं ।

†**श्री वेलायुधन** : आश्चर्य है कि मुख्य दिल्ली स्टेशन के सम्बन्ध में मंत्री पूर्व-सूचना चाहते हैं ।

†**श्री अलगेशन** : यदि मैं पूर्व-सूचना मांगता हूं तो कोई गलती नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री वेलायुधन** : मैं यह नहीं समझता कि मंत्री कोई गलती कर रहे हैं ।

†**श्री अलगेशन** : उत्तर रेलवे में केवल एक ऐसा स्टेशन है जहां यह पद्धति जारी की गयी है । कदाचित वह मुख्य दिल्ली स्टेशन हो । मुझे मालूम नहीं है ।

†**श्री अच्युतन** : माननीय मंत्री ने बताया कि पश्चिम रेलवे में सात और स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू की जायेगी । भारतीय रेलवे के कितने और स्टेशनों पर नये वर्ष में यह व्यवस्था लागू की जायेगी और दक्षिण रेलवे में कितने स्टेशनों पर ?

†**श्री अलगेशन** : अभी सात स्टेशनों पर यह सुविधा दी गयी है । मैं नहीं बता सकता कि दूसरे स्टेशनों पर यह सुविधा देने के लिये दक्षिण रेलवे की कोई प्रस्थापना है या नहीं ।

केरल के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना

†*१३४७. **श्री अ० म० थामस** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार केरल राज्य में कुल कितना खर्च होगा;

(ख) उस योजना के अधीन जो कि मद्रास योजना में समाविष्ट है मलाबार जिले के लिये कितना अनुमानित व्यय होगा;

(ग) मलाबार के लिये व्यय की बड़ी-बड़ी मदें कौन-सी हैं; और

(घ) क्या नयी व्यवस्था में मलाबार के लिये नियतन में सुधार किये जाने की संभावना है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (घ). केरल राज्य की योजना के अधीन कुल खर्च, प्रादेशिक व्यवस्थापनों के लिये गुंजाइश रख कर शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्धारित किया जायगा । मद्रास की पुनरीक्षित दूसरी योजना में मलाबार जिले के लिये खर्च अभी तय करना है ।

†**श्री अ० म० थामस** : विभिन्न राज्यों के लिये खर्च नियत करने में जो सामान्य सिद्धान्त, अपनाया गया था और जो अधिकतर जनसंख्या पर आधारित था, उसे देखते हुए क्या वह सिद्धान्त मलाबार के सम्बन्ध में भी स्वीकार किया जायेगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैंने कई बार बताया है कि वह केवल जनसंख्या के आधार पर ही नहीं था । अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना था किन्तु जनसंख्या भी निस्संदेह एक महत्वपूर्ण तत्व है और मद्रास से केरल राज्य को धनराशि हस्तांतरित करने में उस पर भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री अ० म० थामस** : बताया गया है कि मद्रास योजना से मलाबार प्रदेश के लिये लगभग १५ करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गयी है । क्या योजना आयोग उससे संतुष्ट है और जनसंख्या के आधार पर विचार करते हुए क्या यह बिलकुल अपर्याप्त न होगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : योजना आयोग केरल और मद्रास सरकारों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर रहा है । वास्तव में इन दो सरकारों के प्रतिनिधियों से पहले ही कुछ चर्चा हो चुकी है और मोटे तौर पर मैं यह बता सकता हूं कि मद्रास सरकार ने जो उल्लेख किया है उससे दो या तीन करोड़ रुपये अधिक होंगे; किन्तु उस सब पर अभी चर्चा हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री वेलायुधन** : यह महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक चीज महत्वपूर्ण है । मैं आगे नहीं बढ़ सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पुन्नूस** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा ।

†**श्री पुन्नूस** : सम्पूर्ण मद्रास राज्य के लिये कितनी राशि नियत की गयी है और यदि जनसंख्या के आधार पर हिसाब लगाया जाये तो मलाबार के लिये कितनी धनराशि होगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मद्रास राज्य के लिये खर्च १७३·०६ करोड़ रुपये है किन्तु जनसंख्या के आधार पर मलाबार जिले के लिये कितना होना चाहिये यह मैं नहीं बता सकता । माननीय सदस्य श्री अ० म० थामस ने १५ करोड़ रुपये का जो उल्लेख किया था वह न केवल मलाबार जिले के सम्बन्ध में था बल्कि कनारा जिले के कासरगोडे तालुक के लिये भी था ।

†**श्री अ० म० थामस** : तब तो यह और भी अधिक खराब है ।

†**श्री पुन्नूस** : केरल सरकार ने अपने हिस्से की कितनी धनराशि मांगी है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं नहीं समझता कि उसने किसी आंकड़े का उल्लेख किया है और यदि किया भी हो तो अभी वह मेरे पास नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि मद्रास सरकार ने मलाबार जिले के लिये तामिल क्षेत्र के लिये नियत राशि की तुलना में बहुत ही थोड़ी धनराशि नियत की थी और क्या इस विषय पर विचार किया जायेगा जबकि मलाबार जिले के लिये अंतिम रूप से राशि नियत की जायेगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस प्रश्न में यह दोषारोप है कि मलाबार जिले के साथ, तामिलनाड क्षेत्र के अन्य जिलों की तुलना में न्याय नहीं किया गया है । माननीय सदस्यों का वह कथन मैं स्वीकार नहीं करता ।

ग्रामीण विश्वविद्यालय

†*१३४८. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय जिसके सभी पाठ्य-क्रमों में कृषि का पुट रहेगा, उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर में स्थापित किया जाने वाला है;

(ख) क्या प्राविधिक सहयोग प्रशासन ने इस सम्बन्ध में एक खाका प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह प्रस्थापना स्वीकार कर ली है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने रुद्रपुर में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की एक प्रस्थापना प्रस्तुत की है जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

(ख) एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने, जिसकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत-अमेरिकी प्रविधिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन इस प्रयोजन के लिये प्राप्त की थीं कि भारत में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये एक खाका तैयार किया है ।

(ग) सम्बन्धित मंत्रालय अभी उस प्रस्थापना पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या मैं प्रस्तावित विश्वविद्यालय के शिक्षा के माध्यम को जान सकता हूं और क्या उक्त विश्वविद्यालय से आत्म-निर्भर होने की आशा की जाती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह संभव नहीं है कि यह विश्वविद्यालय आत्म-निर्भर हो सके । जहां तक कि शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, मेरे विचार से किसी विशिष्ट शिक्षा के माध्यम पर कोई आग्रह नहीं किया जा रहा है । इसका निर्णय विश्वविद्यालय को करना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विश्वविद्यालय में और अन्य साधारण विश्वविद्यालयों में क्या विशेष अन्तर होगा ?

डा० पं० शा० देशमुख : वह ग्रामीण होगा । इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स (बातें) हैं, जो स्पेशल (विशिष्ट) हैं । इसके अन्दर ज्यादा एम्फेसिस (जोर) एग्रिकलचर (कृषि) और पशुपालन की तरफ होगा और खास तौर से कृषि की तरफ ज्यादा ख्याल दिया जायेगा ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पर्यालोकन के अन्तर्गत, आयेगा, और क्या उससे परामर्श करने की प्रस्थापना है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां । मेरे विचार से कदाचित हमारे लिये आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के लिये जो विदेशी विशेषज्ञ आयेंगे क्या उन्हें हमारे देश की भूमि और भारतीय कृषि की अवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी होगी ? क्या यह विशेषज्ञ इस बात का अध्ययन भी करेंगे कि भारतीय कृषि को उपलब्ध सुविधाओं को काम में ला कर उपज किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, अथवा क्या वे केवल उन्हीं तरीकों का अध्ययन करेंगे जिनको कि उन्होंने अपने देश में अपनाया हुआ है और जिनको वह हमें सिखाने जा रहे हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह रूपरेखा एक अमरीकी प्रविधिविज्ञ द्वारा बनाई गई है । इसके अतिरिक्त, इस समय उक्त विश्वविद्यालय को किन्हीं प्रविधिविज्ञों के अधीक्षण और पथ-प्रदर्शन के अन्तर्गत की कोई प्रस्थापना नहीं है । इस बात का निर्णय विश्वविद्यालय को करना होगा कि उसे किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता है अथवा नहीं । हमारा विचार है कि उसका प्रबन्ध आवश्यक रूप से तथा मुख्यत: भारतीय व्यक्तियों द्वारा ही किया जायेगा ।

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : क्या किन्हीं अन्य राज्यों ने अपने राज्य क्षेत्रों में ऐसे देहाती विश्व-विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्थापनायें प्रस्तुत की थीं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : दो अन्य प्रस्थापनायें थीं, एक पंजाब से थी और दूसरी आन्ध्र से ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री खूं० चं० सोधिया** : क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई अनुदान.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने पहले ही अगले प्रश्न के पूछे जाने के लिये कह दिया है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछूं ? मुझे एक से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य माननीय सदस्यों ने उस समस्त जानकारी को प्राप्त कर लिया है जो कि माननीय सदस्य चाहते थे ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** : किन्तु जो विवरण मैं चाहता था उनकी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को जल्दी खड़ा होना चाहिये था ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : मैं खड़ा हुआ था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह खड़े हुए होते, तो उनका नाम अवश्य पुकारा गया होता । जो भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं उन्हें अपने अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में तैयार रहना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** : मेरे पास प्रश्न तैयार थे। मैं खड़ा हुआ था, पर इस बीच आपने अगले प्रश्न के पूछे जाने के लिये कह दिया।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य सदस्यों ने माननीय सदस्य को दबा लिया है।

रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई का भाड़ा

***१३४९. श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों के उपयोग में आने वाले कोयले की रेलों द्वारा ढुलाई के भाड़े का अनुमान वर्ष १९५५-५६ के आय-व्ययक में कितना किया गया था;

(ख) क्या इस ढुलाई भाड़े की राशि को उस वर्ष के संचालन व्यय में शामिल किया गया था;

(ग) यदि हां, तो वह रकम कितनी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ग). १३,३०,०३,०००।

(ख) और (घ). यद्यपि शुरू में पार्लियामेंट (संसद्) का वोट लेते समय यह रकम ईंधन-खर्च की मांग में रखी जाती है, लेकिन इस समय हिसाब रखने का जो ढंग है उसके अनुसार बाद में इसे मांग से बाहर खर्च में घटा कर दिखाया जाता है क्योंकि यह रकम एक तरह से रेलवे की आमदनी है और इसलिये ऐसा करने से रेलवे के असली परिचालन खर्च और असली माली हालत पर कोई असर नहीं पड़ता।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : यदि इस विशाल रकम को कार्यवहन व्यय से निकाल दिया जाये तो क्या कार्यवहन व्यय कम नहीं हो जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : यह सच है कि कार्यवहन व्यय होते हैं। पर इन धनराशियों को फिर रेलवेज के खाते में उनकी स्वयं की आय के रूप में दिखाया जाता है। रेलवेज की आय में स्फीति होने से रोकने के लिये यह प्रणाली अपनाई गई है।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : आपने इस धनराशि कार्यवहन व्यय से कम करके या इस की अपने कार्यवहन व्यय में गणना न करके अपने कार्यवहन व्यय को जान-बूझ कर कम किया है। यह गलत तरीका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्टतः माननीय सदस्य का आशय यह है कि कार्यवहन व्यय तथा आय दोनों दिखाई जानी चाहियें, जिससे कि संसद् को वस्तुस्थिति का अनुमान हो सके, ताकि जिसको भी रुचि हो वह कुल आय और कुल व्यय को जान सके।

†**श्री अलगेशन** : मैं समझा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के कथन से मैं यह समझा हूं कि क्योंकि आय राजस्व में जमा कर दी जाती है इसलिये इस व्यय को नहीं दिखाया गया है।

†**श्री अलगेशन** : इस व्यय के सम्बन्ध में संसद् मतदान करता है और इसे संसद् के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु इसे मांग से बाहर एक कमी के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि यह स्वयं रेलवेज़ की आय होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : मैं यह कहना चाहता था कि इस विशाल रकम के निकाल देने से कार्यवहन व्यय को उस व्यय से कम दिखाया जाता है जो कि इस समय होता जबकि इस रकम को कार्यवहन व्यय के अन्तर्गत लिया जाता। यह तथ्य है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का आशय यह है कि पूर्ण वास्तविक व्यय नहीं दिखाया गया है। यह तो एक तर्क का विषय है। माननीय मंत्री इस पर विचार करें।

†**श्री फीरोज गांधी** : कोयला तथा रेलवे में जिन अन्य वस्तुओं की खपत होती है वह अ-राजस्व यातायात का भाग होती है। ऐसी स्थिति में, इन रकमों को क्यों आवश्यक रूप से जोड़ा और बाद को घटाया जाता है? ऐसा करने की तुक क्या है? हम यह जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यह तो अ-राजस्व यातायात है।

†**श्री अलगेशन** : यह तो केवल एक प्रक्रिया सम्बन्धी बात है। यह मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं। मैं इस पर चर्चा करने को तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्राचीन प्रणाली है और रेलवेज़ उसी का अनुसरण कर रही हैं। माननीय मंत्री इस मामले की जांच करेंगे।

रेलवे बस्तियों में स्कूल

†*१३५२. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बस्तियों में प्राथमिक और प्रारम्भिक स्कूलों के चलाने पर होने वाले व्यय का कितना भाग तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) नये स्कूल खोलने तथा इस समय चल रहे स्कूलों के सम्बन्ध में नीति क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४**]

†**श्री संगण्णा** : राज्य सरकारों का इन स्कूलों पर किस प्रकार का नियन्त्रण है?

†**श्री अलगेशन** : पाठ्यक्रमों और अन्य आवश्यकताओं जैसे उपसाधनों आदि के सम्बन्ध में हमें विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा लागू किये गये नियमों और विनियमों के अधीन काम करना पडता है।

†**श्री संगण्णा** : क्या इन स्कूलों का निरीक्षण सम्बन्धित राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा किया जाता है?

†**श्री अलगेशन** : सम्बन्धित राज्यों के शिक्षा पदाधिकारी इन स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। हम ने इन स्कूलों के कार्यकरण का निरीक्षण करने और अपनी सिफारिशें देने के लिये विशेष निरीक्षक भी नियुक्त किये हैं।

अन्तर्राज्यिक नौ-परिवहन नहर

†*१३५३. **श्री ह० ग० वैष्णव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यिक नौ-परिवहन के हेतु गंगा, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों को मिला कर पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार को मिलाने वाली नई नौ-परिवहन नहर की योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर होने वाले व्यय का अनुमान क्या है और उस व्यय का कितना भाग सम्बन्धित राज्यों को वहन करना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : क्या पहले भी कभी ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन थी ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, कई ऐसी योजनायें थीं । अब भी, केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग ने एक बड़ी योजना तैयार की है यह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें उत्तरी नदियों को दक्षिणी नदियों से और पूर्वी तट को पश्चिमी तट से मिलाने का प्रस्ताव है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इन राज्य सरकारों में से किसी ने भी इन लाभदायक नदियों को नौ-परिवहन प्रयोजनों के लिये खोले जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना संघ सरकार को भेजी है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, जहां तक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर नौ-परिवहन का सम्बन्ध है, एक जल बोर्ड है जो राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का समन्वय करता है और निर्माण कार्य करता है ।

†**श्री बर्मन** : लगभग दो मास हुए कुछ इंजीनियर और अन्य व्यक्ति पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग का सर्वेक्षण कर रहे थे । जांच करने पर मुझे पता लगा कि उक्त सर्वेक्षण ब्रह्मपुत्र को उत्तर बंगाल में से होकर गंगा के मिलाने के लिये एक योजना बनाने की सम्भावना की जांच करने के लिये किया जा रहा था । परन्तु मंत्री महोदय ने नकारात्मक उत्तर दिया है । क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है अथवा नहीं ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे ज्ञात नहीं है । मैं नहीं जानता कि किस योजना विशेष के सम्बन्ध में वह सर्वेक्षण किया गया था । मैं पूछताछ करूंगा ।

परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां

†*१३५४. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निर्यात मंत्रणा परिषद् की हाल में हुई उस बैठक की कार्य-वाहियों की ओर दिलाया गया है जिसमें एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि ने कहा था कि निर्यात आय में कमी होने के कारणों में परिवहन स्थिति एक महत्वपूर्ण कारण है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पृथ्वी तल के परिवहन को अधिक मितव्ययी का और कार्य-कुशल बनाने की ओर अधिक ध्यान देने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभी प्रकार के परिवहन साधनों, जैसे रेल, सड़क और सागर के समन्वित विकास के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री मात्तन** : अब तक क्या महत्वपूर्ण और ठोस कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**श्री अलगेशन** : मुख्य बात यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्पन्न होने वाले यातायात की मात्रा के वहन के लिये रलवे की उपलब्ध क्षमता के अपर्याप्त होने के कारण हमें ऐसे

---

†मूल अंग्रेजी में ।

ढंग खोज निकालने हैं जिनसे कि सड़क परिवहन से कमी पूरी हो जाये । इसे प्राप्त करने के विचार से, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमने एक विधेयक भी हाल ही में पारित किया है । उससे और अधिक ट्रकों और बसों को अन्तर्राज्यिक मार्गों पर चलाया जा सकेगा । हमने परिवहन मंत्रणा परिषद् में भी, जिसमें कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इस प्रश्न पर विचार किया है, कि राज्य सरकारों को उन प्रतिबन्धों को ढीला करने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये जो सम्बन्धित राज्यों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाने वाले यातायात पर इस समय लगे हुए हैं । ऐसे यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिये, विभिन्न कार्यवाहियां की गई हैं ।

समुद्र मार्ग द्वारा और अधिक माल के ले जाये जाने के सम्बन्ध में, सभा को विदित है, कि इस समय एक समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है ; हम आशा करते हैं कि समिति का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा । तब हम इसकी सिफारिशों पर विचार कर सकेंगे ।

†**श्री मात्तन** : पृथ्वी तल पर होने वाले परिवहन के सम्बन्ध में क्या किया गया है, तटीय परिवहन के सम्बन्ध में नहीं । क्या माननीय मंत्री यह अनुभव करते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र को यह आश्वासन देने से, कि कम से कम योजना अवधि में राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, सड़क परिवहन के विकास में सहायता मिलेगी ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने पहले भी कई बार सभा में बताया है कि जहां तक माल परिवहन का सम्बन्ध है, द्वितीय योजना अवधि में राष्ट्रीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है । यात्री परिवहन सेवाओं के सम्बन्ध में भी यह कार्य राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा और उन कार्यक्रमों को उन्हीं के द्वारा क्रमिक रूप दिया जायेगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि वे रेल, सड़क, और समुद्र द्वारा होने वाले परिवहन में समन्वय करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जिन कारणों से समन्वय में कठिनाई होती है उनमें से एक यह है कि हमारे पास पत्तन बहुत कम हैं । बहुत से छोटे पत्तनों को अविकसित ही छोड़ दिया गया है । क्योंकि कुछ समय के लिये अनार्थिक सिद्ध हुए हैं । इस कठिन समस्या को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार समुद्र तट पर स्थित उन पत्तनों के विकास की सम्भावना पर विचार करना चाहती है जिन्हें अब तक अविकसित रहने दिया गया है ।

†**श्री अलगेशन** : ऐसा नहीं कि सरकार ने छोटे पत्तनों के प्रश्न की ओर ध्यान न दिया हो । यह सच है कि छोटे पत्तन राज्य सरकारों के प्रशासनिक प्रभार में हैं । राज्य सरकारों ने छोटे पत्तनों के सम्बन्ध में कई योजनायें तैयार की हैं । उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, और उन योजनाओं की जांच यहां की गई है । राज्य सरकारों को ऋण सहायता भी दी गई है ।

भारत पाकिस्तान यातायात

†***१३५५. श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच, विशेषत: कलकत्ता और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पार्वतीपुर के मार्ग से हो कर पूर्वोत्तर रेलवे के अमीनगांव के बीच, यातायात आरम्भ करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से वार्ता करना चाहती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: भारतीय रेलवे के स्टेशनों से पाकिस्तान रेलवे के स्टेशनों को और इस के प्रतिलोकत: सीधे यातायात के बुकिंग की सदैव से ही अनुमति है परन्तु अब यात्रियों को दूसरे देश के सीमान्त स्टेशनों पर नये टिकट खरीदने पड़ते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बानपुर-संताहार-मुगलहाट-अलीपुर द्वार के मार्ग से कलकत्ता और अमीनगांव के बीच यातायात की अनुमति है परन्तु पार्वतीपुर मार्ग को खोलने के सम्बन्ध में अभी पाकिस्तान के प्राधिकारी विचार कर रहे हैं ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : हमारी सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच होने वाले इस करार को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ?

†**श्री अलगेशन** : हमें देखना पड़ेगा कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है । मैं अभी यह नहीं कह सकता वह अपनी प्रतिक्रियायें हमें कब तक सूचित कर सकेंगी ।

†**श्री बर्मन** : निःसंदेह, यात्रियों को पाकिस्तान में स्थित स्टेशनों पर नये टिकट खरीदने पड़ते हैं । लेकिन उन्हें अपने लिये पास भी तो लेने पड़ते हैं । क्या पाकिस्तान से ऐसी कोई वार्ता करने का विचार नहीं किया गया था जिससे कि बिना पारपत्रों के ही पाकिस्तान से हो कर यात्री यातायात का प्रबन्ध किया जा सके, और कोई ऐसा प्रबन्ध किया जा सके जिससे कि पाकिस्तान में यात्रा करते समय यात्री रेलवे स्टेशनों से दूर न जायें ? यदि हां, तो ऐसी वार्ताओं का क्या परिणाम निकला ?

†**श्री अलगेशन** : मेरा विचार है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता नहीं रखता । रेलवेज पाकिस्तान में से हो कर माल के परिवहन के लिये प्रबन्ध करती हैं । यात्रियों के सम्बन्ध में भी यही होता है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अन्य विनियमों की भी उपेक्षा कर सकते हैं ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच कलकत्ता से पार्वतीपुर, लाल मनीरहाट और अमीनगांव तक सीधे यातायात के लिये वार्तायें चल रही हैं ।

†**श्री अलगेशन** : मेरा विचार है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । माननीय सदस्य पार्वतीपुर होकर जाने वाले मार्ग की बात कर रहे हैं । मैं बता चुका हूं कि उस पर, अभी पाकिस्तान सरकार विचार कर रही है ।

गोदावरी नदी को उपयोगी बनाना

†*१३५६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि आन्ध्र क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्त्ति करने के बाद गोदावरी नदी के जल को दक्षिण भारत की ओर ले जाने के उद्देश्य से, गोदावरी नदी को उपयोगी बनाने की सम्भावना की जांच-पड़ताल की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर यदि कोई की गई है तो, क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या यह सच है कि मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने इस परियोजना के काम के शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने और उसकी अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में एक ही प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं ?

†**श्री हाथी** : मैंने उस प्रकार के समाचार देखे हैं । लेकिन, मद्रास सरकार ने केन्द्र से जांच-पड़ताल करने का अनुरोध किया है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर है—'नहीं' । उस सरकार ने अभी तक

†मूल अंग्रेजी में ।

केन्द्र से अनुरोध नहीं किया है। लेकिन मैंने इन वक्तव्यों के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में समाचार पढ़े हैं।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या इससे मैं यह समझूं कि आन्ध्र प्रदश की सरकार या मद्रास सरकार की ओर से सरकारी तौर पर ऐसा कोई भी अनुरोध नहीं किया गया है।

†**श्री हाथी** : मद्रास सरकार से हमारे पास ऐसी कोई भी योजना नहीं आई है। आन्ध्र प्रदेश के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। मैं उसकी जांच करूंगा।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले एक ऐसा प्रस्ताव किया गया था कि गोदावरी के जल को अधिक ऊंची सतओं पर कृष्णा नदी में ले जाकर गोदावरी और कृष्णा नदी घाटी योजनाओं को एकीकृत कर दिया जाये ?

†**श्री हाथी** : यह वही योजना है जिसे वास्तव में नन्दीकोन्डा योजना, अब नागार्जुन सागर योजना, की जांच-पड़ताल के समय प्रारम्भ किया गया था। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा दक्षिणी जोन की नदियों, अर्थात् कृष्णा, कावेरी और पैन्नर नदियों, के उपयोग के समूचे प्रश्न के सम्बन्ध में ही उन अवस्थाओं में जांच-पड़ताल की गई है। आयोग अभी भी उनकी जांच-पड़ताल कर रहा है।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या उस योजना की व्यावहारिकता सिद्ध की जा चुकी है या नहीं ?

†**श्री हाथी** : जब तक कि हमें उन जांच-पड़तालों के अन्तिम परिणाम न मिल जायें, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि व्यावहारिकता सिद्ध हो चुकी है या नहीं।

†**श्री बाल कृष्ण** : मान लीजिये कि मद्रास सरकार एक ऐसा अनुरोध करती है, तब क्या उस दशा में केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश की सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ही मैत्रीपूर्ण और अनुकूल होने के कारण, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

†**श्री हाथी** : भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार को समस्त प्रविधिक सहायता देगी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रारम्भिक प्रविधिक समुद्री सम्मेलन

†*१३५८. { + **सरदार अकरपुरी** :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सितम्बर-अक्तूबर, १६५६ में लन्दन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रारम्भिक प्रविधिक समुद्री सम्मेलन की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कितने व्यक्ति सम्मिलित हुए थे; और

(ग) इस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** (क) जी, हां।

(ख) नौ।

(ग) क्योंकि सम्मेलन की यह बैठक १६५८ में होने वाले समुद्री सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन की तैयारी के लिये ही आयोजित की गई थी, इसलिये इसमें कोई निर्णय नहीं किये जाने थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

तूतीकोरिन एक्सप्रेस दुर्घटना

†*१३६०. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २३ नवम्बर, १९५६ को हुई तूतीकोरिन एक्सप्रेस की दुर्घटना के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों ने प्रतिकर के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं;

(ख) अभी तक कितने व्यक्तियों को और उनमें से प्रत्येक को कितना-कितना प्रतिकर दिया जा चुका है; और

(ग) कथित दुर्घटना में कितने रेलवे कर्मचारी मृत, अपंग और घायल हुए थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सात (११-१२-५६ तक)।

(ख) कोई नहीं ।

(ग)

मृत	घायल
१२	१३

इस दुर्घटना के फलस्वरूप अपंग हुए व्यक्तियों की संख्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपंगता के कारण किये गये दावों के सम्बन्ध में कोई निश्चय किये जाने के बाद ही बताई जा सकेगी ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि इस दुर्घटना में मरे सभी व्यक्तियों का हिसाब नहीं रखा गया था और यदि हां, तो अभी तक जिन मृत व्यक्तियों का पता नहीं लग सका है उनकी संख्या के बारे में सरकार का अपना अनुमान क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : १४९ शव पाये गये थे और अन्दाज यह है कि शायद इससे अधिक शवों क मलवे में दबे होने की सम्भावना नहीं थी । घायल व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति बाद में अस्पताल में मर गये थे, जिससे कि मृत व्यक्तियों की कुल संख्या १५२ हो गई थी । मेरा विचार है कि और अधिक लापता शवों के पाये जाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

†**श्री कामत** : कल उन्होंने महबूबनगर और अड़ियालूर की दुर्घटनाओं के बारे में १९ लाख रुपयों के अनुपूरक अनुदान की मांग की थी । इस राशि में से कितना रुपया अड़ियालूर की दुघटना के लिये दिये जाने वाले प्रतिकर के लिये अलग रख लिया गया है, या रखा जाने को है ?

†**श्री अलगेशन** : यह केवल एक अनुमान ही है; और इन राशियों को दावा आयुक्तों को सौंप दिया गया है । विभिन्न दावों को निर्धारित करने और उनके बारे में अपना पंचाट देने का काम दावा आयुक्त का है जैसे ही वह अपना पंचाट दे देगा, वैसे ही हमें पूरी धनराशि के सम्बन्ध में पता लग जायेगा । मैं ठीक-ठीक राशि बताने में असमर्थ हूं कि दावा आयुक्त द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की जायेगी ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या माननीय मंत्री द्वारा बताये गये आंकड़ों में उन मृत स्त्रियों की संख्या भी सम्मिलित है जो तीसरे दर्जे के जनाने डिब्बे में थी और जिसे अलग किया हुआ मान लिया गया था ?

†**श्री अलगेशन** : यह सही नहीं है । इन आंकड़ों में सभी सम्मिलित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

मुग्मा और फटका स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का धंस जाना

+

†अ० सू० प्र० संख्या १२. { श्री काजरोल्कर : / श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की सीमा पर स्थित मुग्मा और फटका स्टेशनों के बीच की रेलवे लाइन हाल में धंस गई थी ।

(ख) क्या यह सच है कि कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा समय पर चेतावनी दे दिये जाने के कारण इस लाइन पर एक गम्भीर रेलवे दुर्घटना होने से रह गई थी;

(ग) यदि हां, तो उस घटना का ब्योरा और चेतावनी देने वालों के नाम क्या हैं; और

(घ) सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा की गई इस महान् सेवा को सार्वजनिक रूप से मान्यता देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]**

†**श्री काजरोल्कर** : क्या सरकार सभी रेलवे लाइनों, और विशेषकर खानों के क्षेत्रों से हो कर गुजरने वाली रेलवे लाइनों की बहुत बारीकी से जांच-पड़ताल करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

†**श्री अलगेशन** : इस एक मामले की हमें सूचना मिल गई है, और सौभाग्यवश इस दुर्घटना से हमें एक स्त्री और तीन अन्य व्यक्तियों ने बचा लिया है । अभी इस समय तो हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है ।

†**श्री काजरोल्कर** : विवरण में कहा गया है कि उन्हें ३०० और २०० रुपयों के पुरस्कार दिये गये हैं । क्या सरकार इस रकम को इतनी बड़ी सेवा के लिये एक समुचित पुरस्कार मानती है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां, रेलवे का यही विचार था और इसीलिये ये पुरस्कार दिये गये थे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार इन समाचारों का स्पष्टीकरण कर सकने की स्थिति में है कि वहां जमीन के धंसने का कारण भू निम्न जल के स्तर का ऊंचा हो जाना है और क्या सरकार भू निम्न जल के स्तर के ऊंचे हो जाने के बारे में देश भर में कोई सर्वेक्षण कराने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री अलगेशन** : वहां जमीन धंसने का कारण भू निम्न जल के स्तर का ऊंचा हो जाना नहीं है । इसका कारण तो वहां की एक पुरानी खान थी, जिसके कारण ही जमीन धंस गई थी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : विवरण से तो ऐसा लगता है कि वहां रेल मार्ग में एक गढ़ा था और जिस समय रेल मार्ग नीचे धंस रहा था उस समय धुंआ निकल रहा था । धुंआ निकलने का क्या कारण था ? क्या खान में कोई आग थी ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने जो विवरण रखा है उसमें धुंयें का कारण उसमें भरी गैसें और उस गढ़े से निकलने वाले काफी अधिक ताप बताया गया है । खनन सलाहकार का विचार था कि वह धुंआं उस स्थान पर मौजूद एक पुरानी खान के कारण भी रहा होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पुरानी खान से निकलने वाली गैसें आदि ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे बोर्ड का वह संगठन, जिस में मुख्य खनन इंजीनियर या खनन इंजीनियर सम्मिलित हैं, और जिसका कार्यालय धनबाद में है, उन स्थानों पर जहां कि रेल मार्ग खानों के ऊपर से होकर जा रहा है इन चीजों की जांच नहीं करता है ।

†**श्री अलगेशन** : इन सभी चीजों की जांच करने की उससे आशा की जाती है, और वह इनकी जांच करने वाले अधिकारियों में से एक है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह अधिकारी निरीक्षण करने के लिये लाइनों पर जाता है, या वह अपने कार्यालय में बैठा रहता है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं तो समझता हूं कि वह लाइन पर भी जाता है ।

भारतीय नाविक

†**अ० सू० प्र० संख्या १३. श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल फ्लीट आक्जीलियरी द्वारा उनके "वेव प्रोटेक्टर" नामक जहाज में काम पर सेवायुक्त भारतीय नाविकों के साथ बुरा बर्ताव किये जाने के कुछ दोषारोपण किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस जहाज पर सेवायुक्त पी० पी० वर्द्धीज नामक एक नाविक ने शिकायत की थी कि मास्टर, फर्स्ट मेट और विशेषकर सेकिंड मेट ने नाविकों के साथ असभ्य व्यवहार किया था । इस अस्पष्ट दोषारोपण के अतिरिक्त, किसी भी बुरे बर्ताव की कोई स्पष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इस शिकायत के सम्बन्ध में आवश्यक जांच प्रारम्भ कर दी गई है ।

†**श्री कामत** : इस जहाज पर सेवायुक्त भारतीय नाविकों और रेटिंगों को क्या कर्त्तव्य सौंपे गये हैं, या सौंपे गये थे और उन्हें प्रतिदिन कितने घण्टे काम करना पड़ता है और क्या इस जहाज के ब्रिटिश रेटिंगों की तुलना में उनके साथ कोई विभेद किया जाता है ।

†**श्री अलगेशन** : ये सभी बातें उन्हीं अनुच्छेदों द्वारा शासित होती हैं, जिन पर कि उन्होंने हस्ताक्षर किये थे और जिन के आधार पर विभिन्न सम्बन्धित जहाजों द्वारा उनको सेवायुक्त किया जाता है । मुझे भारतीयों के विरुद्ध किये गये किसी विभेद के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री ने एक व्यक्ति का नाम लिया था । क्या इस कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में सरकार को बम्बई के संयुक्त नाविक संघ की ओर से कोई प्रतिनिधान भी प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो क्या केवल उस एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उस संघ के प्रतिनिधान के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : संयुक्त नाविक संघ ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है और उसने भी वर्द्धीज द्वारा कही गई कहानी ही दोहराई है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सोचने के भी कुछ कारण हैं कि इस 'वेव प्रोटेक्टर' पर भारतीय रेटिंगों के साथ किये गये दुर्व्यवहार का मुख्य कारण जहाजी अधिकारियों की यह दुर्भावनापूर्ण इच्छा मिस्र में ब्रिटिश आक्रमण के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के प्रति घृणा व्यक्त करने के लिये है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अलगेशन** : हमारे पास जो शिकायत आई है उसे हमने आवश्यक जांच के लिये अदन स्थित आयुक्त के पास भेज दिया है। और स्वाभाविक ही है कि हम कोई परिणाम निकालने से पूर्व उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मैसूर में अनावृष्टि की स्थिति

†*१३३१. **श्री न० राचय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के मैसूर जिले में वर्षा न होने के कारण हुई दुर्दशा अभी तक विद्यमान है;

(ख) स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्र की ओर से अभी तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) अभी तक इस प्रयोजन से कितना खाद्यान्न भेजा गया है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) हाल ही में सारे जिले में जो वर्षा हुई है, उससे स्थिति सुधर गई है, और अब वहां की स्थिति बहुत खराब नहीं है।

(ख) केन्द्र ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ग) सहायता कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों के नाम ११ रुपये प्रति मन की कम कीमत पर ३० हजार मन चावल भेजा गया है और ६,५०० मन चावल मैसूर जिले में 'उचित दामों' वाली दूकानों द्वारा बेचे जाने के लिये १६/८/– प्रति मन के हिसाब से भेजा गया है।

नहरों को बाढ़ के कारण हुई क्षति

†*१३३२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जो कि अक्तूबर, १६५५ की अभूत पूर्व बाढ़ों के कारण भारत और पाकिस्तान की नहरों को हुई क्षति की जांच करने वाले बैंक इंजीनियरों के दल ने प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या-क्या सिफारिशें हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन

†*१३३३. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके 'यार्ड' को फिर से बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) प्रस्थापना में यह सम्मिलित है कि छोटी लाइन के यात्री प्लैटफार्मों और यार्ड को बड़ी लाइन के वर्तमान स्टेशन के पूर्व की ओर हटा कर बनाया जाये, ७ यात्री-प्लैटफार्मों के थले बनाये जायें, छोटी लाइन के स्टेशन की एक छोटी बिल्डिंग बनाई जाये, छोटी लाइन का पार्सल आफिस बनाया जाये। जिसके साथ प्लैटफार्म भी हो और छोटी लाइन से बड़ी लाइन को जाने वाले यात्रियों और पार्सलों के लिये मध्य मार्ग बनाया जाये। इस सारी योजना पर लगभग १·५ करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

मद्रास पत्तन पर आयात किया गया कोयला

†*१३३५. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन पर पड़ा हुआ बहुत-सा आयात किया गया कोयला रेलों के लिए है;

(ख) क्या बन्दरगाह में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को जो कम मजूरी दी जा रही है, उसका कारण यह है कि दक्षिण रेलवे के मुख्य संचालन अधीक्षक ने मद्रास बन्दरगाह में कोयला उतारने के लिये श्रम-ठेके के लिये न्यूनतम दर वाला टेंडर स्वीकार किया था;

(ग) सी० ओ० पी० एस० ने बन्दरगाह के कोयले के ठेकेदारों स मिल कर श्रमिकों की मजूरी की क्या दर निश्चित की थी;

(घ) उपरोक्त ठेकेदार बन्दरगाह के मजदूरों को किस दर से मजरी द रहे हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि बहुत कम मजूरी के कारण मजदूरों में बहुत अधिक असंतोष विद्यमान है; और

(च) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) सी० ओ० पी० एस० ने सामान्य तरीके के अनुसार न्यूनतम दर वाले टेन्डर को स्वीकार किया था। यह विदित नहीं कि क्या बन्दरगाह के मजदूरों को कम मजूरी मिलने का कारण यह है कि न्यूनतम दर वाला टेंडर स्वीकार किया गया था।

(ग) सी० ओ० पी० एस० तो केवल जहाजों से उतरने वाले कोयले को उतारने के लिये ठेके के दर स्वीकार करता है। फिर आग ठेकेदार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह मजदूरों को स्थानीय चालू दरों के अनुसार प्रतिदिन मजूरी दे। अथवा वह ऐसे उच्च दरों पर मजूरी दे जो कि मालिक और मजदूरों द्वारा परस्पर निर्धारित किये जायें।

(घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि ठेकेदार मद्रास पत्तन में कोयला उतारने के लिये रेलवे से किस-किस दर पर रुपया प्राप्त करता है और वह किस-किस दर पर कोयला मजदूरों को मजूरी देता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ङ) और (च). स्थिति को सुनिश्चित किया जा रहा है।

भारी मशीनों का आयात

†*१३३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन भारी मशीनों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा पृथक् रक्षित की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि योजना-काल में लगभग १,५०० करोड़ रुपये की मशीनें तथा यान खरीदे जायेंगे। इसमें अधिक राशि भारी मशीनों तथा परिवहन उपकरणों (जिनमें यान भी सम्मिलित हैं) के लिये हैं ।

रूस में भारतीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†*१३४६. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूस के केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें देने का प्रस्ताव किया है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा)**: रूस के केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के प्रधान ने, रूस को गये हुए भारतीय सहकारी प्रतिनिधिमंडल से की गयी बात-चीत के दौरान में रजामन्दी प्रकट की थी कि वे रूस की सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में भारतीयों को प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार हैं। परन्तु अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है।

नागार्जुन सागर परियोजना

†*१३५०. **श्री च० रा० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जन सागर परियोजना की दाहिने ओर की नहर की लम्बाई में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर लगभग कितना खर्च आयेगा; और

(ग) परियोजना के दोनों ओर की नहरों का कौन-कौन सा भाग इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जायेगा और पूरा कर दिया जायेगा, और उन पर कितना खर्च आयेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) नहर को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाने के लिये जो विस्तृत जांच की जायेगी, उसके परिणामस्वरूप नहर की लम्बाई में कुछ परिवर्तन होने की सम्भावना है।

(ख) यह उस समय ज्ञात होगा जब कि प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इमारती लकड़ी के बारे में प्रादेशिक सर्वेक्षण

†*१३५१. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री खाद्य तथा कृषि संघटन के एशिया प्रशांत वन सम्बन्धी आयोग द्वारा इमारती लकड़ी के बारे में किये गये प्रादेशिक सर्वेक्षण से सम्बन्ध रखने वाले, ७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वह सवक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा)**: (क) जी, हां। इमारती लकड़ी क उत्पादन, मार्किटिंग, और अन्तिम उपयोग के बारे में आंकड़ इकट्ठे करन क लिये खाद्य तथा कृषि संघ से प्राप्त

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सम्बन्धित प्रोफार्मों को राज्यों के वन तथा उद्योग विभागों को भेज दिया गया है। यह आशा है कि प्रतिवेदन सन् १९५७ के उत्तर भाग में पूरा हो जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डूंगरगढ़ के स्टेशन मास्टर की कथित पिटाई

*१३५४-क. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे-पुलिस के एक सब-इन्स्पेक्टर ने डूंगरगढ़ के स्टेशन मास्टर को बुलवाकर उससे कुछ बात निकलवाने के लिये उसकी निर्दयतापूर्वक पिटाई की थी;

(ख) क्या उक्त सब-इन्स्पेक्टर ने स्टेशन मास्टर का डाक्टरी मुआयना कराने से इनकार कर दिया था, जिसके फलस्वरूप जिलाधीश और डिवीज़नल सुपरिंटेंडेंट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा;

(ग) क्या यह सच है कि अब तक उस सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उस दिन, अर्थात् २७ मई, १९५६ को बीकानेर से मेड़ता जाने वाली सवारी गाड़ी संख्या एल-जे० एम० बी० इस घटना के कारण दो घण्टे लेट हो गयी थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सब-इन्स्पेक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है क्योंकि स्टेशन मास्टर ने इस मामले पर मुकदमा चलाया है और मामला इस समय अदालत में है।

(घ) जो, हां।

दिल्ली परिवहन सेवा

*१३५७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये मार्गों पर बसें चलाने के निमित्त दिल्ली परिवहन सेवा द्वारा जन प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी, हां।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

वंशधरा नदी परियोजना

†*१३५९. **डा० रामा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वंशधरा नदी परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक पदाधिकारी ने उस क्षेत्र का हाल ही में निरीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) वंशधरा परियोजना पहल ही द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित की जा चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) जी , हां ।

(ग) उस पदाधिकारी द्वारा प्रस्थापित बांध की नदी के उपरि भाग पर वैकल्पिक स्थानों का निरीक्षण किया गया है और उनमें से सब से अधिक उपयुक्त यह समझा गया है कि गुदारी गांव से लगभग ३ १/२ मील दूर ऊपर की ओर पर एक स्टोर-बांध बनाया जाये, और गोटा के निकट एक बन्ध बनाया जाये । इस सम्बन्ध में अभी और अधिक जांच करने की आवश्यकता है ।

पर्यटन

***१३६१. श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय में बद्रीनाथ और केदारनाथ के यात्रा मार्गों पर विश्राम-गृहों के सुधार के लिये जो दस लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी, क्या उस धन के उपयोग के लिये विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उन विश्राम-गृहों के स्थान, अनुमानित व्यय, निर्माण एजेंसी और भावी प्रबन्ध आदि के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने का क्या कारण है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४७**]

मनीपुर में गोहत्या पर प्रतिबन्ध

†***१३६२. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य में गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबन्ध मनीपुर के सम्पूर्ण राज्य में लागू है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों अथवा उनके संघटनों से परामर्ष लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों तथा संघटनों से परामर्ष लिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). गोहत्या केवल मनीपुर वादी में ही प्रतिबन्धित है, और वह भी एकीकरण से पहले वाले दरबार संकल्पों के अधीन पहाड़ी क्षेत्रों में इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे चुनाव बोर्ड

†***१३६३. पं० मु० बि० भार्गव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर[1] ग्रेड के पदों के लिये रेलवे कर्मचारियों की परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा लेने वाले चुनाव बोर्डों के संगठन के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के विद्यमान आदेश क्या हैं;

(ख) क्या ऐसी कालावधि निर्धारित है जिसमें चुनाव बोर्ड की कार्यवाही अन्तिम रूप से समाप्त हो जानी चाहिये तथा तालिका बन जानी और घोषित हो जानी चाहिये;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Selection.

(ग) यदि हां, तो वह कालावधि क्या है;

(घ) पश्चिम रेलवे के ऐसे चुनाव बोर्डों की कितनी संख्या है जिनके परिणामों की यदि कोई उल्लिखित कालावधि है, तो उस कालावधि को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में पिछले कुछ समय से तालिकायें घोषित नहीं की जाती हैं; और

(च) यदि हां, तो कितने चुनाव बोर्डों की तालिकायें घोषित नहीं की गई हैं, तथा क्या यह रेलवे बोर्ड के आदेशों के प्रतिकूल नहीं हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) चुनाव बोर्डों में ३ से कम पदाधिकारी नहीं होने चाहियें। जो पद समस्त रेलवे आधार पर भरे जाते हैं, उनसे सम्बन्धित चुनाव बोर्डों में कनिष्ठ प्रशासी श्रेणी से नीचे पदाधिकारी नहीं होने चाहियें। अन्य पदों के लिये, बोर्डों में ज्येष्ठ श्रेणी से नीचे के पदाधिकारी नहीं होने चाहियें। यदि सम्भव हो तो कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष रूप में किसी अन्य सदस्य के अधीन नहीं होना चाहिये।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(घ) ८।

(ङ) नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिवा-दसगांव रेलवे लाइन

†*१३६४. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री २२ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवा-दसगांव लाइन का द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो विनिश्चय क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सतना-रीवां-गोविन्दगढ़ रेलवे लाइन

*१३६५. **श्री रनदमन सिंह :**
श्री आ० चं० जोशी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश में सतना-रीवां-गोविन्दगढ़-क बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण की प्रस्थापना लागू किये जाने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ग) क्या लाइन के निर्माण का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आरम्भ किया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) निर्माण-कार्य कब तक शुरू होने की आशा है और इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस सुझाव पर अभी छानबीन हो रही है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) और (घ). दूसरी पंचवर्षीय योजना में नयी रेलवे लाइनों के लिये बहुत थोड़ी रकम रखी गयी है । इसलिये, इस लाइन के बनने की सम्भावना बहुत कम है ।

खड़गपुर में रेलवे कर्मचारियों की मुअत्तिली

†*१३६६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़गपुर रेलवे कर्मचारियों को केवल पुलिस द्वारा बन्दी बनाये जाने के फलस्वरूप कर्त्तव्य से मुअत्तिल किया गया था;

(ख) क्या कर्मचारियों को दी गयी मुअत्तिली की पूर्व सूचनाओं में और कोई कारण बताया गया था;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(घ) क्या यह सामान्य प्रथा नहीं है कि मुअत्तिल कर्मचारियों को न्यायालयों द्वारा उन आरोपों से सम्मानपूर्वक विमुक्त किये जाने के पश्चात् जो मुअत्तिल किये जाने के भी कारण हों, काम पर फिर वापिस ले लिया जाये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पुलिस द्वारा बंदी बनाये जाने के फलस्वरूप २५८ कर्मचारी अपने काम से मुअत्तिल किये गये थे ।

(ख) और (ग). २५८ बंदी व्यक्तियों को दिये गये मुअत्तिली के आदेशों में और किसी कारण का उल्लेख न था ।

(घ) जी, हां, परन्तु २३३ व्यक्तियों के मामले जांच के लिये नहीं भेजे गये थे तथा शेष २५ मामले जांच के लिये सौंप दिये गये हैं । इन मामलों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

यात्री सुविधायें

†*१३६७. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे-बड़े सभी स्टेशनों पर दी जाने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम यात्री सुविधायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में दी जायेंगी; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई कार्यक्रम बना लिया गया है या बनाया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि ये सुविधायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी स्टेशनों पर दी जायेंगी या नहीं ।

(ख) ऐसे कार्यों के लिये यात्री सुविधा समिति के परामर्श से उपलब्ध धनराशि के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जहाजों का क्रय

†*१३६८. **श्री गिडवानी :**
श्री ब० द० पांडे :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 'जल जवाहर' और 'जल आज़ाद' जहाज सिंदियास से मोल लिये थे तथा ये दोनों जहाज लंदन मार्ग पर खराब हो गये थे और सेवा से हटा लिये गये थे; और

(ख) ये दोनों जहाज कितने मूल्य पर खरीदे गये थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एस० एस० 'जल जवाहर' (जिसका नाम बदल कर एस० एस० 'मद्रास राज्य' रखा गया है) और एस० एस० 'जल आज़ाद' (जिसका नाम बदल कर एस० एस० 'बम्बई राज्य' रखा गया है) १९५४ में ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लि० द्वारा सिंदिया कम्पनी से खरीदे गये थे तथा इनके मूल्य क्रमशः ९५,५२,६९९ रु० और ९१,७२,८४५ रु० थे। जहाजों को भारत/इंग्लैंड महाद्वीप मार्ग से इस कारण नहीं हटाया गया था कि वे खराब हो गये थे या टूट गये थे अपितु इस कारण हटाया गया था कि हानि होने से सिंदियास उन्हें इस व्यापार में लगाये रखने में असमर्थ थे।

यात्री-डिब्बों और माल के डिब्बों का निर्माण

†*१३६९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय निर्माता संघ, बम्बई के अध्यक्ष की उस साक्ष्य की ओर आकर्षित किया गया है जो उसने प्राक्कलन समिति के समक्ष यात्री-डिब्बों और माल के डिब्बों की कमी को दूर करने एवं उनके सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनने के लिये, उनके निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र के सहयोग तथा उसे प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में दी थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी, हां। माल के डिब्बों और यात्री-डिब्बों के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्बद्ध किया गया है।

त्रिपुरा में बांसों पर कर

†*१३७०. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारा नगर, त्रिपुरा में बिकने वाले प्रति १०० बांसों पर कितना कर लिया जाता है;

(ख) क्या भारत के अन्य भागों में लिये जाने वाले ऐसे करों की अपेक्षा यह कर बहुत अधिक है; और

(ग) क्या सरकार आदिम जाति के भूमिहीन झुमिया कृषकों एवं विस्थापित व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बिना कर के वर्ष भर बांस एकत्रित करने की अनुमति देती है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : धर्म नगर, परगना, सहित त्रिपुरा राज्य में स्वामिस्व की प्रचलित दर १-२-९ रु० प्रति सैकड़ा बांस है (धारा नगर नामक कोई स्थान नहीं है)।

(ख) त्रिपुरा में स्वामिस्व की दर मिले हुए आसाम राज्य में प्रचलित दर की अपेक्षा कम है। अन्य राज्यों में प्रचलित दरों सम्बन्धी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) वास्तविक आदिम झुमिया जाति के लोग वर्ष में कभी भी अपने घरेलू कार्य तथा विक्रय के लिये जंगल में पैदा होने वाली सारी छोटी-छोटी वस्तुओं को, जिनमें बांस भी सम्मिलित हैं, काट

†मूल अंग्रेजी में।

सकते हैं। भूमिहीन कृषकों और विस्थापित व्यक्तियों को जो त्रिपुरा के वास्तविक निवासी हैं, प्रतिवर्ष जनवरी से मार्च तक के काल में अपने घरेलू प्रयोग के लिये प्रति परिवार ५०० तक बांस बिना किसी स्वामित्व के देने के एकत्रित करने की अनुमति है।

महुआ की खली की खाद

†*१३७१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महुआ की खली के खाद सम्बन्धी तत्व की कोई खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो यह अलसी और सरसों की खली की अपेक्षा कितनी लाभदायक है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) गेहूं, कपास, ईख, आलू और मिर्चों आदि की फसलों के लिये यह अलसी और सरसों की खली की अपेक्षा बहुत कम लाभदायक है। यदि इसे सीधे भूमि में मिला दिया जाये तो यह ऐसी खलियों की अपेक्षा अच्छी सिद्ध नहीं होती। यदि इसे मिट्टी और लकड़ी के कोयले से कम्पोस्ट किया जाये, तो कम्पोस्ट की गई सामग्री उन खलियों की अपेक्षा अच्छी रहती है।

दिल्ली परिवहन सेवा[1] में 'किराया सम्बन्धी छली गुट'

†*१३७२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत सितम्बर में दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में 'किराया सम्बन्धी एक छली गुट' का पता लगा था;

(ख) जो कर्मचारी इस छली गुट में अन्तर्ग्रस्त थे, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी; और

(ग) क्या दिल्ली परिवहन सेवा मजदूर संघ ने इस छल को रोकने के लिये प्राधिकारियों को सहयोग दिया था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नागार्जुनसागर परियोजना

†*१३७३. **श्री च० रा० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनसागर परियोजना के आयाकट क्षेत्र में खण्ड परिमाप (तल अभिलेखन) का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक पूर्ण होने की आशा है; और

(ग) क्या भूमि अर्जन तथा अन्य सम्बन्धित कार्य आरम्भ हो गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान्। खण्ड परिमाप (तल अभिलेखन) का कार्य अभी हो रहा है।

(ख) दाहिनी ओर की नहर पर जून, १९५७ तक काम के पूरे हो जाने की आशा है, जबकि बायें किनारे की नहर पर कार्य के १९५९-६० में पूरे होने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ग) हां, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]D. T. S.

खाद्य तथा कृषि संघ

†*१३७४. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि-लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये खाद्य तथा कृषि संघ से कुछ सहायता मिलने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस रूप में ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) खाद्य तथा कृषि संघ केवल परियोजनाओं के विकास के लिये टेक्नीकल सहायता देता है। यह विशष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित कृषि-लक्ष्यों के लिये नहीं है; परन्तु इस सहायता से अन्त में उस क्षेत्र में भी सहयता मिलती है ।

(ख) खाद्य तथा कृषि संघ की सहायता निम्न रूपों में उपलब्ध है :

(१) विशेषज्ञों को भेजकर मंत्रणा एवं सहायता देना;

(२) प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण देना, अधिछात्र वृति और सेवा में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना;

(३) विशेषज्ञों के प्रयोग के लिये "उनके कार्य के लिये औज़ार" के रूप में सामग्री; और

(४) वैज्ञानिक और गवेषणा के ज्ञान का प्रसार ।

यात्री सुविधायें

†*१३७५. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री १० मार्च १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर के सम्बन्ध में, जो कि कटिहार भाग में पायदान पर खड़े होकर यात्रा करने के सम्बन्ध में था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस भाग पर गाड़ियों में, विशेषतः मेलों के मौसम में, जगह की कमी के कारण पायदानों पर खड़े होकर सफर करने से रोकने के लिये पर्याप्त इंजन और डिब्बों की व्यवस्था कर ली गई है; और

(ख) क्या सरकार को हाल ही में हुए गर्बेनाली मेले में, उक्त भाग में पायदानों तथा छत पर यात्रा करने के बारे में कुछ ज्ञात है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के अन्य भागों की आवश्यकता के अनुसार कटिहार को भी उस भाग पर उपयोग के लिये इंजन डिब्बे दे दिये गये हैं।

मेले के दिनों में अधिकतम अतिरिक्त डिब्बे, जो अन्य संसाधनों से प्राप्त हो सके हैं इस क्षेत्र को दे दिये गये हैं ।

नये डिब्बों के उपलब्ध होने पर उस क्षेत्र की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

(ख) गर्बेनाली मेले के दिनों में किसी यात्री द्वारा गाड़ी की छत पर सफर करने की सूचना नहीं मिली है, किन्तु पायदानों पर सफर करने के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिक़ार

†*१३७६. **श्री नम्बियार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के अनुदेश पर दिल्ली राज्य सरकार ने दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के श्रमिकों से सम्बन्धित कुछ औद्योगिक विवाद, अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण दिल्ली को सौंप दिये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के सचिव, ३ सितम्बर, १९५६ को, दिल्ली परिवहन सेवा श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों की इस प्रार्थना पर सहमत हो गये हैं कि कुछ विवादों के सम्बन्ध में एक मध्यस्थ नियुक्त कर दिया जाय; और

(ग) यदि हां, तो क्या तब से कोई मध्यस्थ नियुक्त हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

रेकार्ड रखना

***१३७७. श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछली मूल्यांकन रिपोर्ट के पृष्ठ २६ पर उल्लिखित रिकार्ड्स की त्रुटियों को दूर करने के बारे में दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में कोई आदेश निकाले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि विकास अफसर अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के रोजनामचों की मौके पर ही जांच नहीं करते हैं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों को जो पत्र भेजा गया है उसकी प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ग) कर्मचारियों की डायरियों की जांच विकास अधिकारी अपने साधारण उत्तरदायित्व के अन्तर्गत ही किया करते हैं ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†***१३७८. डा० रामा राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर तथा अन्य कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों;

(ग) कितने व्यक्ति नियुक्त हो चुके हैं तथा उनका वेतनक्रम क्या है; और

(घ) 'रेडियोलॉजी' विभाग कब तक स्थापित हो जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था स्वायत्तशासी संस्था है । स्वायत्त संस्थाओं में, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही नियुक्तियां करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) तीन प्रोफेसर, एक सहयोगी प्रोफेसर, और दो सहायक प्रोफेसर । उनके वेतनक्रम इस प्रकार हैं :

प्रोफेसर —१३००–६०–१६००–१००–१८०० रुपये + ४०० रु० प्रतिकरात्मक भत्ते के रूप में ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सह प्रोफेसर ८००–४०–१०००–१०५०–१०५०–११००–११००—११५०–५०–१३०० रुपये + ३०० रुपये प्रतिकरात्मक भत्ते के रूप में ।

सह प्रोफेसर ५००–२५–६५०–३०–८०० रुपये + ३०० रुपये प्रतिकरात्मक भत्ते के रूप में ।

इनके अतिरिक्त प्रदर्शक, टेक्नीशियनों तथा प्रयोगशाला कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है ।

(घ) 'रेडियोलॉजी' विभाग की इमारत का नक्शा बन चुका है तथा मंगाये जाने वाले उपकरणों की सूची की जांच की जा रही है । जैसे ही उपकरण प्राप्त होंगे तथा इमारत तैयार हो जायेगी, विभाग अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा ।

आसाम में तेल का रेलवे द्वारा परिवहन

†*१३७९. **श्री देवेन्द्रनाथ शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में हाल में पाये गये तेल के परिवहन के लिये, रेल परिवहन का विकास करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) योजना को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाल में पाये गये तेल को परिष्कृत करने के लिये, तेल शोधनशाला का स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया है । इसलिये तेल के परिवहन के लिये रेल परिवहन के विकास की योजना अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये कृषि सम्बन्धी वित्त तथा उधार का प्रादेशिक केन्द्र

†*१३८०. **सरदार इक़बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये कृषि सम्बन्धी वित्त तथा उधार के प्रादेशिक केन्द्र ने क्या कार्य किया है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये कृषि सम्बन्धी वित्त तथा उधार का प्रादेशिक केन्द्र १ अक्तूबर से १३ अक्तूबर, १९५६ तक खाद्य तथा कृषि संगठन तथा एशिया व सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के सहयोग से लाहौर (पाकिस्तान) में काम कर रहा था जिसमें भाग लेने वालों ने अल्प विकसित ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय विकास कृषि में बचत तथा पूंजी निर्माण बेकार तथा कई मौसमों में अर्द्ध-बेकार मजदूरों से काम लेने, अल्प, मध्यम तथा दीर्घ-कालीन कृषि उधार पद्धति, कृषि सम्बन्धी उधार तथा बित्री के बीच अन्तः सम्बन्ध भूमि व्यवस्था तथा भूमि सम्बन्धी सुधारों के वित्तीय पहलू, ग्रामीण उधार का सर्वेक्षण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में चर्चा की गई ।

चर्चा के अलावा पाकिस्तान की सरकार द्वारा कई पर्यवेक्षण दौरों की व्यवस्था की गई । इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं यथा थल विकास परियोजना, तथा अन्य सहकारी संस्थाओं की जांच की गई ।

केन्द्र में किये गय कार्य के प्रतिवेदन के खाद्य तथा कृषि संगठन से प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

गोआ तथा पाकिस्तान को चोरी छिप गेहूं का ले जाया जाना

†*१३८१. **श्री कामत :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०० तथा उनके सम्बन्ध में पूछे गये पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यापारियों का नाम बम्बई से खाद्यान्नों के निर्यात के कारण कृष्ण सूची में दर्ज किया गया; और

(ख) सरकार इस मामले में और आगे क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). उनमें से कुछ को खाद्यान्न का देना रोक दिया गया था। तत्पश्चात् वितरण पद्धति बदल दी गयी। थोक व्यापारियों के स्थान पर सीधे परचून दुकानदारों को ही माल दिया गया। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, किसी भी व्यापारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा सकी कि विधि न्यायालय में अभियोक्ता के लिये ठोस प्रमाण का देना बहुत कठिन था।

रुड़की से बद्रीनाथ तक सड़क के लिये अनुदान

*१३८२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में रुड़की से बद्रीनाथ तक की सड़क का सुधार व विकास करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष (वित्तीय) सहायता देने का निश्चय कुछ समय पहले किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस सड़क के प्रत्येक अंश के लिये कितने अनुदान की स्वीकृति दी गई थी;

(ग) उन अंशों के सुधार व विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा उनके लिये भारत सरकार कितने-कितने अनुदान दे चुकी है; और

(घ) शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के बारे में कौनसी विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०**]

(घ) काम को करने की जुम्मेवारी उत्तर प्रदेश सरकार की है और उस सरकार को यह मालूम है कि यह काम बहुत जल्दी करने का है।

ज़हाज

†*१३८३. **श्री मात्तन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उन्होंने जहाज के मालिकों की परामर्शदातृ समिति की बैठक में २८ नवम्बर, १९५५ को निम्नलिखित बात कही थी :

"मेरी यह तीव्र इच्छा है कि हम तटीय व्यापार की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये शीघ्र ही २५—३० जहाजों की खरीद की योजना बनायें। परिवहन मंत्रालय, कई नये अथवा पुराने जहाजों को विदेशों से मंगाने की संभावना पर विचार कर रहा है।"

(ख) यदि हां, तो उन्होंने तटीय नौवहन का वर्तमान कमी का अनुमान किस प्रकार लगाया जिसे दूर करने के लिये २५—३० जहाजों की आवश्यकता होगी;

(ग) उक्त २५—३० जहाज एक वर्ष में कितना टन माल ले जायेंगे; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) सरकार ने विदेशों से कई नये अथवा पुराने जहाज प्राप्त करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये कितने जहाज तथा कितने कुल पंजीकृत टनभार की आवश्यकता होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ग) एक वर्ष म २५—३० जहाजों द्वारा ले जाये जाने वाले टनभार का अनुमान लगाना संभव नहीं है; मोट तौर पर वे ६ से ७ लाख टन तक माल ले जा सकते हैं।

(घ) सरकार ने उधार सहायता मंजूर करने तथा भारतीय नौवहन समवायों को जहाज प्राप्त करने क लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा देने की योजना जारी कर दी है। जिसके फलस्वरूप ७ जहाज (जिन में एक तेलवाही जहाज भी शामिल है), जिनका कुल पंजीकृत टनभार लगभग ३०,००० पंजीकृत टन होगा, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में प्राप्त कर लिये गये हैं। १७०० जीकृत टनभार के दो तटीय जहाजों के निर्माण के लिये विदेशों में आर्डर दिया जा चुका है।

ठंडे[1] डिब्बे

†***१३८४. श्री काजरोल्कर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है कि पश्चिम, मध्य तथा उत्तर रेलवे में, बम्बई पठानकोट तथा बम्बई अमृतसर की लम्बी दूरी के बीच, सड़ने गलने वाले पदार्थों के लिये ठंडा डिब्बा लगाया जाये; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है, तो यह योजना कब लागू होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज-यक्ष्मा अस्पताल (चिकित्सालय)

***१३८५. श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि मध्यम तथा निम्न वर्गों के व्यक्तियों को सस्ते इलाज की सुविधा प्रदान करने के बारे में राज-यक्ष्मा अस्पताल (चिकित्सालय) स्थापित करने की जिस योजना को स्वीकृत किया जा चुका है, उसे कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : चालू वर्ष में ३५ और १९५७-५८ में लगभग ६० क्लिनिकों की स्थापना करने या उन्हें ऊंचे स्तर का बनाने का निर्णय किया गया है। इन क्लिनिकों के लिये एक्स-रे व प्रयोगशाला के दूसरे सामान प्राप्त करने का प्रबन्ध हो चुका है।

इमारती लकड़ी का सर्वेक्षण

†***१३८६. श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के वर्तमान जंगलों से उपलब्ध इमारती लकड़ी के संसाधनों का भली प्रकार सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा क्या इस बात का भलीभांति निश्चय किया जा चुका है कि स्वदेशी उत्पादन से रेलवे के लिये लकड़ी के सलीपरों की आवश्यकता की पूर्णतः पूर्ति हो जायेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Refrigerator.

यातायात सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस

†*१३८७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर १९५६ के पहिले सप्ताह में स्ट्रेसा में यातायात सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कांग्रेस में किन विषयों पर चर्चा हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अक्तूबर, १९५६ के अन्तिम सप्ताह में स्ट्रेसा में यातायात इंजीनियरिंग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सप्ताह मनाया गया ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३]**

रेलवे स्टीमर दुर्घटना

†*१३८८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५६ के द्वितीय सप्ताह में पूर्वोत्तर रेलवे के मोकामेह घाट पर माल से भरे हुए डिब्बों को ले जा रहा एक रेलवे स्टीमर डूब गया था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं; और

(ग) दुर्घटना के कारण कितनी हानि हुई थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्निया में पुल

†*१३८९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **परिवहन** मंत्री २० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५८४ तथा ३० सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्निया जिले में निम्न पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में तब से अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है :

(१) सोनापुरहाट स्थान पर महानद पर पुल,

(२) गंगा-दार्जिलिंग सड़क के मील ४९ पर डींगराघाट पर महानद पर पुल, और

(३) गंगा-दार्जिलिंग सड़क के मील ४७ पर हिगला खड पर पुल ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४]**

पर्यटक यातायात

†*१३९०. **सरदार इक़बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड से पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यवाहियों का स्वरूप क्या है और वे कहां तक सफल हुई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

खड़गपुर दुर्घटना

†*१३९१. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री २० नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर दुर्घटना के सम्बन्ध में सरकारी निरीक्षक का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या हैं ?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां उनके प्रतिवेदन को अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

(ख) सरकारी निरीक्षक के अनुसार कर्मकारों की गाड़ी की दुर्घटना इस कारण हुई थी कि इंजन से इंजन के चालकवृन्द को बलपूवक हटा लिया गया था और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ने, जिन्हें पहचाना नहीं गया, स्टीम रैंगूलेटर को पूरी तरह से खोलकर इंजन को चला दिया था ।

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

*१३९२. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने और किन-किन सामुदायिक विकास क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा चुका है और वे किन-किन राज्यों में स्थित हैं;

(ख) मूल्यांकन के लिये इन क्षेत्रों का चुनाव करते समय किन-किन बातों पर ध्यान दिया जाता है; और

(ग) मूल्यांकन करने का काम किन व्यक्तियों को सौंपा जाता है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) मूल्यांकन के लिये बीस क्षेत्र चुने गये थे । इस सम्बन्ध में विस्तार के साथ एक ब्योरा सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ख) मूल्यांकन के लिये चुने गये क्षेत्रों को देश के विभिन्न भागों की खेती और देहात के हालात के सम्बन्ध में साधारण तौर पर प्रतिनिधि स्वरूप माना गया था ।

(ग) आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की छानबीन में अनुभवी पदाधिकारियों को मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है ।

रेलवे पदाधिकारियों का सम्मेलन

†११००. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९५६ के अन्तिम सप्ताह में अतिरिक्त रेल यातायात का प्रबन्ध करने के लिए योजना बनाने के सम्बन्ध में दिल्ली में रेलवे पदाधिकारियों का जो चार दिन का सम्मेलन हुआ था उसमें किन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया था;

(ख) क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे; और

(ग) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अनुमान किया जाता है कि माननीय सदस्य अगस्त, १९५६ में रेलवे बोर्ड के कार्यालय में हुई रेलवे के चालन प्रमुखों की बैठक की ओर निर्देश कर रहे हैं । इस बैठक में प्राप्त किये गये परिणामों को देखते हुए, भारतीय रेलवे की चालन कार्यक्षमता के

†मूल अंग्रेजी में ।

विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार किया गया था और मांग तथा परिवहन की प्राप्यता के बीच अन्तर कम करने के विचार से परिवहन क्षमता में सुधार के लिये आवश्यक अग्रेतर कार्यवाहियां निर्धारित की गई थीं ।

(ख) तथा (ग). (१) पिछले काल की अवधि के उद्‌भरण से आगामी व्यापृत काल के लिये २० प्रतिशत अधिक उद्‌भरण लक्ष्य नियत किये गये थे ।

(२) चालन कार्य का पुनरीक्षण किया गया था और वाहन मील प्रति वाहन दिन, इंजन मील, प्रति इंजन दिन तथा अन्य महत्वपूर्ण चालन सांख्यकी के लिये पुनरीक्षित लक्ष्य नियत किये गये थे ।

(३) यातायात में पूर्वानुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिये महत्वपूर्ण जंकशनों और वाहनान्तर स्थानों द्वारा वहन के सम्बन्ध में अभ्यंशों को बढ़ा दिया गया था ।

(४) मार्शलिंग यार्ड्स में डिब्बों को रोके रखना बहुत बड़ी सीमा तक कम कर दिया जायेगा ।

(५) डिब्बों के खाली समय को ६ घण्टे से कम करके ५ घण्टे करना ।

(६) डाक, एक्सप्रैस तथा सवारी गाड़ियों द्वारा समय पालन में सुधार के लिये विशेष प्रयत्नों का आरम्भ करना ।

चालन कार्यदक्षता में सुधार करने के लिये नियत विभिन्न लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

कांडला पत्तन

†**११०१. श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला पत्तन के निर्माण तथा विकास के कार्य में अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ख) अब तक परियोजना पर कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ख) परियोजना का कुल प्राक्कलित परिव्यय १४·१५ करोड़ रुपये है । इसमें से अब तक १०·०७ करोड़ रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है ।

डालमिया दादरी में चुंगी की चौकी

†**११०२. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्खी दादरी की नगरपालिका से ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि रेलवे हाते में चुंगी की एक चौकी स्थापित करने की इजाजत दी जाये और जिसमें प्रार्थना की गई है कि चुंगी की अदायगी के बिना किसी भी माल का भुगतान न किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न की सामान्य जांच अभी न होने के कारण जो इजाजत मांगी गई है वह नहीं दी गई है; तथापि नगरपालिका समिति के प्राधिकृत कर्मचारियों को यह इजाजत दी गई है कि जब तक कि इससे रेलवे के काम में कोई असुविधा न हो और स्टेशन के हाते में से रिकार्ड बाहर न ले जाये जायें, स्टेशन के रिकार्ड में से जो जानकारी उन्हें चाहिये वे उसे प्राप्त कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्रमिक संघ

†११०३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे हातों में सभायें बुलाने और इश्तहारों को बांटने और रेलवे हातों में संघों द्वारा जारी की गई सूचनाओं का प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में अभिज्ञात श्रमिक संघों के विशेषाधिकारों को कम किया गया है या उन्हें ये विशेषाधिकार नहीं दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या उनके विशेषाधिकारों को इस प्रकार कम करने के विरुद्ध श्रमिक संघों द्वारा कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वे विशेषाधिकार उन्हें वापिस दे देगी जो अब तक उन्हें प्राप्त थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सरकार द्वारा अभिज्ञात संघों को कुछ सुविधायें प्रदान की जाती हैं। इनमें से किसी को भी कम नहीं किया गया या देने से इन्कार नहीं किया गया है।

(ख) उत्तर (क) को देखते हुए अभिज्ञात संघों को विरोध प्रकट करने का कोई अवसर नहीं मिला है। तथापि कुछ अनभिज्ञात का संघों ने वर्तमान नियमों के लागू होने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है जिनके अधीन केवल अभिज्ञात कार्मिक संघों को ही सुविधायें प्राप्य हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बड़े पैमाने की सहकारी संस्थायें

†११०४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रक्षित बैंक द्वारा तैयार किये गये बड़े आकार की सहकारी संस्थाओं की नमूने की उप-विधियों को किन राज्यों में अब तक स्वीकार किया है; और

(ख) इस प्रकार की बड़ी सहकारी संस्थाओं की तुलना में ऐसी बड़े आकार की सहकारी संस्थाओं के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत काम कर रही छोटी सहकारी संस्थायें किस प्रकार से कृत्यकारी होंगी ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) प्राप्य जानकारी के अनुसार भारत के रक्षित बैंक द्वारा तैयार की गई उप-विधियों को मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र, केरल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल ने स्वीकार कर लिया है।

(ख) बड़े आकार की सहकारी संस्थायें जिस क्षेत्र में कार्य करती हैं उसमें साधारण प्रकार की छोटी सहकारी संस्थायें कार्य नहीं करती हैं।

भूमि कर

†११०५. **श्री अय्युण्णि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के त्रिचूर ताल्लुक तथा लालापिल्ली ताल्लुक में ५ से २५ वर्ष पहिले भूमि दबाने के सम्बन्ध में दाण्डिक परिगणन के कितने मुकदमे दायर किये गये हैं;

(ख) प्रति एकड़ सूखी तथा कृषिजन्य भूमि पर क्या दर लगाई गई है;

(ग) क्या यह सच है कि कोचीन क्षेत्र में लगाई गई दरें त्रावनकोर-क्षेत्र की दरों से कई गुना अधिक हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) क्या ऐसा कोई उपबन्ध है कि त्रावनकोर क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के कब्जे में ३ एकड़ से कम दबाई गई भूमि हैं उन्हें यदि वे निर्धन हों तो यह भूमि दी जा सकती है; और

(ङ) तब भाग (क) में निर्दिष्ट मामलों में इस प्रकार के कितने मामले होंगे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ङ). राज्य-सरकार द्वारा जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

केरल राज्य में फल उत्पादन

†**११०६. श्री अय्युण्णि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में उत्पादित केला, अनानास तथा कटहल की मात्रा अभिनिश्चित करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक की मात्रा कितनी है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) सम्पूर्ण केरल राज्य का सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य में जो क्षेत्र था, उसका सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) केला ३,२०,००० टन
अनानास १८,६०० टन
कटहल २,००० टन

उपनिवेशन योजनायें

†**११०७.** { **श्री अय्युण्णि**
श्री मात्तन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में भूमि पर से दबाव को कम करने तथा वहां राज्यों में उपनिवेशन के लिये बेरोज़गारी की समस्या के समाधान के लिये जहां बेकार पड़ी विस्तृत भूमियों में सुधार तथा विकास के लिये मनुष्यों की कमी है, क्या कोई योजना है;

(ख) भोपाल में लागू की गई उपनिवेशन योजना कहां तक सफल हुई है; और

(ग) क्या मैसूर, मद्रास और बम्बई की सीमाओं में 'मालानाड' में कृषिजन्य और विस्तीर्ण क्षेत्र हैं जिन पर खेती नहीं की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां, पहिले की त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने अन्य राज्यों में १,००० भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी, मध्य प्रदेश सरकार के साथ परामर्श से योजना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) भोपाल के केन्द्रीय पंजीकृत फार्म की भूमि पर ४६९ भूमिहीन कृषि कार्यकर्त्ताओं को, जिनमें २०० त्रावनकोर के हैं और २६९ भोपाल के हैं, बसाया गया है ।

(ग) मालनाड क्षेत्र २५,००० वर्ग मील में फैला हुआ है जिसमें हरे भरे वन, नदियां और काबेरी, तुंगभद्रा, अरावती, नेत्रवती तथा वाराही की नदी घाटियां हैं; जिसमें से अधिकतर भाग पर खेती का न होना बताया जाता है ।

कमलपुर के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†**११०८. श्री दशरथ देव** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमलपुर (त्रिपुरा) के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोला गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिये प्राक्कलित आय-व्ययक क्या है;

(ग) अब तक कितनी रकम खर्च की गई है;

(घ) अब तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड की प्रगति क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड की गतिविधियों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी, हां ।

(ख) ७८,००० रुपये (पुनरीक्षित प्राक्कलन) ।

(ग) ३०-११-१९५६ तक १५,००० रुपये ।

(घ) इस खण्ड का उद्घाटन अप्रैल, १९५६ में किया गया था । बाढ़ के कारण प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य में बिलम्ब हो गया था और पहिले छः महीनों में विकास कार्यक्रम मुख्यतः कृषि तथा पशु-पालन क्षत्रों तक ही सीमित रहा था । ३० सितम्बर, १९५६ तक धान के १६४ मन सुद्धृत बीज बांटे गए थे, ३,२१२ पशुओं को टीका लगया गया था और उनका इलाज किया गया था, १०,५०० छोटी मछलियां दी गई और ४८ एकड़ अतिरिक्त भूमि पर फलों तथा सब्जियों की खेती की गई । अन्य मदों के सम्बन्ध में भी योजनायें बनाई गई हैं और उनकी स्वीकृति दी गई है ।

(ङ) लोगों द्वारा सक्रिय भाग लेने के लिए खण्ड क्षेत्र में सभायें की जाती हैं जिनमें उन्हें समझाया जाता है कि विकास कार्यक्रम में जनता क्या यथार्थतम कार्य कर सकती है ।

परिकाई-चारा पुल

†**११०९. श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिकाई बाज़ार त्रिपुरा के समीप परिकाई-चारा पर अस्थाई पुल बनाने पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है; और

(ख) त्रिपुरा में पक्के पुल न बनाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ३०,००० रुपये ।

(ख) इमारती लकड़ी तो स्थानीय रूप से तुरन्त मिल जाती है, पक्के पुलों के लिये निर्माण सामग्री अन्य राज्यों से आयात करनी पड़ती है । इसीलिये अविलम्बनीय आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अस्थाई पुल बनाये जा रहे हैं ।

जबलपुर-इटारसी रेलवे लाइन

†**१११०. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-इटारसी रेलवे लाइन के कुछ अंश को दुहरा करने के लिये प्रस्ताव की जांच समाप्त की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

परीक्षात्मक नल-कूप

†**१११११. श्री कामत : क्या खाद्य और कृषि** मंत्री, १० सितम्बर, १९५६ को पूछें गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें उल्लिखित १३ कुओं में पम्प-सेट लगा दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक कितने कुओं में पम्प-सेट लगाये गये हैं; और

(ग) ये शेष कुओं पर कब लगाय जायगे ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री गो० वें कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) इन कुओं में अभी पम्प-सेट नहीं लगाय गये

(ग) निर्माता से पम्पों के २८ फरवरी, १९५७ तक प्राप्त हो जाने की आशा है और यह उसके बाद शीघ्र ही कुओं में लगा दिये जायेंगे ।

नल-कूप

†**१११२. श्री कामत : क्या खाद्य और कृषि मंत्री** ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतार्रांकित प्रश्न संख्या ८६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या होशंगाबाद जिले में सिलारी सरकारी फार्म में पम्प प्राप्त करके लगा दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) सम्भरण तथा उत्सजन महानिदेशालय ने जिस भारतीय निर्माता को पम्प के लिये आर्डर दिया था, उससे अभी यह प्राप्त नहीं हुआ । महानिदेशालय ने पम्प देने की अवधि २८ फरवरी, १९५७ तक बढा दी है ।

बम्बई सेंट्रल पुल

†**१११३ श्री कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सट्रल पुल और तारदेव पुल (पश्चिम रेलवे) के इस्पात के खम्बे रेल की पटरी के बहुत पास है ;

(ख) क्या चलती गाड़ियों के पायदानों पर खड़ यात्री कई बार इन खम्बों मे टकरा कर मर जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो एसी दुघटनाओं को रोकने के लिये क्या पग उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) स (ग) इन पुलों की विमायें पुलों की प्रामाणिक विमाओं से भिन्न नहीं है ।

†१९५४-५५ और १९५५-५६ में इन दो पुलों पर कुल ९ गम्भीर दुर्घनायें हुई थीं, जिनमें से दो घातक थीं ।

चलती गाड़ियों के पायदानों पर यात्रा करना खतरनाक है और इस के फलस्वरूप ऐसी घटनायें हो सकती हैं । चूंकि ये पुल निर्धारित विमाओं के अनुसार हैं, इसलिये इनमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

नल-कूप

†**१११४. श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद जिले में २३ छेदों में से कितने सफल सिद्ध हुए हैं; और

(ख) उन्हें कब उत्पादन नल-कूपों में परिवर्तित किया जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) चौदह ।

(ख) सम्भवतः अप्रैल, १९५७ तक । दो कुओं में पम्प लगा दिये गये हैं । शेष १२ कुओं के लिये संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय ने पम्पों के लिये आर्डर दिये हैं और उनके फरवरी के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है ।

नल-कूप

†**१११५. श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद जिले में पछलोरा के स्थान पर पम्प प्राप्त करके लगा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय ने जिस भारतीय निर्माता को पम्प के लिये आर्डर दिया था, उससे अभी यह प्राप्त नहीं हुआ । महानिदेशालय ने पम्प देने की अवधि २८ फरवरी, १९५७ तक बढ़ा दी है ।

कुष्ट रोगी बस्ती, इम्फाल

†**१११६. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल की कुष्टरोगी बस्ती में २२ कुष्टरोगियों ने १६ नवम्बर, से सत्याग्रह शुरू कर दिया है; और

(ख) उनकी शिकायतें क्या हैं और उन्होंने सत्याग्रह क्यों शुरू किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) और (ख). २२ खारिज किये गये कुष्टरोगियों ने १६ नवम्बर, १९५६ से कुष्टरोग अस्पताल, इम्फाल से जाने से इन्कार कर दिया था । उनकी शिकायतें ये थीं कि उनके पास निर्वाह के लिये रुपया नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है और वे उचित रूप से काम नहीं कर सकते । वे पूर्णतया अपाहिज नहीं हैं । उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अस्पताल से खारिज किये जाने के बाद उनकी देखभाल की जाती रहेगी । बाद में मनीपुर के मुख्यायुक्त ने प्रत्येक को २५ रुपये दिये और एक को छोड़ कर, जो कि विस्थापित व्यक्ति बताया जाता है, शेष सब अस्पताल छोड़ गये हैं । पुनर्वास विभाग, मनीपुर उसके निर्वाह का प्रबन्ध कर रहा है ।

मनीपुर में बी० सी० जी० दल

†**१११७. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मनीपुर में बी० सी० जी० दल के प्रविधिज्ञों और कर्मचारियों ने कोई अभ्यावेदन किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या बी० सी० जी० अधिकारी, दल के नेता और प्रविधिज्ञों के वेतन-क्रमों को जो संघ सरकार ने मंजूर किये हैं, मनीपुर की स्थानीय सरकार ने क्रियान्वित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(घ) उन्हें किन-किन तिथियों से भत्ते दिये गये थे; और

(ङ) भत्ते भूतलक्षी प्रभाव से (अर्थात अप्रैल, १९५२ से) क्यों मंजूर नहीं किये गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) से (ङ). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में कुष्ट रोग नियन्त्रण

†**१११८. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दो पहली श्रेणी में शल्यचिकित्सकों की नियुक्ति के बाद मनीपुर में कुष्टरोग नियन्त्रण योजनाओं में कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या वे योग्यता प्राप्त हैं; और

(ग) क्या तामनलांग में कुष्टरोगी अस्पताल चलना शुरू हो गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) से (ग). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इटारसी जंकशन

†**१११९. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इटारसी जंकशन मध्य रेलवे पर जहां सारा वर्ष यात्रियों का भारी यातायात रहता है, विभिन्न प्लैटफार्मों पर अन्दर आने और बाहर जाने के अलग गेट नहीं हैं;

(ख) क्या इस कारण स्टेशन में गाड़ियों में आने के समय अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले यात्रियों को बहुत असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति ठीक करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, कभी-कभी ।

(ग) अन्दर आने और बाहर जाने के अलग गेट बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

नल-कूप

†**११२०. श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वे स्थान कौन-कौन से हैं, जहां ३० छेद किये गये थे; और

(ख) उन १६ स्थानों के नाम क्या हैं, जहां उत्पादन कुयें बनाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क)

क्रमांक स्थान का नाम

होशंगाबाद जिले में

१ समालखेरा
२ धर्म-खंडी खुतवासा
३ तिमुरनी
४ सेमरी
५ बनखेदी
६ करेली नरसिंहपुर
७ अमगांव
८ देवरी
९ लाखा
१० दुधवारा
११ गदरवारा
१२ सेनखेड़ा
१३ शपुरा
१४ बबाई
१५ सोमापुर
१६ पछलोरा
१७ बकेज
१८ खेरूआ
१९ पावरखेड़ा
२० पगढाल
२१ पिपारिया
२२ अराप
२३ खेड़िया
२४ कौरिया

जबलपुर जिले में

२५ जबलपुर
२६ भराघाट

भोपाल में

२७ टोंगा
२८ उदयपुर
२९ खपूटिया कलां
३० नरेली

(ख) क्रमांक ११ से २४ और २९ से ३०

---

†मूल अंग्रजी में ।

उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनायें

११२१. श्री भक्त दर्शन : क्या **योजना** मंत्री १४ दिसम्बर, १६५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उत्तर प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा मंजूर की गई लगभग बारह करोड़ रुपये की राशि के उपयोग के बारे में क्या सरकार ने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परियोजनाओं और उनके लिये मंजूर किये अनुदानों के ब्योरे देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उन विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). यह सूचना १२ मार्च, १६५५ को अतारांकित प्रश्न संख्या ७४८ के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति के सम्बन्ध में सभा की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी है ।

(ग) यह सूचना प्राप्त की जा रही है ।

हेलीकोप्टर

११२२. श्री भक्त दर्शन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १३ मार्च, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक्निकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से हेलीकोप्टर प्राप्त करने में सरकार को सफलता मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उनका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) बाढ़-पीड़ित इलाकों की सहायता करने में ये कहां तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हेलीकोप्टर १६५७ की बरसात से पहले मिलने की आशा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

रेलवे क्वार्टर

†११२३. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न खंडीय रेलों ने नये क्वार्टर बनाने की योजनायें बना ली हैं;

(ख) यदि हां, तो किन रेलों ने; और

(ग) वे योजनायें क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). दूसरी पंचवर्षीय योजना में सब श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये ३५ करोड़ रुपये की लागत से ६४,५०० क्वार्टर बनाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

औषधियों की देशी प्रणाली

†**११२४. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देशी प्रणाली की औषधियों में १९५५-५६ में कौन-कौन सी मुख्य गवेषणायें की गई हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों की किन योजनाओं को सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इन योजनाओं के लिये सहायता अनुदान की कुल राशि राज्यवार कितनी है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५८]**

गौसदन

†**११२५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित किये जाने वाले गौसदनों की संख्या; और

(ख) इन पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) ६० ।

(ख) ४८ लाख ५३ हजार ।

दूध के पाउडर का स्टाक

†**११२६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १ जुलाई, १९५६ से ३० नवम्बर, १९५६ तक सरकार द्वारा विदेशों से प्राप्त दूध के पाउडर का स्टाक कितना है;

(ख) उक्त अवधि में राज्यों में कितना पाउडर वितरित किया गया है;

(ग) क्या १९५५-५६ में प्रत्येक राज्य को दी गई मात्रा बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(घ) राज्यों में दूध के पाउडर का वितरण मुख्य रूप से किसे किया जाता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) लगभग २१,८७,७३४ पौंड ।

(ख) लगभग ५,१५,७०० पौंड ।

(ग) १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५६ तक राज्यों को वितरित दूध की मात्रा बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(घ) गर्भवती स्त्रियों और शिशुपालन करने वाली माताओं तथा बच्चों को ।

विद्युतीकरण

†**११२८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियारपुर जिले में विद्युतीकरण के लिये भारत सरकार ने पंजाब प्रदेश सरकार को ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो अनुदान कब दिया गया था; और

(ग) क्या वहां विद्युतीकरण कार्य आरम्भ हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारत सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से होशियारपुर जिले के विद्युतीकरण के लिये कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। पंजाब की भाखड़ा-नंगल विद्युत् वितरण योजना के लिये २ करोड़ २२ लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। होशियारपुर जिला भी इस योजना के अन्तर्गत आ जाता है।

(ख) १९५४-५५ में ।

(ग) जी, हां ।

जयपुर में ऊपरी पुल

†११२९. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में सिविल लाइन्स के समपार (लेवल क्रासिंग) पर ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). राजस्थान सरकार और रेलवे प्रशासन के बीच पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप जयपुर में सिविल लाइन्स में १४९/४५ मील पर समपार (लेवल क्रासिंग) संख्या २२३ के स्थान पर एक ऊपरी पुल बनाने का निर्णय कर लिया गया है ।

कार्य आरम्भ कर दिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में उसके पूरे हो जाने की आशा है।

रेलवे सेवा आयोग

†११३०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग द्वारा सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित न किये जाने से उम्मीदवारों को जिस कठिनाई का अनुभव हुआ है वह मंत्री महोदय को बताई गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सूची के प्रकाशन की वांछनीयता पर विचार किया गया है और वह व्यवहारिक समझी गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । रेलवे सेवा आयोगों को परामर्श दिया गया है कि सफल उम्मीदवारों की सूची अखबारों में बिना किसी व्यय के "समाचार" के रूप में प्रकाशित कर दी जाये ।

पंचकुरा रेलवे स्टेशन

†११३१. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के पंचकुरा रेलवे स्टेशन पर आने और वहां से भेजी जाने वाली पान, शाक-भाजी आदि वस्तुयें जो शीघ्र बिगड़ जाती हैं को संरक्षण प्रदान करने के लिये कोई गुड्सशेड हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त स्टेशन पर इस वर्ष प्रस्तावित गुड्सशेड का निर्माण स्थगित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं। पान और शाक-भाजी जैसी नष्ट होने वाली वस्तुयें पंचकुरा रेलवे स्टेशन पर बुक की जाती हैं तथा धूप और वर्षा से रक्षा के लिये उन्हें बुकिंग से लेकर वहां से उठाने तक के समय के लिये प्लेटफार्म पर स्थित शेड में रखा जाता है।

(ख) तथा (ग). जी, हां। हावड़ा-खड़गपुर शैक्सन के विद्युतीकरण की योजना विचाराधीन होने से विद्युत् सम्बन्धी सर्वेक्षण तक पंचकुरा में गुड्सशेड का उपबन्ध रोक रखा गया है।

इंजन, डिब्बे, आदि

११३२. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभाजन के पश्चात भारत में कितने डिब्बे या माल-डिब्बे थे; और

(ख) विभाजन के बाद कितने नये डिब्बे या माल-डिब्बे तैयार किये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चौपहिये डिब्बों के हिसाब से सार्वजनिक यातायात के लिये बड़ी लाइन के १,५४,२३२ और मीटर लाइन के ५१,६१२ माल-डिब्बे।

(ख) बंटवारे के बाद देश में लगभग ३८,००० बड़ी लाइन और ११,००० मीटर लाइन के डिब्बे बने। इस अवधि में बाहर से आये हुए स्टाक को मिला कर कुल ४१,९५७ बड़ी लाइन और ३५,५१६ मीटर लाइन के डिब्बे बढ़े।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

†**११३४. श्री बर्मन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) योजना के लिये वित्त-प्राप्ति के विभिन्न साधन क्या थे और उनके मूल प्राक्कलनों में कितना विभेद रहा; और

(ग) योजना में घाटे की कितनी अर्थ-व्यवस्था की गई ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में लगभग १३४८ करोड़ रुपये खर्च हुए। १९५५-५६ का पुनरीक्षित प्राक्कलन ६६७ करोड़ रुपये हैं। 'पुनरीक्षित प्राक्कलन' की तुलना में १९५५-५६ में योजना के यथार्थ व्यय में थोड़ी कमी को मानते हुए पांच वर्ष की अवधि में कुल व्यय १,९५० करोड़ रुपये होगा।

(ख) तथा (ग). योजना के लिये विभिन्न मदों के अन्तर्गत संसाधनों के प्राक्कलन और भिन्न-भिन्न मदों के अन्तर्गत भूल प्राक्कलन से उनकी भिन्नता नीचे दी जाती है :

(करोड़ रुपयों में)

	प्राप्त संसाधनों का प्राक्कलन	मूल प्राक्कलन से अन्तर
१. राजस्व लेखे की अवशिष्ट राशि	६२०	+५०
२. रेलों का अंशदान	११५	—५५
३. जनता से प्राप्त ऋण	२०४	+८९
४. छोटी-छोटी बचतें और बिना निधि का ऋण	३०४	+३४
५. निक्षेप, निधियां और अन्य विविध संसाधन	९५	—३८
कुल पारिवारिक बचत सम्बन्धी संसाधन	१३३८	+८०

†मूल अंग्रेजी में।

प्राप्त होने वाली विदेशी सहाय्य योजना में १५६ करोड़ रुपये बताये गये हैं। पौंड पावने वापस ले लेने की बात ध्यान में रखते हुए २९० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का अनुदान था और ३६५ करोड़ रुपये के संसाधनों का शेष अन्तर अग्रेतर विदेशी सहाय्य और करारोपण, उधार, घाटे की अर्थ-व्यवस्था आदि आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से पूरी की जायेगी। योजना अवधि में विदेशी सहाय्य का यथार्थ उपयोग और घाटे की अर्थ-व्यवस्था का अनुमान क्रमशः १९७ करोड़ रुपये और ४१५ करोड़ रुपये हैं।

खाद्यान्नों का आयात

†११३५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ सितम्बर से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक विभिन्न देशों से कितना खाद्यान्न आयात किया गया, उनकी विभिन्न किस्में और प्रति मन भाव क्या हैं; और

(ख) विदेशी और देशी खाद्यान्नों की कीमतों में क्या अन्तर है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क)

खाद्यान्न की किस्में	निर्यातकर्ता देश	अनुमानित मात्रा (हजार टनों में)
गेहूं	आस्ट्रेलिया	१३७·०
गेहूं	अमेरिका	२९·०
चावल	बर्मा	११८·०

तटागत कीमत में समय-समय पर अन्तर होता रहता है क्योंकि एक पोत से दूसरे पोत के भाड़े में अन्तर होने के साथ-साथ भारत में भिन्न-भिन्न पत्तन हैं। तटागत कीमत गेहूं की लगभग १५ रु० ८ आ० और चावल की २० रु० ८ आ० प्रति मन है।

(ख) गेहूं की तटागत कीमत लगभग उतनी है जितनी भारतीय गेहूं की किन्तु चावल कुछ मंहगा है।

मूल्यांकन प्रतिवेदन

†११३६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री देवगम :
श्री कामत :

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्यांकन प्रतिवेदनों की वे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जिन पर अभी तक विचार किया जा चुका है तथा क्रियान्वित किया जा चुका है; और

(ख) अन्य किन बातों का परीक्षण किया जा रहा है तथा इन बातों के विचार को अन्तिम रूप देने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) से (ख). १४ दिसम्बर, १९५६ को श्री रघवीर सहाय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११९० के सम्बन्ध में दिये गये मेरे उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उस उत्तर में स्थिति बता दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कैंसर

†११३७. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को निर्देशक, भारतीय कैंसर गवेषणा संस्था, बम्बई के उस वक्तव्य की जानकारी है जो उन्होंने १६ नवम्बर, १९५६ को मैसूर के स्थानीय रोटेरी क्लब में भाषण देते समय दिया था कि मिठाइयों, आइस क्रीमों और अन्य मिष्ठान्नों में उपयोग किये जाने वाले रंजक द्रव्यों तथा रंगने वाले पदार्थों से कैंसर होता है; और

(ख) यदि है, तो क्या सरकार ने उस वक्तव्य की सचाई की जांच की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) सरकार को पता लगा है कि संचालक, भारतीय कैंसर गवेषणा संस्था, बम्बई ने कहा है कि मिठाइयों, आइस क्रीमों तथा अन्य खाद्य सामग्री को रंगने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले विलीनी अज (अनीलाइन-एजो) रंजकद्रव्य कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं ।

(ख) निर्देशक का यह मत संसार के विभिन्न भागों में उस विषय पर किये गये प्रयोगात्मक कार्यों के प्रतिवेदनों पर आधारित है । इस मामले में सरकार कोई जांच नहीं करना चाहती ।

भोजन व्यवस्था करने वाले ठेकेदार

†११३८. **श्री रा० नं० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ही वस्तु बेचने वाले छोटे-मोटे ठेकेदारों को जिनमें फिर से बसाये गए शरणार्थी भी शामिल हैं, अपने मूल स्टेशनों से हटाया जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड की यह नीति है कि वह छोटे-मोटे ठेकेदारों से सामान बेचने और कुछ मात्रा में भोजन व्यवस्था करने का रोज़गार छीन रही है और इस रोज़गार को निष्कासित ठेकेदारों के कर्मचारियों को दे रही है; और

(ग) उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे में छोटा-मोटा सामान बेचने वाले ऐसे ठेकेदारों और भोजन व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके ठेके समाप्त हो जायेंगे और उनके ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अनुज्ञापत्रधारी सामान बेचने वाले ठेकेदार हो जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). विभागीय कार्य शुरू करने के लिये चुने गए कुछ स्टेशनों में ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले वर्त्तमान व्यक्तिगत सौदागरों को गाड़ी के बगल में सौदा बेचने के ठेकों का अनुज्ञापत्र सीधे ही देने का प्रस्ताव है; छोटे-मोटे ठेकेदारों को या तो विभागीय स्थापना में ही कमीशन पर लगाया जा रहा है अथवा उन्हें अन्य स्टेशनों पर उपयुक्त ठेके दे कर पुनःस्थापित किया जा रहा है ।

(ग) उत्तर-रेलवे में ऐसे छोटे-मोटे ठेकेदारों की संख्या १७ हैं जिनको गाड़ी के बगल में सामान बेचन के लिये सीधे ही अनुज्ञापत्र दिये जा रहे हैं; उनके द्वारा काम में लगाये गए सामान बेचने वालों की संख्या १३६ है ।

उनमें से गाड़ी के बगल में सौदा बेचन के ठेकों में से ७ ठेकेदारों के ठेके उनक द्वारा लगाये गये ४७ सौदा बेचने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञापित कर दिये गये हैं और शेष १० ठेकेदारों के ठेके ८९ सौदा बेचने वालों को अनुज्ञापित करने का प्रस्ताव है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था शुरू करने के लिये चुने गए स्टेशनों पर फलों आदि की बिक्री को छोड़कर सौदा बेचने की सारी व्यवस्था को विभाग के अधीन कर देने का प्रस्ताव है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

इसके परिणामस्वरूप विस्थापित छोटे-मोटे ठेकेदारों को जहां अन्य स्टेशनों पर फिर से रोजगार देने का प्रस्ताव है, वहां निकलने वाले ठेकेदारों के कर्मचारियों को विभागीय स्थापना में भर्ती करने का प्रस्ताव है बशर्तेकि वे स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त हों अथवा अन्य प्रकार से उपयुक्त हों।

मालाबार का रेलवे पुल

†**११३९. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य (मालाबार जिले) के पय्यनूर और पतियोंतिचल के बीच पुल बनाने का काम जहां का तहां पड़ा है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). पय्यनूर के आसपास पतियोंतिचल नाम का कोई स्टेशन नहीं है। पय्यनूर से १२ मील दूर पूर्व में तथ्योपिंगल नाम का एक गांव है, परन्तु वह रेल से नहीं जुड़ा है। अतएव प्रश्न में जिस पुल के निर्माण का उल्लेख है ऐसा कोई पुल नहीं बन रहा।

केरल की काश्तकारी विधियां

†**११४०. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **कृषि तथा खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य के कसरागोड़ तालुका के क्षेत्र की काश्तकारी विधियां उस राज्य के शेष क्षेत्र की विधियों से भिन्न हैं; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार सारे राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में एक सा काश्तकारी विधान लागू करने का विचार कर रही है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी, हां। मालाबार काश्तकारी अधिनियम कसरागोड़ तालुके के ३३ गांवों पर लागू होता है। केरल राज्य में त्रावणकोर क्षेत्र, जिसमें त्रावणकोर-कोचीन जोतों की निष्पादन कार्यवाही रोधन अधिनियम १९५० लागू होता है, कोचीन क्षेत्र; जिसमें कोचीन काश्तकारी अधिनियम, १९३८, लागू होता है, और भूतपूर्व मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्र जिन पर मालाबार काश्तकारी अधिनियम, मद्रास कृषक काश्तकार (उचित लगान का भुगतान) अधिनियम, १९५६ और मद्रास कृषक काश्तकार सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९५६ लागू होते हैं, शामिल हैं।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन हैं।

केरल राज्य की 'पूनम' भूमि

†**११४१. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **कृषि तथा खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कृषि के लिये किस सीमा तक 'पूनम' भूमि मिल सकती है ;

(ख) इस समय फसल-वार कितने क्षेत्र पर खेती हो रही है; और

(ग) शेष क्षेत्र को खेती करने के योग्य बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : (क) ३,१३,१२० एकड़ और ९९ सेंट।

(ख) ६३,३०८ एकड़ और ३५ सेंट।

फसल के क्रम से कृषि के अधीन क्षेत्र को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६०]**

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) मालाबार काश्तकारी अधिनियम और मद्रास भूमि उपभोग अधिनियम के अधीन शेष क्षेत्र को कृषि के अधीन लाने के लिये जेनमी को लागू किया जा रहा है।

नदी घाटी परियोजनायें

†११४२. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री दिनांक २० नवम्बर, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से हीराकुड परियोजना की सांसर्गिक नारज और तिकारपाड़ा परियोजनाओं को क्यों शामिल नहीं किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नारज परियोजना को सम्मिलित करने के लिये राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा।

राज्य सरकार ने तिकारपाड़ा योजना की पूरी जांच नहीं की अतएव उसे शामिल नहीं किया जा सका। परन्तु राज्य सरकार इस परियोजना की बहुत शीघ्र जांच करने वाली है।

वम्सधारा नदी परियोजना

†११४३. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २० नवम्बर, १९५६ को पूछे गए प्रश्न संख्या २४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक वम्सधारा नदी परियोजना के प्रारम्भिक सर्वेक्षण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हो चुकी है, तो उसका विवरण क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) इसका उत्तर सकारात्मक है।

(ख) वम्सधारा परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। फिर भी आगे की जांच आवश्यक है।

पहले की गई जांच के फलस्वरूप बनायी गयी इस परियोजना में गोट्टा के पास वम्सधारा नदी पर एक बांध बनाने पर जोर दिया गया है। इस बांध की दोनों बाजुओं में एक नहर बनाई जायेगी जो २,०६,००० एकड़ भूमि में धान की पहिली फसल, ५०,००० एकड़ में धान की दूसरी फसल और ३६,००० एकड़ की जूट की फसल की सिंचाई करेगी। इसका अनुमानित खर्च १२·५६ करोड़ रुपया है।

अमीनगांव में ऊपरी पुल

†११४४. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अमीनगांव रेलवे स्टेशन पर हजो-उत्तर-गोहाटी रोड के समपार में एक ऊपरी पुल बनाने की बड़ी आवश्यकता है;

(ख) यदि है, तो क्या सरकार इस मामले के सम्बन्ध में कोई निश्चय करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). आसाम सरकार और रेलवे प्रशासन के इंजीनियरों द्वारा स्थल का एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था और उस समय सड़क को दूसरी ओर बदल देने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। यदि उपर्युक्त प्रस्ताव सुकर न हुआ, तो ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता की जांच की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रेलवे सेवा आयोग

†**११४५. श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को भर्ती करने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर एक रेलवे सेवा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी, नहीं ।

आन्ध्र में ग्राम्य विद्युतीकरण

†**११४६. श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री दिनांक १ सितम्बर, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १६४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य विद्युतीकरण की वे कौन-सी योजनायें हैं जिनके लिये आन्ध्र सरकार ने १९५६-५७ के लिये निधियां मांगी हैं;

(ख) वे कौन सी योजनायें हैं जिनके लिये निधियां मंजूर कर दी गई हैं ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) आन्ध्र सरकार ने ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं के लिये निधियों के लिये कोई प्रार्थना नहीं की ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

टिकट कलेक्टर

११४७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के टिकट कलेक्टर अपनी संयुक्त वरिष्ठता के बारे में १९५४ से सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि १९५३ में जिन टिकट कलेक्टरों की तरक्की होनी थी वह १९५६ तक नहीं हो सकी; और

(घ) क्या भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारियों की एक ही ग्रेड की लगातार सेवा को उनकी संयुक्त वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजन के लिये गिना गया है जैसा कि ग्रेन शाप क्लर्कों के साथ किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री ओ० वी० अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बात का फ़ैसला यूनियन की सलाह से किया जाना है इसके लिये जिन तारीखों में बैठकें लाई गयीं थीं उनमें यूनियन के प्रतिनिधि न आ सके और इसीलिये फैसला न हो सका । उनसे बात-चीत करने के लिये एक और बैठक बुलाई गयी है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

रेल-गाड़ियों का समय से आना-जाना

११४८. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हनुमानगढ़ जंक्शन से भटिन्डा जाने वाली सवारी गाड़ियां अकसर देर से पहुंचती हैं और इसके फलस्वरूप मुसाफिरों को दिल्ली तथा अन्य स्थानों को जाने वाली गाड़ियां नहीं मिलती; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री ओ० वी० अलगेशन) : (क) हनुमानगढ़-भटिंडा सेक्शन पर गाड़ियों का समय पर चलना संतोषजनक नहीं रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इस सेक्शन पर जितनी गाड़ियां चलायी जा सकती हैं, चल रही हैं और दूसरे यह कि इस पर ६ से १० मील तक के लम्बे ब्लाक सेक्शन भी हैं ।

(ख) इस सेक्शन पर गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये जो उपाय किये गए हैं या करने का विचार है, वे इस प्रकार हैं :–

(१) बीकानेर का डिवीजन दफ्तर इस सेक्शन पर चलने वाली गाड़ियों के आने-जाने पर पूरी निगरानी रख रहा है ।

(२) बीकानेर-भटिण्डा सेक्शन पर चलने वाली गाड़ियों के लिये १९५६-५७ में कन्ट्रोल की व्यवस्था की गयी है। इस काम के पूरा हो जाने पर गाड़ियों का समय से आना-जाना बहुत कुछ सुधर जायेगा ।

(३) दो 'डी' दर्जे के स्टेशनों को क्रासिंग स्टेशन बना दिया गया है और एक तीसरा स्टेशन भी जल्द क्रासिंग स्टेशन बनाया जायेगा। इससे ब्लाक सेक्शन की लम्बाई कम हो जायेगी और सेक्शन पर गाड़ियां समय से चलने लगेंगी ।

राजामुंडरी स्टेशन की घटना

†११४९. **डा० रामा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजामुंडरी (दक्षिण रेलवे) में रेलवे पुलिस ने नवम्बर के दूसरे सप्ताह में (लगभग १३ या १४ तारीख को) एक महिला यात्री को पीटा था;

(ख) क्या वह पहिले रेलवे चिकित्सालय और बाद में सरकारी चिकित्सालय ले जाई गई थी;

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दिनांक १३-११-१९५६ को राजामंडरी स्टेशन पर कापारापू सन्यासम्मा नाम की एक महिला यात्री ने शिकायत पुस्तक में एक शिकायत दर्ज की है कि उक्त तारीख को उसे राजामंडरी स्टेशन पर स्थित सरकारी रेलवे पुलिस ने मारा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस मामले की जांच अधीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस, बैजवाड़ा कर रहे हैं जो राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं ।

कटिहार-सिलिगुड़ी लाइन पर यात्री गाइड

†११५०. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार-सिलिगुड़ी भाग के विभिन्न स्टेशनों पर कुछ यात्री गाइड काम कर रहे हैं; यदि हां, तो कितने; और

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी सुविधाओं को दूसरे स्टेशनों पर भी देने की प्रस्थापना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस विभाग पर छः यात्री गाइड काम कर रहे हैं ।

(ख) अभी तक नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

स्टेशनों पर पीन का पानी

†**११५१. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहर-सिलिगुड़ी भाग के किन विभिन्न स्टेशनों पर पानी पिलाने वालों की व्यवस्था है;

(ख) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसी सुविधायें दूसरे स्टेशनों पर भी दी जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों पर ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पानी पिलाने की सुविधा कटिहार, किशनगंज तथा सिलीगुड़ी जंक्शन पर उपलब्ध है ।

कटिहार-सिलिगुड़ी भाग पूर्वोत्तर रेलवे पर है ।

(ख) जी. हां ।

(ग) बरसोई, ठाकुरगंज, तैयबपुर और अलुआबारी रोड स्टेशनों पर ।

पूर्णिया तथा किशनगंज स्टेशनों के बीच शटल गाड़ी

†**११५२. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्णिया स्टेशन से किशनगंज स्टेशन तक एक शटल गाड़ी चलाने की प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी तक ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) डिब्बों तथा इंजनों की कमी के कारण, पूर्णिया तथा किशनगंज स्टेशनों पर गाड़ियों के जा कर रुकने की अपर्याप्त सुविधायें होने के कारण तथा कटिहार यार्ड में अधिक गाड़ियों को लेने की कठिनाई के कारण ।

सिलिगुड़ी में यात्री सुविधायें

†**११५३. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार-सिलिगुड़ी भाग पर अधिक प्रतीक्षालयों के निर्माण तथा विद्यमान प्रतीक्षालयों में सुधार करने की प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बरसोई तथा कांकी स्टेशनों पर प्रतीक्षालय बनाने की प्रस्थापनाएं हैं ।

अभी किसी विद्यामान प्रतीक्षालय में सुधार करने की प्रस्थापना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पूर्निया स्टेशन पर छत

†**११५४. श्री मु० इस्लाम्मुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्निया स्टेशन की छत असमाप्त रख दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो छत पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस स्टेशन के लिये विकास की दूसरी कौन सी योजनायें हैं?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). आइलैण्ड प्लेटफार्म पर शेड बनाने का निर्माण सीमेंट न पहुंचने के कारण रुक गया था। अब सीमेंट का प्रबन्ध हो गया है, काम चल रहा है और आशा है कि दो महीने के समय में समाप्त हो जायेगा।

(ख) पूर्निया स्टेशन के भवन नये नमूने का बनाने का काम तेजी से चल रहा है। एक नया शेड बनाया जायगा, ऊपरी पुल, स्नानागार तथा शौचालय, पानी के नलके लगाये जायेंगे तथा प्लेटफार्म पर पीने के पानी को रखने का और प्रबन्ध किया जायेगा।

किशनगंज स्टेशन

†**११५५. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपरीत दिशा में जाने वाली दो गाड़ियां पूर्वोत्तर रेलवे के किशनगंज स्टेशन पर एक समय आ कर रुकती हैं और एक गाड़ी जिसकी ओर प्लेटफार्म तथा शेड नहीं होता उसे दूसरी ओर रुकना पड़ता है जिससे यात्रियों को विशेषकर बूढ़ों तथा अपंगों को फर्श नीचा होने के कारण बड़ी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यकता को देखते हुए तुरन्त ही स्टेशन की दूसरी ओर एक प्लैटफार्म तथा शैड बनाना चाहती है;

(ग) क्या सरकार के पास द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टेशन में कुछ सुधार तथा विकास करने के बारे में कोई विशेष योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) एक आइलैण्ड प्लैटफार्म बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। किशनगंज स्टेशन के यार्ड में और सुधार तथा विकास करने की योजना पर विचार हो रहा है।

(घ) अभी अन्तिम ब्योरा तैयार नहीं किया गया है।

कोयले से बिजली

११५६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दस पौंड कोयले से कितनी यूनिट बिजली तैयार की जाती है और इसके मुकाबले में अन्य देशों में कितनी तैयार की जाती है; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जले कोयले की राख (छार) का ठेका लेने वाले ठेकेदार पावर हाउस के अधिकारियों और भट्टियों से जला कोयला निकालने वाले मजदूरों

†मूल अंग्रेजी में।

से मिलकर कच्चा कोयला ही निकलवा लेते है जिसके फलस्वरूप क़ोयला अधिक खर्च होता है और बिजली कम तैयार होती है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जानकारी नीचे दी गई है:—

(१) भारत ...	५·६० युनिट
(२) इंग्लैंड (यू० के०)	७·५२ युनिट
(३) अमेरिका (यू० एस० ए०)	६·०० युनिट

ऊपर दिये गए आंकड़े प्रत्येक देश में कोयले से चलने वाले सब बिजली घरों का औसत उत्पादन सूचित करते हैं ।

(ख) भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

रेलवे पर भोजन व्यवस्था करने वालों तथा खोमचे वालों का संघ

†११५७. **श्री साधन गुप्त :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे भोजन व्यवस्था तथा खोमचा कर्मचारी संघ से पूर्वी रेलवे पर भोजन व्यवस्था करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगे हैं; और

(ग) उक्त मांगों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां । इस संघ, जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है, द्वारा भेजा गया एक अभ्यावेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१**]

रेलवे वर्कशाप प्राविधिक स्कूल

†११५८. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की यह मांग है कि पूर्वोत्तर रेलवे के पंडु, गौहाटी, बोंगागांव तथा डिब्रूगढ़ स्टेशनों पर नये रेलवे वर्कशाप प्राविधिक स्कूलों के साथ खोले जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). जहां तक पता चल सका है, लोगों ने अभी हाल में, पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन से पंडु, गौहाटी, बोंगागाव तथा डिब्रूगढ़ में नये रेलवे वर्कशाप तथा प्राविधिक स्कूल खोलने की कोई मांग नहीं की है । किन्तु यह योजना है कि डिब्रूगढ़ के वर्तमान वर्कशाप को १·५ क़रोड़ रुपया लगा कर विस्तृत किया जाये तथा वहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की जाये ।

जब रेलवे मंत्री अक्तूबर, १६५३ में आसाम में गये थे, तो उन्हें इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले थे । किन्तु यह भी बता दिया जाये कि वर्कशापों तथा स्कूलों को स्थापित करने के स्थानों के बारे में लोगों की मांगों के अनुसार काम नहीं किया जायेगा किन्तु रेलवे की आवश्यकताओं तथा अन्य प्रशासकीय पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रेलवे पर भूमि के मालिकों के दावे

†११५९. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामाक्ष्य के भूमि के मालिकों के दावे, जिनकी भूमि पूर्वोत्तर रेलवे के प्राधिकारियों ने अर्जित की है, निपटाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कुल कितने दावों का अभी तक निर्णय नहीं हुआ ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) पूरी संख्या मालूम नहीं है ।

दिल्ली राज्य में अस्पताल

†११६०. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५५ तथा १९५६ में अभी तक दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कुल कितने रोगियों की शल्य चिकित्सा की गई;

(ख) १९५५ तथा १९५६ में अब तक शल्य-चिकित्सा से कितने रोगियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) से (घ). सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों सम्बन्धी आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६२]**

भारतीय नाविक

†११६१. **श्री म० कु० मैत्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग तीन महीने पहले एस० एस० बैरन मैकले नामक जहाज के चार भारतीय नाविक पूर्वी अफ्रीका में मोमबासा के स्थान पर अवैध आप्रव्रजक होने के दोष में पकड़े गये थे और उन्हें कैद कर दिया गया था;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार नाविकों के लिये पारपत्र की आवश्यकता होती है; और

(ग) भारतीय व्यापार अभिकर्ता ने अभियोगाधीन इन भारतीय नाविकों की क्या सहायता की ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्यतया जहाज पर काम करने वाले नाविकों को पारपत्र रखने की आवश्यकता नहीं है । उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र ही उस प्रयोजन के लिये मान्य यात्रा दस्तावेज समझे जाते हैं । जब उन्हें किसी पत्तन पर उतरना पड़ता है तो सामान्यतया इस सम्बन्ध में जहाज का मास्टर या अभिकर्ता स्थानीय प्रव्रजन प्राधिकारियों की अनुमति ले लेता है ।

(ग) यह पता नहीं है कि वास्तव में भारतीय व्यापार आयुक्त ने क्या सहायता की है । स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीय नाविक

†११६२. **श्री म० कु० मैत्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब एस० एस० मस्कलया नामक जहाज के भारतीय नाविकों पर लिवरपूल में अभियोग चलाया गया तथा उन्हें कैद किया गया तब भारतीय नाविक कल्याण पदाधिकारी ने उनकी कोई सहायता नहीं की;

(ख) क्या नौवहन के महानिदेशक द्वारा ब्रिटेन में भारतीय नाविक कल्याण पदाधिकारी के आचरण की जांच की गई है; और

(ग) क्या सरकार समवाय को यह कहना चाहती है कि वह इन नाविकों की संविदा की अवधि से पहले सेवा समाप्ति के लिये मुआवजा दे और उन्हें देश लौटने का व्यय भी दे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। इंग्लैंड स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने प्रार्थना की है कि एक वरिष्ठ पदाधिकारी को इस पदाधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त किया जाये। प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) नौवहन महानिदेशक ने अपने इंग्लैंड के दौरे में इस सम्बन्ध में जांच नहीं की।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

रेलवे बेतार चालक

†११६३. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे पर बेतार चालकों को अधिक वेतन पर भर्ती किया गया तथा उन्होंने वह वेतन लिया किन्तु बाद में उन्हें कम वेतन दिया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि बेतार चालकों के उसी वर्ग में विभिन्न व्यक्तियों के वेतन की दरों में मतभेद किया गया है; और

(ग) यदि हां तो इस मतभेद के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). वायरलैस चालकों के वर्ग के लिये कोई सीधी भर्ती नहीं की गई। तार बाबुओं को प्रशिक्षण देने के बाद बेतार चालक बना दिया गया था। प्रशिक्षण के समय तथा ३१ के बाद का बतार चालकों का वेतन १२० रुपया मासिक था। जो लोग १-१-१९४७ या १६-८-१९४७ को यथास्थिति, बेतार चालकों के रूप में काम कर रहे थे उनका वेतन रेलवे सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियमों के अनुसार उनके द्वारा १२० रुपये लेने के हिसाब से केन्द्रीय वेतन आयोग स्तर में निर्धारित कर दिया गया था। जो लोग इन तारीखों को बेतार चालकों के रूप में काम नहीं कर रहे थे उनके वेतन इन नियमों के अधीन निर्धारित नहीं किये जा सकते थे। उनके वेतन निर्धारण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे बेतार चालक

†११६४. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे मुख्य कार्यालय के रेलवे बेतार चालक की वरिष्ठता, जिसको कुछ दिन अन्तिम रुप दिया गया था, का पुनरीक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

भोजन व्यवस्था करने वाले कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु

†११६५. **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग ६ अक्तूबर, १९५६ को दिल्ली-कालका मेल के भोजन के डिब्बे में काम करने वाले श्री इस्माइल नामक बैरे की मृत्यु गाड़ी के नीचे आ जाने से हुई जब कि वह फतेहपुर स्टेशन के निकट काम कर रहा था; और

(ख) क्या दुर्घटना की जांच की गई थी तथा यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हां, श्री मोहम्मद इस्माइल नामक एक बैरा ६-१०-१९५६ को १२·२९ बजे उत्तर रेलवे के फतेहपुर स्टेशन से ६१ अप हावड़ा-दिल्ली-कालका मेल के चलने के पश्चात् उसके भोजन के डिब्बे में चढ़ने के प्रयत्न में गाड़ी से गिर पड़ा था और गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी एकदम रोक दी गई और रेलवे डिस्पैंसरी फतेहपुर में, रेलवे के असिस्टेंट सर्जन ने उसका प्रथम उपचार किया। उसके पश्चात् उसे फतेहपुर के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया, जहां वह उसी दिन १४.०० बजे मर गया ।

(ख) रेलवे के सह-पदाधिकारियों की समिति ने दुर्घटना की जांच की है तथा उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

रेलवे कर्मचारी

†११६६. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों समेत सभी रेलों में महिला कर्मचारियों की क्या संख्या है;

(ख) क्या, ये विशेषतया मध्य तथा पूर्व रेलवे कर्मशाला निरीक्षकों की कर्मशालाओं में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों के समान ही समझी जाती है; और

(ग) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ५,३९९ (दक्षिण-पूर्व के अतिरिक्त)

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारियों की अपीलें

†११६७. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कितनी अपीलें रेलवे बोर्ड में आई हैं;

(ख) बोर्ड ने उनमें से कितने मामले निबटा दिये हैं; और

(ग) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पक्ष में कितनी अपीलें निर्णीत हुईं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १८८

(ख) १८१

(ग) २६

गोरखपुर रेलवे स्टेशन

†**११६८. श्री विश्व नाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
गोरखपुर रेलवे स्टेशन भवन में अपर्याप्त स्थान होने के कारण, क्या इसके विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी, हां। गोरखपुर के स्टेशन भवन के विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके साथ-साथ पार्सल घर, पूछताछ दफ्तर, रेलवे मेल सेवा दफ्तर, आदि का विस्तार भी होगा।

पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों को बन्द करना

†**११६९. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री १ अक्तूबर, १९५६ से जोगबनी से कटिहार के बीच ३१३ अप तथा ३१४ डाउन गाड़ियों को बन्द करने के सम्बन्ध में २८ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता की मांग के आधार पर इन गाड़ियों को फिर चलाने के प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). मामले की जांच की जा चुकी है परन्तु कटिहार तथा जोगबनी के बीच ३१३ अप तथा ३१४ डाउन यात्री गाड़ियों को चलाना सम्भव नहीं है। परन्तु १-१-५७ से :

(१) ३१४ डाउन के सभी डिब्बे कटिहार पहुंचने के पश्चात् ५५३ अप गाड़ी बन जायेगी तथा १३.४० बजे कटिहार से चल देगी जो १७.३५ बजे जोगबनी पहुंचेगी। यही गाड़ी जोगबनी से कानपुर अनवरगंज तक ३१३ अप बनेगी जो जोगबनी से १८.२५ बजे चल कर कटिहार २१.५५ पर पहुंचेगी तथा कटिहार से २२.२५ बजे चलेगी।

(२) जोगबनी के यात्रियों की सुविधा के लिये ३२१ अप तथा ३२२ डाउन जो इस समय इलाहाबाद तथा कटिहार के बीच चल रही है, जोगबनी तक तथा जोगबनी से चलाई जाने लगेगी। ये गाड़ियां पटना से तथा पटना तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये सोनपुर पर ३४४ अप तथा सी० पी० आर० डाउन से सम्बन्ध स्थापित करेंगी।

पश्चिम बंगाल में दूध की प्रति व्यक्ति खपत

†**११७०. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बृहद् कलकत्ता दुग्ध-परियोजना के अतिरिक्त दूध की तथा दूध उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के कोई विशेष प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मों० व० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी, हां । यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त निम्न पशु विकास योजनायें सम्मिलित की गईं :

(१) ३४ मुख्य गांवों में १० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना ।

(२) विस्तार केन्द्रों की स्थापना ।

(३) राज्य सहायता से १,००० चुने हुए बछड़ों का पालन ।

(४) चारे तथा दानें के संसाधनों का विकास ।

इन योजनाओं की कुल लागत ५० लाख रुपये आंकी गई है ।

इसके साथ-साथ राज्य सरकार की अपनी कई पशु तथा दुग्धशाला योजनायें हैं ।

इन योजनाओं का उद्देश्य दूध तथा दूध उत्पादों की उपलब्धि तथा प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाना है ।

मलेरिया की रोक-थाम का कार्य

†**११७१. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अब तक बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विशेषकर इन राज्यों के देहाती क्षेत्रों में मलेरिया की रोक-थाम के कार्य में क्या प्रगति की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : बिहार तथा पश्चिम बंगाल में मलेरिया की रोक-थाम के कार्य में निम्नलिखित प्रगति की गई है:—

बिहार

राष्ट्रीय मलेरिया रोक-थाम कार्यक्रम के अधीन राज्य को १९५३–५४ में ७ एकक दिये गये थे । १९५४-५५ में १४ एकक तथा १९५५-५६ में १७ एकक कर दिये गये थे । ये १७ एकक १५१ लाख व्यक्तियों का संरक्षण कर रहे हैं जिसमें से १४६ लाख देहाती क्षेत्रों में हैं । कार्यक्रम के अन्तर्गत दवाइयां छिड़कने के कार्य के परिणाम स्वरूप मलेरिया, बच्चों की तिल्ली का बढ़ना, तथा बच्चों के सूखा रोग के मामले धीरे-धीरे कम हो रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मलेरिया के रोगियों की संख्या	संरक्षित जनता	बच्चों की तिल्ली बढ़ने के मामले	बच्चों का सूखा रोग
१९५३-५४ ...	११·१ लाख	१३·५ लाख	५६·१ प्रतिशत	४३ प्रतिशत
१९५५-५६ ...	५·१ लाख	१५·१ लाख	१८·१ प्रतिशत	२·६ प्रतिशत

पश्चिम बंगाल

इस कार्यक्रम क अधीन १९५३-५४ में १६ एकक स्थापित किये गए थे जिनकी संख्या १९५४-५५ में बढ़ा कर २२ कर दी गयी ।

†मूल अंग्रेजी में।

ये एकक ३०,४७० वर्गमील में फैले हुए हैं तथा राज्य में १ करोड़ ७५ लाख जनता का संरक्षण कर रहे हैं जिसमें से १ करोड़ ५६ लाख देहातों में हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत दवाइयां छिड़कने के परिणामस्वरूप मलेरिया, बच्चों की तिल्ली का बढ़ना, तथा बच्चों के सूखा रोग के मामले धीरे-धीरे कम हो रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मलेरिया के रोगियों की संख्या	संरक्षित जनता	बच्चों की तिल्ली बढ़ने के मामले (औसत)	बच्चों का सूखा रोग (औसत)
१६५३-५४	१२·१ लाख	१३६ लाख	२०·३ प्रतिशत	१·१ प्रतिशत
१६५५-५६	५·७ लाख	१७५ लाख	६·७ प्रतिशत	०·०१ प्रतिशत

दोनों राज्यों में मलेरिया कार्य की प्रगति संतोषजनक है।

'जय भारत स्पेशल' गाड़ी

†**११७२. श्री कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'जय भारत स्पेशल' नामक एक गाड़ी २ फरवरी, १६५६ को विक्टोरिया टर्मिनस (बम्बई) से चली थी तथा भारत के कुछ प्रसिद्ध केन्द्रों का दौरा करके १ मार्च, १६५६ को बम्बई लौट आई; और

(ख) किन परिस्थितियों तथा कारणों से यह विशेष गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) जी, हां; २-२-१६५६ से २-३-१६५६ तक थाना जिले के मालियों तथा किसानों के दल के लिये यह गाड़ी चलाई गयी थी।

(ख) संगठन कर्त्ता के १०-१२-१६५५ के आवेदन पर, उनके स्पेशल गाड़ी की सामान्य शर्तें पूरी करने पर, एक स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था की गई थी।

एक जहाज पर भारतीयों की हत्या

†**११७३. श्री कामत :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडियन स्टीमशिप कम्पनी के एस० एस० दारा नामक जहाज़ के डेक पर १३ नवम्बर, १६५६ को कुछ भारतीय यात्रियों को मारा-पीटा गया तथा उनकी हत्या कर दी गयी; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां; १३ नवम्बर, १६५६ को एस० एस० द्वारा नामक जहाज जब वह बसरा में खड़ा था पाकिस्तान से आए व्यक्तियों ने तीन यात्रियों पर हमला किया तथा उनको मारा पीटा। ये व्यक्ति जहाज़ के मास्टर की जानकारी के बिना जहाज़ पर आ गये थे। यात्रियों में से एक मर गया तथा शेष दो बसरा के एक अस्पताल में उपचार के लिये भेज दिये गए।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६३]**

†मूल अंग्रेजी में।

तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र

११७४. श्री भक्त दर्शन : क्या **योजना** मंत्री १० अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने से सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन क्षेत्रों का विकास करने के लिये जो और योजनायें विचाराधीन थीं, क्या इस बीच उनके बारे में निर्णय कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उस निर्णय का ब्योरा सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्णय में देरी होने का क्या कारण है और अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ।

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन

११७५. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री १७ जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के और किन-किन स्टेशनों पर इस बीच टेलीफोन लगाये जा चुके हैं; और

(ख) शेष स्टेशनों पर कब तक टेलीफोन लग जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिल्ली, शाहदरा और अलीगढ़ स्टेशन ।

(ख) नोहर, गुड़गांव, सम्भल, हातिमसराय, सब्जीमंडी और मैनपुरी स्टेशनों पर टेलीफोन लगाने के लिये डाक और तार विभाग को लिखा गया है । लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ये टलीफोन किस तारीख तक लगा दिये जायेंगे ।

गाड़ी का पटरी से उतरना

११७६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० नवम्बर, १९५६ को उरई स्टेशन (झांसी-कानपुर लाइन) के बाहरी सिगनल के निकट एक सवारी गाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उत्तर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३०-११-१९५६ को रात के लगभग २ बज कर ५३ मिनट पर जब १०८ अप सवारी गाड़ी मध्य रेलवे के इकहरी लाइन वाले झांसी-कानपुर सैक्शन में उरई स्टेशन से छूट रही थी, तो डाउन निकट सिगनल और अप अग्रवर्ती प्रस्थान सिगनल के बीच इंजन से दूसरे नम्बर से लेकर छठे तक के इसके ५ डिब्बे पटरी से उतर गये ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

रेलवे कर्मचारियों की पदाधिकारी पदालि में पदोन्नति

†११७७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पदाधिकारियों द्वारा रेलवे के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये आवेदन पत्र भेजने पर रोक लगाते समय कोई आश्वासन दिया गया था, कि रेलवे में ही उन्हें पदोन्नति के अवसर दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या लेखा विभाग के रेलवे कर्मचारियों को जो भारतीय प्रशासनिक सेवा विशेष भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य है, परिशिष्ट ३-क परीक्षा पास किये बिना पदाधिकारी पदालि में पदोन्नति का अवसर दिया जायगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, नहीं। फिर भी उन्हें रेलवे में ही पदोन्नति के काफी अवसर मिलते हैं।

(ख) परिशिष्ट ३-क परीक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिये प्राविधिक ढंग की एक विभागीय परीक्षा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा विशेष भर्ती परीक्षा में बैठने के अधिकारी होने मात्र से ही कोई लेखा विभाग के राज पत्र घोषित पदालि में पदोन्नति पाने का अधिकारी नहीं बन जाता।

योजना आयोग की बैठक

†११७८. **श्री कामत :** क्या **योजना** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो :

(क) १ अप्रैल, १९५६ से योजना आयोग की कुल कितनी बैठकें हुईं;

(ख) उनमें खुद आयोग की कितनी बैठकें थीं और कितनी बैठकें अन्य व्यक्तियों या दलों के साथ सम्मेलन के तौर पर हुईं;

(ग) आयोग ने किन व्यक्तियों या दलों से बातचीत की; और

(घ) उपस्थिति का ब्योरा क्या है अर्थात् उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक बैठक में किन-किन सदस्यों ने और कितने सदस्यों ने भाग लिया ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) से (घ). १ अप्रैल, १९५६ से १४ दिसम्बर, १९५६ के बीच योजना आयोग की ५५ बैठकें हुई थीं। इनमें से ३९ बैठकें आयोग की अपनी बैठकें थीं। इन में से अधिकतर बैठकों में आयोग के सदस्य और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने और वित्त मंत्रालय तथा चर्चाधीन विषय से सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिकतर विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अतिथियों या आयोजन विशेषज्ञों के साथ योजना आयोग की १६ बैठकें हुईं।

क्रमशः मई और दिसम्बर, १९५६ में राष्ट्रीय विकास परिषद् की दो बैठकें हुई थीं, जिनमें योजना आयोग के सदस्यों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने (कभी-कभी अपने योजना-मंत्रियों के साथ) और केन्द्रीय मंत्रियों ने, भाग लिया।

योजना आयोग के व्यक्तिगत सदस्यों या वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और/अथवा केन्द्रीय मंत्रियों के साथ १३४ बैठकें कीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें

११७९. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये धनराशियां निश्चित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में इन राशियों का बंटवारा करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न राज्यों में व्यय करने के लिये कितनी-कितनी धनराशियां निश्चित की गयी हैं; और

(घ) उपरोक्त योजना में उत्तर प्रदेश की जिन सड़कों को सम्मिलित किया गया है, उनका विवरण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (घ). दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में सड़कों के विकास के लिये खासकर कोई पूंजी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन कई एक राज्यों में उपलब्ध निधि से ऐसी सड़कों के विकास के लिये जो आर्थिक या अन्तर्राज्यीय दृष्टि से महत्व की हैं, अनुदान मंजूर किये जा चुके हैं। एक विवरण जिस में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में वे सड़कें दिखाई गई हैं जिनके लिये ही अनुदान मंजूर हो चुके हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६४]**

उत्तर प्रदेश में सड़कें

११८०. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन** मंत्री १६ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में तैंतीस सड़कें बनाने के लिये १२५ लाख रुपये की जो विशेष सहायता मंजूर की गई थी उसमें से प्रत्येक सड़क के लिये अब तक अलग-अलग कितनी धनराशियां दी जा चुकी हैं; और

(ख) प्रत्येक सड़क के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट, ५ अनुबन्ध संख्या ६५]**

उत्तर प्रदेश में पुल

११८१. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पचास लाख रुपये के ऋण से उत्तर प्रदेश में जिन ग्यारह पुलों के निर्माण के लिये स्वीकृति दी गई थी, उनके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : चूंकि पुल राज्य की सड़कों पर हैं इसलिये इनके बनाने की सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। भारत सरकार को यह मालूम नहीं है कि इन कामों में अब तक कितनी प्रगति हुई है और न ही राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह भारत सरकार को इसकी प्रगति रिपोर्ट भेजे।

केन्द्रीय सड़क निधि

११८२. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन** मंत्री १८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि में जो लगभग नौ करोड़ रुपये की धनराशि विभिन्न राज्यों के खाते में शेष थी, उसका उपयोग करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब प्रत्येक राज्य के खाते में कितनी-कितनी धनराशि शेष है;

(ग) उत्तर प्रदेश के खाते में जो ४७·१७ लाख रुपये शेष थे उनका उपयोग क्या किन्हीं सड़कों के निर्माण में करने का निश्चय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) यह आशा की जाती है कि दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक राज्य के विभाजन खाते में बिना खर्च की गई शेष पूंजी ६७१ लाख रुपये रह जायेगी ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश राज्य के हिसाब में इस बिना खर्च की गई शेष पूंजी की खपत के लिये बहुत से काम पहले ही मंजूर हो चुके हैं । दिसम्बर, १९५६ के आखिर तक इन कामों पर जो बकाया खर्चे की जिम्मेदारी है उसका अन्दाजा ८०·९० लाख रुपये तक है और बिना खर्च की गई शेष पूंजी को इस जिम्मेदारी के पूरा करने में इस्तेमाल किया जायेगा । राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इस बिना खर्च की गई शेष पूंजी को इन मंजूर किये हुए कामों के उपयोग में लगाये और इन कार्यों की प्रगति को बढ़ाये ।

गांवों की सड़कें

११८३. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों को जाने वाली सड़कों का सहकारी आधार पर निर्माण करने के लिये इस बीच विभिन्न राज्यों को और क्या अनुदान दिये गये हैं; और

(ख) उपरोक्त उत्तर में पटल पर रखे गये विवरण में जिन सड़कों का उल्लेख किया गया, क्या उत्तर प्रदेश में उनके अतिरिक्त भी कुछ सड़कें केन्द्रीय सड़क निधि अनुदान योजना में सम्मिलित की गयी हैं, और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखि ` परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६७]**

(ख) कुछ नहीं ।

रेलवे पर इन्टरलाकिंग प्रणाली

११८४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के किन-किन जंक्शनों पर इन्टरलाकिंग (अन्तर्पाश) प्रणाली है; और

(ख) शेष स्टेशनों पर इसे लगाने की जो योजना बनायी गयी है, उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ख) ५६ जंक्शन स्टेशन ऐसे हैं जहां अन्तर्पाश की व्यवस्था अभी नहीं है। इन में से २१ स्टेशनों पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्पाश लगाने का विचार है। इस पर ७३ लाख रुपये की लागत का अनुमान है।

जहाज़

†**११८५. श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के आरम्भ से नवम्बर के अन्त तक सरकार की ओर से खाद्यान्न और दूसरा माल लाने के लिये कितने जहाज किराये पर लिये गये हैं; और

(ख) उन्हें किस दर पर लिया गया है और कुल कितना भाड़ा होगा ?

†**रेलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

गंगा ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड

११८६. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि मंत्रालय के वर्ष १९५५-५६ के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ २४ पर उल्लिखित है, गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के लिये कितने डीजल-चालित जलयानों का आर्डर दिया गया है;

(ख) यह आर्डर किस देश को दिया गया है;

(ग) इस बोर्ड के व्यय के लिये कौन-कौन सी राज्य सरकारें अनुदान देती हैं और कितना-कितना; और

(घ) बोर्ड में कितने सदस्य और कितने उच्च कर्मचारी हैं और उनके वर्तमान वेतनक्रम क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). एक घाट नाव खरीदने के लिये आदेश देने का विचार है। जैसे ही विशेष विवरणों पर अन्तिम फैसला हो जायेगा इसके खरीदने के लिये आदेश दे दिया जायेगा।

(ग) उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम की सरकारों में से हर एक सालाना एक लाख रुपया देती है।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता ह। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६९]**

सहायक स्टशन मास्टर

†**११८७. श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर जिनकी नजर काम नहीं करती, वाणिज्यिक श्रेणी में भेज दिये जाते हैं जिससे वाणिज्यिक लिपिकों को अपना उचित पदोन्नति नहीं मिलती; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या यह सच है कि फीरोजपुर डिवीजन में कुछ स्टेशन मास्टर जिनकी नजर काम नहीं करती, वाणिज्यिक श्रेणी में रख लिये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक लिपिकों को वापस भेज देना पड़ा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां। ऐसे कर्मचारियों को उन लोगों के नीचे वरिष्ठता दी जाती है जिन्हें उनकी नियुक्ति के दिन उस वेतनक्रम में उसी दर से वेतन मिल रहा हो। पद-वृद्धि वरिष्ठता सूची में स्थान और उपयुक्तता पर निर्भर होती है।

(ख) जी, नहीं ।

रेलों पर किये गये दावों का पता लगाने वाले व्यक्ति

†**११८८. श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों पर किये गये दावों का जो लोग पता लगाते हैं वे सभी सामान्य लिपिक हैं और न कि योग्यताप्राप्त वाणिज्यिक लिपिक;

(ख) क्या यह सच है कि दावों का पता लगाने वाले ऐसे लोगों की पदोन्नति कर उन्हें दावा निरीक्षक बनाया जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गयी पदोन्नति सूचियों के अनुसार, सहायक दावा निरीक्षकों और दावा निरीक्षकों की पदोन्नति का मार्ग केवल वाणिज्यिक लिपिकों के लिये ही रखा गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) रेलवे बोर्ड ने कोई पदोन्नति सूचियां जारी नहीं की हैं ।

पारनयन भत्ता

†**११८९. श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असाधारण श्रम वाले कार्य के लिये क्षतिपूरक वेतन के रूप में पारनयन भत्ता दिया जा रहा था; और

(ख) क्या इसे सभी प्रयोजनों के लिये वेतन समझा जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां। केवल उत्तर रेलवे के भूतपूर्व पूर्वी पंजाब भाग में ३१ जुलाई, १९४८ तक यह भत्ता दिया जा रहा था ।

(ख) जी, हां। इसे वेतन ही समझा जाता था ।

चारा

†**११९०. श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात में गुआर की फली को पशुओं के चारे के काम में लाते हैं;

(ख) क्या गुआर की फली की पैदावार शीघ्र ही चलाये गये गोंद के कारखाने द्वारा हथिया ली गई है; और

(ग) क्या सरकार ने गोंद बनाने में पद्मवार के बीजों का उपयोग करने की सम्भाव्यता का पता लगाया है जिससे कि पशुओं के चारे की रक्षा हो सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां। गुआर की फली (क्लस्टर बीन्स) देश के विभिन्न भागों में, जिसमें राजस्थान और गुजरात सम्मिलित हैं, घोड़े के अतिरिक्त अन्य सभी पशुओं को प्रमुख चारे के रूप में दी जाती है। सामान्यत: इसको चने के स्थान पर सस्ते अनाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होता है यद्यपि अरहर जैसे अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा यह खाने में कम लजीज होता है।

(ख) इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किसी गोंद कारखाने ने गुआर की फली की सारी पैदावार अथवा कुछ थोड़ी-सी पैदावार को हथिया लिया है, यद्यपि राजस्थान से बहुत बड़ी मात्रा में गुआर की फली का निर्यात करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्थिति ऐसी है कि गुआर गोंद अथवा ऊपरी छिलका जो गुआर कीट से कम पोषक होता है उसका निर्बाध रूप से निर्यात किया जा सकता है यद्यपि सम्पूर्ण गुआर फली और गुआर के बीजों का निर्यात निषिद्ध है। यह हो सकता है कि राजस्थान के बाहर की फर्में गुआर की फली को गुआर गोंद (गुआर के छिलके) और गुआर कीट को फली का वह भाग निकालने के लिये उसे अलग कर लती हों जिसका वर्तमान निर्यात नीति के अधीन निर्यात किया जा सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात करने तथा पशु भोजन पर इसकी उपादेयता का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अब राजस्थान सरकार से जांच-पड़ताल की जा रही है जिससे गुआर की फली के निर्यात की चालू नीति की पुन: जांच की जा सके ।

(ग) सम्भवत: "पनवाड़" फली से तात्पर्य उस घास से है जिसको वनस्पति शास्त्र में "केशिया टोरा" कहते हैं। यदि ऐसा है, तो गोंद निर्माण में इन फलियों का उपयोग करने की सम्भाव्यता का पता लगाने के बारे में कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। वस्तुत: जहां तक पता चला है कि इन फलियों से गोंद नहीं निकलता है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†११९१. { **श्री कामत** :
डा० जयसूर्य :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सभापति की नियुक्ति की जा चुकी है;

(ख) यदि हां तो कब;

(ग) किस व्यक्ति की नियुक्त की गई है और उसकी अर्हतायें क्या हैं;

(घ) इस पद का वेतन आदि क्या है;

(ङ) चुनाव और नियुक्ति करने का क्या तरीका है; और

(च) नियुक्ति की शर्तें आदि क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, हां। अध्यक्ष की, सभापति की नहीं जैसा कि प्रश्न में उल्लेख है।

(ख) ६ नवम्बर, १९५६।

(ग) राजकुमारी अमृतकौर, स्वास्थ्य मंत्री।

(घ) अभी तक कुछ भी नहीं। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, अधिनियम, १९५६ (१९५६ का संख्या २५) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संस्था से यदि मिले तो वे

†मूल अंग्रेजी में।

भत्ते मिलेंगे जो उसकी धारा २८ (१) के अधीन नियमों में निर्धारित होंगे। ये नियम अभी बनाये नहीं गये हैं।

(ङ) अध्यक्ष का नामनिर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्था के निदेशक के अतिरिक्त अन्य सदस्यों में से किया जाता है।

(च) नियुक्ति की कोई विशेष शर्तें आदि नहीं हैं। सदस्य के सदस्यता-काल एवं अध्यक्ष के विभिन्न कार्यों आदि का उल्लेख अधिनियम में पहले से ही किया जा चुका है।

रेलों का बिजली से चलाना

†११६२. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) पश्चिम रेलवे और (२) मध्य रेलवे की रेलवे लाइनों पर अब तक कितनी लाइनों पर बिजली से रेलें चलाने की व्यवस्था की जा चुकी है;

(ख) क्या सरकार का विचार और अधिक ऐसी व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और अनुमानत: कितने समय में यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७०**]

बम्बई में भूमि के नीचे चलने वाली रेलवे

†११६३. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर में भूमि के नीचे चलने वाली रेलवे बनाने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये बम्बई नगरपालिका निगम ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां तो उसका परिणाम क्या निकला और रेलवे बनाने में अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) अभी नहीं। समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार से पता लगता है कि बम्बई नगरपालिका निगम एक टेक्निकल जांच-पड़ताल करने का विचार करती है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तीर्थयात्रा रेलगाड़ी

†११६४. **श्री धुसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह व्यक्ति कौन है जिसने उस तीर्थयात्रा रेलगाड़ी का प्रबन्ध किया था जो अक्तूबर, १६५६ के तीसरे सप्ताह में दिल्ली से रवाना हुई थी;

(ख) कितने तीर्थयात्रियों ने वास्तव में यात्रा की;

(ग) व्यवस्थापक ने प्रति यात्री कितनी राशि वसूल की और उसने जिन लोगों ने यात्रा की उसके लिये प्रति व्यक्ति रेलवे विभाग को कितना भुगतान किया; और

(घ) वे चिकित्सक कर्मचारी कौन-कौन थे जिनको उन तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिये उस गाड़ी में तैनात किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मेसर्स चन्द्रा फाइनेन्स एण्ड ट्रेवेल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली।

(ख) ३०५ यात्री तृतीय श्रेणी के और ३४ प्रथम श्रेणी के।

(ग) व्यवस्थापक ने तृतीय श्रेणी के प्रत्येक तीर्थ यात्री से १५५ रुपये और प्रथम श्रेणी के तीर्थ-यात्री से ३८५ रुपये वसूल किये थे। उसने रेलवे को कुल ५८,१७४ रुपये का भुगतान किया था।

(घ) व्यवस्थापक ने लखनऊ के डा० टी० बहादुर को चिकित्सक पदाधिकारी के रूप में उस विशेष गाड़ी में यात्रा करने के लिये तैनात किया था।

बामनिया रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के विरुद्ध शिकायत

११६५. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बामनिया की जनता से कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि पश्चिम रेलवे पर रतलाम के निकट बामनिया के स्टेशन मास्टर ने वहां के स्थानीय लोगों को अपनी वैध शिकायतें शिकायत-पुस्तक में दर्ज नहीं करने दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बामनिया के एक व्यापारी से इस बात की लिखित शिकायत मिली थी कि बामनिया के स्टेशन मास्टर ने उसे शिकायत लिखने के लिये शिकायत की किताब देने से इन्कार कर दिया था।

(ख) बामनिया के स्टेशन मास्टर के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गयी है।

रेलों के विधि अनुभाग और न्यायालय अनुभाग का पुनर्गठन

†**११६६. पंडित मु० बि० भार्गव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय रेलों पर विधि अनुभाग और एक न्यायालय अनुभाग है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने सभी रेलों को अपने-अपने विधि अनुभागों और न्यायालय अनुभागों का पुनर्गठन करने के लिये निदेश जारी कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे निदेश क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उन रेलों ने जिन पर अभी तक इस प्रकार के संगठन नहीं थे एक अधिक वेतन वाले एक विधि पदाधिकारी की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या रेलवे बोर्ड ने उन रेलों पर जिन पर अभी तक विधि अनुभाग और न्यायालय अनुभाग नहीं हैं उनकी स्थापना करने के लिये कोई तारीख निश्चित कर दी है; और

(ज) यदि हां, तो क्या प्रशासन उन रेलवे कर्मचारियों को खपाने की सम्भाव्यता पर विचार करेगा जिनमें वांछित विधिक अर्हतायें हैं और जिन्हें सम्बन्धित रेलों में कार्य करने का अनुभव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां। केवल मध्य रेलवे को छोड़ कर।

(ख) जी, हां।

(ग) बोर्ड के पत्र की एक प्रतिलिपि जिसमें ये निदेश दिये हुए हैं, सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७१]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) बोर्ड ने सभी रेलों पर द्वितीय श्रेणी के एक विधि पदाधिकारी के पद के लिये स्वीकृति दे दी है जिस से बोर्ड समझता है कि काम चल जायेगा ।

(छ) जी, नहीं ।

(ज) जी, हां, यदि उन्हें वांछित विधिक अर्हता और सेवा का अनुभव होने पर उपयुक्त पाया गया ।

रेलवे सम्पत्ति पर नगरपालिका कर का निर्धारण

†११६७. **पंडित मु० बि० भार्गव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर और दक्षिण रेलों में रेलवे सम्पत्ति पर नगरपालिका कर का निर्धारण कार्य अथवा उसकी जांच विधि विभाग करता है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के विधि विभाग को यह कार्य न सौंपने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) चीफ इंजीनियर की देख-रेख में पश्चिम रेलवे पर कर-निर्धारण कार्य सन्तोषजनक हुआ है; इस प्रकार के कार्य में समानता लाने का कोई विशेष कारण नहीं है । कर निर्धारण कार्य विधि विभाग का कार्य हो या न हो विधि विभाग की सहायता जहां कहीं भी आवश्यकता हो, प्राप्त की जा सकती है ।

पश्चिम रेलवे पर बेतार के तार की शाखा

†११६८. **पंडित मु० बि० भार्गव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य शाखाओं (विशेषकर बेतार के तार के प्रविधिक विभाग) की तुलना में पश्चिम रेलवे पर बेतार के तार की शाखा में वर्गीकृत पदों की संख्या बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). बेतार के तार की शाखा और प्रविधिक विभाग में कुछ पदों की मंजूरी उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों के कारण दी गई है और दूसरी शाखा में पहले की अपेक्षा उच्च श्रेणी के अधिक पदों की आवश्यकता है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†११६६. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अमीनगांव, पांडु और गौहाटी स्टेशनों के तीसरी और चौथी श्रेणी के अधिकांश रेलवे कर्मचारियों को अभी रेलवे क्वार्टर नहीं मिल पाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिये क्वार्टरों की संख्या में वृद्धि करने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दिल्ली में पीने का पानी

†१२००. **श्री कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में पीने के पानी में अभी भी क्लोरीन की मात्रा अधिक रहती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसमें सामान्यतया कब तक आयेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, हां; उसमें अभी भी क्लोरीन की मात्रा कुछ अधिक रहती है ।

(ख) जल-ग्रहण कुंओं के ठीक सामने, जल ग्रहण कर्मशाला में हजारों मजदूर नदी के तल से रेत निकालने के लिये उस पानी में उतर कर काम कर रहे हैं; और जब तक वहां यह काम चलता रहेगा, तब तक यही वांछनीय समझा गया है कि उस पानी में क्लोरीन की कुछ अधिक मात्रा रखी ही जाये । यह हानिकारक भी नहीं है ।

(ग) नदी का चढ़ाव खत्म होते ही, या उन कुंओं पर मजदूरों के काम की आवश्यकता न रहते ही, क्लोरीन की यह अधिक मात्रा बन्द कर दी जायेगी ।

चिकित्सा शिक्षा

†१२०१. **श्री कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा के लिये सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था करगी; और

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित किसी योजना का ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, हां ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये केन्द्रीय योजना में १०० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है । इन चिकित्सा पद्धतियों की शक्षणिक संस्थाओं का स्तर ऊंचा करने के लिये, राज्य सरकरों के द्वारा अनुदान दिये जायेंगे ।

भारत सरकार ने भूतपूर्व सौराष्ट्र सरकार के सहयोग से जुलाई १९५६ में जामनगर में आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की सुविधायें जुटाने के लिये एक आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर भी दिया है । इस केन्द्र के अपने पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे साथ ही पचास पलंगों वाला एक अस्पताल भी रहेगा, जिसे बाद में बढ़ाकर सौ पलंगों वाला बना दिया जायेगा । आरम्भ में प्रशिक्षण के लिये पच्चीस विद्यार्थी भरती करने की प्रस्थापना है और इसका सम्पूर्ण प्रशिक्षण आयुर्वेदिक प्रणाली के अनुसार ही दिया जायेगा ।

भारत सरकार ने बम्बई सरकार को, बम्बई के सिओन स्थित सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने के लिये, ३८,०२० रुपयों की एक धनराशि मंजूर की है । कलकत्ता होम्योपैथिक मेडीकल कालेज का स्तर ऊंचा करके उसे डिग्री स्तर का कालिज बनाने के लिये १,४९,८९० रुपयों का एक अनुदान भी मंजूर किया गया था ।

राज्यों की द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में इन चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये ५·५ करोड़ रुपयों का एक उपबन्ध भी किया गया है । राज्य सरकारों की योजनाओं में, अन्य चीजों के साथ-साथ वर्तमान कालिजों का विस्तार करने और पांच नये आयुर्वेदिक कालिजों के आरम्भ करने की योजनाओं के सम्मिलित किये जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अनन्तपुर में रेलवे का ऊपरी पुल

†१२०२. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र स्थित अनन्तपुर की नगरपालिका ने सरकार के पास एक ऐसा संकल्प भेजा है कि वह नगर के मध्य में स्थित रेलवे लाइन की चौकी पर प्रस्तावित ऊपर के पुल या नीचे के पुल के निर्माण का खर्च उठायेगी, और क्या उसने रेलवे बोर्ड के पास भी इस पुल के निर्माण के लिये एक अभ्यावेदन भेजा है, जो कि जनता और यातायात के सुविधापूर्वक आने जाने के लिये नितान्त आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कथित पुल का निर्माण करने की प्रस्थापना करती है; और

(ग) क्या सरकार उस नगरपालिका को निर्माण व्यय का अपना अंश देने के लिये ऋण देने का विचार करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) अनन्तपुर रेलवे स्टेशन के निकट, मील ४२/११–१२ पर स्थित रेलवे चौकी, उन रेलवे चौकियों की सूची में सम्मिलित है, जिन के स्थान पर ऊपर के पुलों का निर्माण करने की सिफारिश आन्ध्र सरकार द्वारा की गई है, और यह निर्माण कार्य यथासमय आरम्भ कर दिया जायेगा ।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनन्तपुर नगर में रेलवे चौकी

†१२०३. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनन्तपुर (आन्ध्र) की नगरपालिका ने एक अभ्यावेदन भेजा है कि जनता को गारलाडिन्ना और अनन्तपुर के बीच की रेलवे लाइनों को बिना किसी अड़चन के पार कर सकने की सुविधा प्रदान करने के लिये रेलवे स्टेशन से एक फर्लांग की दूरी पर उत्तर की ओर, एक स्थान पर एक नई रेलवे चौकी बनाई जाये; और

(ख) क्या सरकार ने लाइनों को पार करने की इस चौकी को बनाने की आवश्यकता पर विचार कर लिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). अनन्तपुर नगरपालिका के अनुरोध पर, मूलत: यह निर्णय किया गया था कि अनन्तपुर रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर एक बारह फीट चौड़ी रेलवे चौकी बनाई जाये और वहां एक चौकीदार रखा जाये । नगरपालिका इस प्रस्ताव का आरम्भिक खर्च उठाने को तैयार हो गई थी, लेकिन उसने उसकी देख-रेख के वार्षिक खर्च को अपने ऊपर लेने से इन्कार कर दिया था ।

इसी बीच इस प्रस्ताव को पुनरीक्षित करना पड़ा था ।

नगरपालिका को अगस्त ५६, तक इस पुनरीक्षित खर्च का भार वहन करने की अपनी स्वीकृति भेज देने का परामर्श दिया गया था लेकिन उसने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है ।

रेलवे बुकस्टालों पर "करेन्ट" पत्रिका की बिक्री

†१२०४. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के लोक सम्पर्क अधिकारी ने हाल ही में व्हीलर के रेलवे बुकस्टालों को अनुदेश दिये हैं कि वे बम्बई की एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका "करेन्ट" को बिक्री के लिये न रखें;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो कब और किस आधार पर;

(ग) क्या बाद में उन्होंने इस कथित अनुदेश का प्रतिवाद कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो कब और किन परिस्थितियों में ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ग). जी, हां ।

(ख) और (घ). उल्लिखित अनुदेश लोक सम्पर्क अधिकारी द्वारा ६-९-५६ को एक भ्रान्ति के कारण जारी कर दिये गये थे, और सही स्थिति का पता लगने पर, उसने २४-९-५६ को उनको रद्द कर दिया था ।

इछल-कर्णजी से कोल्हापुर-मिरज लाइन को मिलाने वाली रेलवे लाइन

†१२०५. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र वाणिज्य मंडल, पूना से एक ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि जिसमें कि इछल-कर्णजी के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक महत्व के कारण, हथकनांगेल के स्थान पर, इछल-कर्णजी को कोल्हापुर और मिरज के बीच बनने वाली बड़ी लाइन से मिलाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य रेलवे ने कोल्हापुर मिरज के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के हेतु प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण के लिये एक प्राक्कलन मांगा है । हथकनांगेल के स्थान पर, इछल-कर्णजी को मिलाने के प्रश्न को सर्वेक्षण के दौरान में विचार करने के लिये रख लिया गया है ।

रेलवेज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

†१२०६. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें रेलवेज की प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में इस समय काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के अधिकारियों की संख्या दी गई हो ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७२]**

खाद्यान्न

†१२०८. **सरदार अकरपुरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में सरकारी गोदामों से सामान्यत: राज्यवार, कितने-कितने खाद्यान्नों की निकासी हुई;

(ख) क्या सरकार द्वारा बेचे गये खाद्यान्नों के सम्बन्ध में व्यापारियों की किन्हीं असामाजिक कार्यवाहियों की कोई सूचनायें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी रोकथाम के लिये कुछ प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिस में १ दिसम्बर, १६५५ से ३० नवम्बर, १६५६ तक की अवधि में प्रत्येक राज्य में, सरकारी गोदामों से दिये गये खाद्यान्नों की मात्रायें दिखाई गई हैं। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७३**]।

(ख) और (ग). उचित मूल्य की दूकानों से कुछ सरकारी खाद्यान्नों की चोरी के सम्बन्ध में कुछ समाचार मिले हैं। राज्य सरकारों से इन दूकानों के कार्य-संचालन पर कड़ी नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकारी गोदामों से दिये गये खाद्यान्न उपभोक्ताओं को विहित मूल्यों पर ही मिलें उनका बार-बार निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है।

भोपाल जाने वाली डाक गाड़ियां

†१२०६. **श्री आ० चं० जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार, नये मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण को देखते हुए, अब भोपाल तक सीधी जाने वाली दो डाक गाड़ियों, एक तो मानिकपुर से सतना होती हुई और दूसरी बिलासपुर से शाहडौल कटनी होती हुई, को शुरू करने और सामान्यत: सीधी जाने वाली रेलगाड़ियों द्वारा मध्य प्रदेश के दूरस्थ भागों को भोपाल से जोड़ने की वांछनीयता के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : भोपाल तक सीधी जाने वाली दो डाक गाड़ियों को एक तो मानिकपुर स सतना होती हुई और दूसरी बिलासपुर से कटनी होती हुई, यात्री डिब्बों और इंजनों की कमी तथा कटनी और मानिकपुर तथा कटनी और बिलासपुर के बीच लाइन की क्षमता कम होने के कारण शुरू करना वांछनीय नहीं है।

दिल्ली में रेलवे बुकिंग एजेंसियां

†१२१०. **श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नगर बुकिंग एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) किन अभिकर्ताओं ने अपनी इन एजेंसियों को लिया है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली सब्जी मण्डी बुकिंग एजेंसी एक ही व्यक्ति को कई वर्षों के लिये दे दी गयी है; और

(घ) सरकार को उसे अपने अधिकार में ले लेने में क्या अड़चनें हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सात।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७५**]

(ग) दिल्ली सब्जी मण्डी नगर बुकिंग एजेंसी का ठेका १-१२-५३ से ही जो कि इसके खुलने की तिथि है, मेसर्स राम लाल जग्गी एण्ड संस के पास है।

(घ) इस एजेंसी को विभागीय तौर पर चलाने के लिये सरकारी अधिकार में ले लेने के प्रश्न पर विचार करने की कोई आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं हुई है।

कटनी-विलासंपुर लाइन पर स्टेशनों में सुधार

†१२११. **श्री आ० चं० जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पूर्वी रेलवे की कटनी बिलासपुर लाइन के चन्दिया उभारिया, बीरसिंहपुर, शाहडौल, बुरहर, अनूपपुर रेलवे स्टेशनों की इमारतों और रेलवे प्लेटफार्मों में सुधार करने के लिये कोई समुचित कार्यवाही कर रही ह, या करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : ये स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे में है। शाहडौल के अतिरिक्त, इनमें से किसी भी और स्टेशन की इमारतों या प्लेटफार्मों का सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शाहडौल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर और बुकिंग और पार्सल घर के लिये अलग-अलग कमरों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध म विचार किया जा रहा है। उभारिया और चन्दिया रोड स्टेशनों पर तो ऊंचे तल के प्लेटफार्मों की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

दिल्ली में बाढ़ सहायता के उपाय

†**१२१२. श्री कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२० के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के विषय में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस विवरण में दिल्ली राज्य में अपनाये गये सहायता उपायों के सम्बन्ध में क्यों कुछ भी नहीं कहा गया है;

(ख) क्या तब से कोई उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण हैं ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा)**: (क) स (ग). उस समय तक दिल्ली प्रशासन ने आवश्यक सूचना नहीं दी थी। अब वह अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो गई है और इस प्रकार है :

वित्तीय सहायता	सहायता उपाय का ब्योरा
(१) २५,००० रुपये	... जलमग्न क्षेत्रों से व्यक्तियों और मवेशियों को निकालना और अन्य सहायता कार्य।
(२) ४,००,००० रुपये	चारे के लिये दिये गये ऋण और बीजों के लिये तकावी।

इसके साथ ही, दो लाख रुपये तक के तकावी ऋण की वसूली स्थगित कर दी गई है।

खाद्यानों के मूल्य

†**१२१३. श्री कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५६ के प्रारम्भ में उन्होंने कोई एक पखवाड़े में खाद्यान्नों के मूल्यों में पर्याप्त गिरावट हो जाने की भविष्यवाणी पूर्ण विश्वास के साथ संसद् में की थी;

(ख) क्या यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). सितम्बर में मूल्य अवश्य गिरे थे, परन्तु दुर्भाग्यवश उस महीने म आई अप्रत्याशित बाढ़ों से फसल को बहुत हानि पहुंची और मूल्यों की गिरावट की प्रवृत्ति उलट गई। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के उत्तरोत्तर बिगड़ते जाने के कारण जिसका परिणाम स्वेज नहर का बन्द हो जाना हुआ, बाजार की स्थिति और भी बिगड़ गई और मूल्यों की गिरावट की जो आशा की गई थी वह पूरी नहीं हुई।

†मूल अंग्रेजी में।

तूतिकोरिन एक्सप्रैस दुर्घटना

†१२१४. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तूतिकोरिन एक्सप्रैस दुर्घटना की न्यायिक जांच के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों को सहायकों या असेसरों के रूप में नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). २३-११-१९५६ को ६०३ डाउन तूतिकोरिन एक्सप्रैस की जो दुर्घटना अडियालूर और कल्लगम के बीच हुई थी उसकी जांच जांच-आयोग द्वारा की जा रही है, इस आयोग के एक मात्र सदस्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश श्री हिमांशु कुमार बोस हैं। आयोग को प्रविधिक मामलों में सहायता देने के लिये दो असेसर नियुक्त किय गये हैं। सरकार संसद् सदस्यों को उक्त आयोग से सहसम्बद्ध करने का विचार नहीं करती है, क्योंकि वह सदस्य, जिन्हें उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी है, आयोग के समक्ष गवाही दे सकते हैं।

रेल दुर्घटना जांच समिति

†१२१४-क. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व श्री शाहनवाज खां, रेलवे उपमंत्री के सभापतित्व में नियुक्त की गई रेल दुर्घटना जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). रेल दुर्घटना जांच समिति का प्रतिवेदन ३० अप्रैल, १९५४ को प्राप्त हो गया था। क्योंकि उक्त प्रतिवेदन समग्र रूप से सरकार को स्वीकार्य नहीं था इसलिये रेल दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण करने के लिये एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की गयी थी। पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है और उसकी प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। इस पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में रेल दुर्घटना जांच समिति–१९५४ की प्रत्येक सिफारिश/निरूपण पर विचार किया गया है, समस्त रेलवेज़ के महाप्रबन्धकों की सम्मतियां तथा पुनरीक्षण समिति के सुविचारित निरूपणों तथा सिफारिशों को भी उसमें सम्मिलित किया गया है।

पुनरीक्षण समिति के इस प्रतिवेदन के साथ-साथ, रेलवे मंत्रालय का एक ज्ञापन, जिस में अन्य बातों के साथ-साथ पुनरीक्षण समिति की विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में किये गये निरूपण तथा निर्णय तथा मूल समिति की सिफारिशें दी गई हैं, प्रकाशित किया गया था और उसकी प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रख दी गई थीं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मूल प्रतिवेदन को प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझा गया था। तथापि, प्रतिवेदन २१-१२-१९५६ को सभा के पुस्तकालय में रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... १३५५–७९

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३३४	दिल्ली जंक्शन स्टेशन ...	१३५५
१३३७	सड़कों तथा रेलवे सम्बन्धी समितियां	१३५५–५६
१३३७-क	पूर्वी प्रदेश की बाढ़ें ...	१३५७
१३३८	रौकफैल्लर प्रतिष्ठान...	१३५७–५८
१३३९	विदेशी मक्खन तथा घी	१३५८–५९
१३४०	एक्सप्रेस मालगाड़ी का चलाना ...	१३५९–६१
१३४१	त्रिपुरा में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	१३६१–६२
१३४२	विस्थापित क्षय रोगियों को सहायता	१३६२–६३
१३४३	विद्युत् उत्पादन ...	१३६३–६४
१३४४	गांवखली बन्दरगाह ...	१३६४–६५
१३४५	स्वचालित टिकट मशीन ...	१३६६–६७
१३४७	केरल कें लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना ...	१३६७–६८
१३४८	ग्रामीण विश्वविद्यालय ...	१३६८–७०
१३४९	रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई का भाड़ा ...	१३७०–७१
१३५२	रेलवे बस्तियों में स्कूल	१३७१
१३५३	अन्तर्राज्यिक नौ-परिवहन नहर ...	१३७१–७२
१३५४	परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां ...	१३७२–७३
१३५५	भारत-पाकिस्तान यातायात ...	१३७३–७४
१३५६	गोदावरी नदी को उपयोगी बनाना	१३७४–७५
१३५८	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन प्रारम्भिक प्रविधिक समुद्री सम्मेलन	१३७५
१३६०	तूतिकोरिन एक्सप्रैस दुर्घटना ...	१३७६

अल्पसूचना प्रश्न संख्या		
१२	मुग्मा और फटका स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का धंस जाना ...	१३७७–७८
१३	भारतीय नाविक ...	१३७८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ... १३७९–१४३७

तारांकित प्रश्न संख्या		
१३३१	मैसूर में अनावृष्टि की स्थिति ...	१३७९
१३३२	नहरों को बाढ़ के कारण हुई क्षति	१३७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३३३	अहमदाबाद रेलवे स्टेशन	१३७९–८०
१३३५	मद्रास पत्तन पर आयात किया गया कोयला	१३८०
१३३६	भारी मशीनों का आयात	१३८०–८१
१३४६	रूस में भारतीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण ...	१३८१
१३५०	नागार्जुन सागर परियोजना	१३८१
१३५१	इमारती लकड़ी के बारे में प्रादेशिक सर्वेक्षण	१३८१–८२
१३५४-क	डूंगरगढ़ के स्टेशन मास्टर की कथित पिटाई	१३८२
१३५७	दिल्ली परिवहन सेवा	१३८२
१३५९	वंशधरा नदी परियोजना	१३८२–८३
१३६१	पर्यटन	१३८३
१३६२	मनीपुर में गोहत्या पर प्रतिबन्ध	१३८३
१३६३	रेलवे चुनाव बोर्ड ...	१३८३–८४
१३६४	दिवा-दसगांव रेलवे लाइन ...	१३८४
१३६५	सतना-रीवां-गोविन्दगढ़ रेलवे लाइन ...	१३८४–८५
१३६६	खड़गपुर में रेलवे कर्मचारियों की मुअत्तिली	१३८५
१३६७	यात्री सुविधायें ...	१३८५
१३६८	जहाजों का क्रय	१३८६
१३६९	यात्री-डिब्बों और माल के डिब्बों का निर्माण	१३८६
१३७०	त्रिपुरा में बांसों पर कर	१३८६–८७
१३७१	महुआ की खली की खाद	१३८७
१३७२	दिल्ली परिवहन सेवा में 'किराया सम्बन्धी छली गुट' ...	१३८७
१३७३	नागार्जुन सागर परियोजना ...	१३८७
१३७४	खाद्य तथा कृषि संघ	१३८८
१३७५	यात्री सुविधायें	१३८८
१३७६	दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार ...	१३८८–८९
१३७७	रेकार्ड रखना	१३८९
१३७८	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	१३८९–९०
१३७९	आसाम में तेल का रेलवे द्वारा परिवहन	१३९०
१३८०	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये कृषि सम्बन्धी वित्त तथा उधार का प्रादेशिक केन्द्र	१३९०
१३८१	गोआ तथा पाकिस्तान को चोरी-छिपे गेहूं का ले जाया जाना	१३९१
१३८२	रुड़की से बद्रीनाथ तक सड़क के लिये अनुदान ...	१३९१
१३८३	जहाज	१३९१–९२
१३८४	ठंडे डिब्बे	१३९२
१३८५	राज-यक्ष्मा अस्पताल (चिकित्सालय)	१३९२
१३८६	इमारती लकड़ी का सर्वेक्षण	१३९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३८७	यातायात सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस ...	१३९३
१३८८	रेलवे स्टीमर दुर्घटना ...	१३९३
१३८९	पूर्निया में पुल	१३९३
१३९०	पर्यटक यातायात	१३९३
१३९१	खड़गपुर दर्घटना	१३९४
१३९२	सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड ...	१३९४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११००	रेलवे पदाधिकारियों का सम्मेलन	१३९४–९५
११०१	कांडला पत्तन	१३९५
११०२	डालमिया दादरी में चुंगी की चौकी	१३९५
११०३	श्रमिक संघ	१३९६
११०४	बड़े पैमाने की सहकारी संस्थायें	१३९६
११०५	भूमिकर	१३९६–९७
११०६	केरल राज्य में फल उत्पादन	१३९७
११०७	उपनिवेशन योजनायें ...	१३९७
११०८	कमलपुर के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	१३९७–९८
११०९	परिकाई चारा पुल ...	१३९८
१११०	जबलपुर-इटारसी रेलवे लाइन	१३९८
१११९	परीक्षात्मक नल-कूप	१३९९
१११२	नल-कूप ...	१३९९
१११३	बम्बई सैन्ट्रल पुल ...	१३९९
१११४	नल-कूप	१४००
१११५	नल-कूप	१४००
१११६	कुष्ट रोगी बस्ती, इम्फाल	१४००
१११७	मनीपुर में बी० सी० जी० दल	१४००–०१
१११८	मनीपुर में कुष्ट रोग नियन्त्रण	१४०१
१११९	इटारसी जंक्शन ...	१४०१
११२०	नल-कूप	१४०१–०२
११२१	उत्तर प्रदश में विकास परियोजनायें	१४०३
११२२	हेलीकोप्टर	१४०३
११२३	रेलवे क्वार्टर ...	१४०३
११२४	औषधियों की देशी प्रणाली ...	१४०४
११२५	गोसदन	१४०४
११२६	दूध के पाउडर का स्टाक ...	१४०४
११२८	विद्युतीकरण	१४०४–०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११२९	जयपुर में ऊपरी पुल	१४०५
११३०	रेलवे सेवा आयोग ...	१४०५
११३१	पंचकुरा रेलवे स्टेशन	१४०५–०६
११३२	इंजन, डिब्बे आदि	१४०६
११३४	प्रथम पंचवर्षीय योजना	१४०६–०७
११३५	खाद्यान्नों का आयात ...	१४०७
११३६	मूल्यांकन प्रतिवेदन ...	१४०७
११३७	कैंसर	१४०८
११३८	भोजन व्यवस्था करने वाले ठेकेदार	१४०८–०९
११३९	मालाबार का रेलवे पुल ...	१४०९
११४०	केरल की काश्तकारी विधियां ...	१४०९
११४१	केरल राज्य की 'पूनम' भूमि...	१४०९–१०
११४२	नदी घाटी परियोजनायें	१४१०
११४३	वंशधरा नदी परियोजना	१४१०
११४४	अमीनगांव में ऊपरी पुल	१४१०
११४५	रेलवे सेवा आयोग ...	१४११
११४६	आन्ध्र में ग्राम्य विद्युतीकरण...	१४११
११४७	टिकट क्लेक्टर ...	१४११
११४८	रेलगाड़ियों का समय से आना जाना	१४११–१२
११४९	राजामुंडरी स्टेशन की घटना	१४१२
११५०	कटिहार-सिलिगुड़ी लाइन पर यात्री गाइड	१४१२
११५१	स्टेशनों पर पीने का पानी ...	१४१३
११५२	पूर्णिया तथा किशनगंज स्टेशनों के बीच शटल गाड़ी	१४१३
११५३	सिलिगुड़ी में यात्री सुविधायें	१४१३
११५४	पूर्णिया स्टेशन पर छत	१४१४
११५५	किशनगंज स्टेशन	१४१४
११५६	कोयले से बिजली	१४१४–१५
११५७	रेलवे पर भोजन व्यवस्था करने वालों तथा खोमचे वालों का संघ ...	१४१५
११५८	रेलवे वर्कशाप प्राविधिक स्कूल ...	१४१५
११५९	रेलवे पर भूमि के मालिकों के दावे	१४१६
११६०	दिल्ली राज्य में अस्पताल	१४१६
११६१	भारतीय नाविक	१४१६
११६२	भारतीय नाविक ...	१४१७
११६३	रेलवे बेतार चालक	१४१७
११६४	रेलवे बेतार चालक	१४१७–१८
११६५	भोजन व्यवस्था करने वाल कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु	१४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११६६	रेलवे कर्मचारी ...	१४१८
११६७	रेलवे कर्मचारियों की अपीलें	१४१८–१९
११६८	गोरखपुर रेलवे स्टेशन ...	१४१९
११६९	पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों को बन्द करना	१४१९
११७०	पश्चिम बंगाल में दूध की प्रति व्यक्ति खपत	१४१९–२०
११७१	मलेरिया की रोक-थाम का कार्य ...	१४२०–२१
११७२	'जय भारत स्पेशल' गाड़ी ...	१४२१
११७३	एक जहाज पर भारतीयों की हत्या	१४२१
११७४	तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र	१४२२
११७५	रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन	१४२२
११७६	गाड़ी का पटरी से उतरना	१४२२
११७७	रेलवे कर्मचारियों की पदाधिकारी पदालि में पदोन्नति	१४२३
११७८	योजना आयोग की बैठक	१४२३
११७९	पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें	१४२४
११८०	उत्तर प्रदेश में सड़कें ...	१४२४
११८१	उत्तर प्रदेश में पुल	१४२४
११८२	केन्द्रीय सड़क निधि ...	१४२५
११८३	गांवों की सड़कें ...	१४२५
११८४	रेलवे पर इन्टरलाकिंग प्रणाली ...	१४२५–२६
११८५	जहाज	१४२६
११८६	गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड ...	१४२६
११८७	सहायक स्टेशन मास्टर	१४२६–२७
११८८	रेलों पर किये गये दावों का पता लगाने वाले व्यक्ति ...	१४२७
११८९	पारनयन भत्ता	१४२७
११९०	चारा	१४२७–२८
११९१	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ...	१४२८–२९
११९२	रेलों का बिजली से चलाना	१४२९
११९३	बम्बई में भूमि के नीचे चलने वाली रेलवे	१४२९
११९४	तीर्थयात्रा रेलगाड़ी	१४२९–३०
११९५	बामनिया रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के विरुद्ध शिकायत ...	१४३०
११९६	रेलों के विधि अनुभाग और न्यायालय अनुभाग का पुनर्गठन	१४३०–३१
११९७	रेलवे सम्पत्ति पर नगरपालिका कर का निर्धारण ...	१४३१
११९८	पश्चिम रेलवे पर बेतार के तार की शाखा	१४३१
११९९	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१४३१
१२००	दिल्ली में पीने का पानी	१४३२
१२०१	चिकित्सा शिक्षा ...	१४३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२०२	अनन्तपुर में रेलवे का ऊपरी पुल	१४३३
१२०३	अनन्तपुर नगर में रेलवे चौकी	१४३३
१२०४	रेलवे बुक स्टालों पर "करेन्ट" पत्रिका की बिक्री	१४३३–३४
१२०५	इछल करंजी से कोल्हापुर मिरज लाइन को मिलाने वाली रलवे लाइन	१४३४
१२०६	रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	१४३४
१२०८	खाद्यान्न ...	१४३४–३५
१२०९	भोपाल जाने वाली डाक-गाड़ियां ...	१४३५
१२१०	दिल्ली में रेलवे बुकिंग एजेंसियां ...	१४३५
१२११	कटनी बिलासपुर लाइन पर स्टेशनों में सुधार	१४३५–३६
१२१२	दिल्ली में बाढ़ सहायता के उपाय	१४३६
१२१३	खाद्यान्नों के मूल्य ...	१४३६
१२१४	तूतिकोरिन एक्सप्रैस दुर्घटना	१४३७
१२१४-क	रेल दुर्घटना जांच समिति	१४३७

M26LSD—190—19-2-58—GIPF.

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६

५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १	१४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४७२–८०
नियम समिति	
सातवां प्रतिवेदन	१४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)	
विचार करने का प्रस्ताव ...	१४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका	१४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	१४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	१४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ...	१४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ...	१४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल में उचित मूल्य की दुकानें	१५०४–०५
नियम समिति—	
सातवां प्रतिवेदन ...	१५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ...	१५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में	१५०६
सभा का कार्य ...	१५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ...	१५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५१५–२३
खण्ड २ और १ ...	१५२३
पारित करने का प्रस्ताव	१५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२.०९ **बजे**

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : श्रीमान्, माननीय सदस्य श्री कामत ने कल रेलवे सम्बन्धी अनुपूरक मांगों पर बोलते हुए सभा को गलत जानकारी दी थी जिसे ठीक करने हेतु मैं आपकी अनुमति से एक वक्तव्य देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि उन्हें त्रिची के एक उत्तरदायी व्यक्ति श्री गोविन्दन से, जो कि कुलितलाई जिला बोर्ड के सदस्य हैं, एक पत्र प्राप्त हुआ था । उन्होंने तथाकथित पत्र का विषय भी पढ़कर सुनाया था । उक्त पत्र में लगाये गये आरोप इतने गंभीर थे कि आपने उसकी ओर विशेष ध्यान दिये जाने और उसके बारे में एक विशेष जांच कराने की इच्छा व्यक्त की थी । रेलवे तथा परिवहन मंत्री माननीय जगजीवन राम ने भी हस्तक्षेप करते हुए यह अनुरोध किया था कि चूंकि पत्र में लगाये गये आरोप अत्यन्त गंभीर हैं इसलिये वह पत्र उन्हें दे दिया जाये ताकि वह उस समिति से जांच करवा सकें जो इस विषय के बारे में जांच आदि कर रही है ।

कथित पत्र श्री जगजीवन राम को भेजा गया था और उन्होंने उसे निम्नलिखित टिप्पण के साथ मुझे भेज दिया :

> "श्री कामत ने संलग्न पत्र बिना किसी अग्रेप्षण टिप्पण[1] के मुझे भेज दिया है । जब वह सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने ऐसा दर्शाया कि वह किसी पत्र को पढ़ रहे थे । मेरा ख्याल है कि यह बात पीठासीन व्यक्ति के ध्यान में लाई जाये ।"

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Forwarding note.

[श्री अलगेशन]

कथित पत्र श्री गोविन्दन द्वारा श्री कामत को लिखा गया पत्र तो नहीं है अपितु वह केवल एक छपा पत्रक है जो तिरुचिरापल्ली में ७-१२-५६ को किसी सार्वजनिक सभा में श्री आर० गोविन्दन द्वारा दिये गये कथित भाषण का, जो तिरुचिरापल्ली के एक दैनिक पत्र "दिन" में प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी अनुवाद प्रतीत होता है (यह शब्द छपे हुए पत्रक के हैं)।

यह स्पष्ट है कि श्री कामत ने यह कह कर, कि वे उन्हें प्राप्त एक पत्र पढ़ कर सुना रहे हैं, सभा में कतई गलत धारणा पैदा की जबकि वह वास्तव में, उस छपे हुए पत्रक को पढ़ रहे थे जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक रेल दुर्घटना जैसी शोचनीय बात से भी कुछ लोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।

मेरी राय में यह बात संसद् के विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। किन्तु मैं यह मामला पूर्णतः आपके हाथों में छोड़ देना चाहता हूं ताकि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में इस सभा में स्वस्थ प्रथायें स्थापित हो सकें। मैं यह पत्रक और श्री कामत द्वारा श्री जगजीवन राम को भेजा गया पत्रक भी आपको देता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७५ और ७६]**

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल मेरे डेस्क पर कई कागजात पड़े हुये थे और जहां तक माननीय उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का सम्बन्ध है, यह सच है कि मुझे छपा हुआ पत्रक प्राप्त हुआ था किन्तु साथ ही उस व्यक्ति ने यह भी लिखा था "कृपया आवश्यक कार्यवाही कीजिये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : वह लिखित पत्र कहां हैं ?

†**श्री कामत** : वह कहीं खो गया है। बाद में मैंने श्री जगजीवन राम से भेंट करने का प्रयत्न किया किन्तु वह कहीं बाहर थे। मैंने उन्हें वह पत्रक भेज दिया था किन्तु उसके साथ जो एक पंक्ति का लिखित पत्र संलग्न था वह भेज न सका क्योंकि काफी खोज करने के बाद भी मैं उसे प्राप्त न कर सका। उस पत्रक के साथ एक अग्रेष्पण टिप्पण था जिसमें लिखा गया था "यह मेरे भाषण के बारे में समाचार है।" मुझे खेद है कि यह टिप्पण खो गया। मैं इस बात का निर्णय सभा पर सौंपता हूं और उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह यही बात श्री जगजीवन राम को नहीं लिख सकते थे ?

†**श्री कामत** : मैंने सभी तीनों पत्र यहां रखे थे किन्तु खेद है कि वह लिखित पत्र खो गया है। मैंने श्री जगजीवन राम को टेलीफोन किया था किन्तु वह वहां नहीं थे। यदि वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इतना ही कर .....

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा——रक्षित——अनुसूचित जातियां) : वह तो एक संलग्न पत्र है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संलग्न पत्र ही सब कुछ है।

†**श्री वेलायुधन** : केवल एक संलग्न पत्र .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस प्रकार बीच में नहीं बोल सकते। बार-बार अन्तर्बाधा उत्पन्न करने का दण्ड मैं उनको यही दूंगा कि उन्हें आगे बोलने का अवसर नहीं दूंगा। यदि उन्हें पत्र

†मूल अंग्रेजी में।

मिल गया था चाहे वह एक ही पंक्ति का क्यों न रहा हो—तो बात यहीं समाप्त हो जाती है। समाचारपत्रों में छपी प्रत्येक बात अधिकृत नहीं होती। माननीय सदस्य को आगा-पीछा सोच लेना चाहिये।

माननीय सदस्य का इतना कहना ही पर्याप्त है कि पत्र उनको मिल गया था। अतः और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

भविष्य के लिये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस प्रकार का गंभीर वक्तव्य देने के पूर्व, वक्तव्य की अधिकृतता के सम्बन्ध में भी पूरा निश्चय कर लेना चाहिये।

†**श्री कामत** : समय की कमी के कारण मैं उसकी अधिकृतता के बारे में पता नहीं लगा सका।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५४–५५ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५६ भाग २

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन, मैं विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५४–५५, और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५६–भाग २ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–५९१/५६]**

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमों में संशोधन

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ अग्रतर संशोधन करने वाली दिनांक २७ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १८–सी ई आर/५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–५९२/५६]**

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के कार्यवाही सारांश

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चौदहवें सत्र में हुई बैठकों (बीसवीं और इक्कसवीं) की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित तीन संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) "राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा अपनी १७ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में, लोक-सभा द्वारा अपनी २३ नवम्बर, १९५६ की बैठक में पारित किये गये प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक, १९५६ से, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।"

†मूल अंग्रेजी में।

[सचिव]

(दो) "राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १६२ के उपनियम (६) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५६, को जिसे लोक-सभा ने अपनी १२ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में पारित किया था और राज्य-सभा के पास उसकी सिफारिश के लिये भेजा था, लौटाते हुए यह बताना है कि उक्त विधेयक के सम्बन्ध में इस सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १६२ के उप-नियम (६) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे वित्त (संख्या ३) विधेयक १९५६ को, जिसे लोक-सभा ने अपनी १२ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में पारित किया था और राज्य-सभा के पास उसकी सिफारिश के लिये भेजा था, लौटाते हुए यह बताना है कि उक्त विधेयक के सम्बन्ध में इस सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सड़सठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री ब० गो० मेहता (गोहिलवाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास मंत्रालय (सामुदायिक परियोजना प्रशासन) के बारे में प्राक्कलन समिति (एस्टिमेट्स समिति) का अड़तीसवीं रिपोर्ट, भाग १, को पेश करता हूं।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने उन्नीसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :

(१) राइट रेवरेण्ड जान रिचर्डसन।
(२) श्री कोटा रघुरामैय्या।
(३) श्री मु० हिफ़ज़ूर रहमान।
(४) सरदार बलदेव सिंह।
(५) श्री चन्दिकेश्वर शरण सिंह जू देव।
(६) डा० एडवर्ड पाल मथुरम।
(७) श्री क० कु० बसु।
(८) श्री क० जनार्दन रेड्डी।

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : रेवरेण्ड रिचर्डसन की अनुपस्थिति का क्या कारण है? वह नाम-निर्देशित सदस्य हैं। ९० प्रतिशत दिनों को वह अनुपस्थित रहे हैं। सभा को राष्ट्रपति से सिफारिश करनी चाहिये कि वह उन्हें दुबारा नाम निर्देशित न करें ।

†**श्री तुलसी दास** (मेहसाना—पश्चिम): मुझे याद है, वह पिछले सत्र में आये थे। निकोबार द्वीप समूह से आने में उन्हें कठिनाई होती होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन की प्रतियां लेकर पढ़नी चाहिये। यदि अग्रेतर व्याख्या की आवश्यकता हो तो वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।

माननीय सदस्य ने चौदहवें सत्र की पूरी अवधि में अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। वह निकोबार में सामुदायिक परियोजना कार्य में व्यस्त हैं। सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की राय है कि माननीय सदस्य को इस अवधि में अनुपस्थित रहने की अनुमति दे दी जाय।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा): उन्होंने एक लम्बा पत्र लिखा है कि चूंकि वह सामुदायिक परियोजना कार्य में व्यस्त हैं, अतः उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये। लकड़ी का एक पुल १९५२ में टूट गया था। १९५४ में उसे फिर से बनाया गया था। अभी हाल में वह फिर टूट गया है। सीमेंट तथा अन्य सामग्री इकट्ठा कर ली गयी है और यदि काम अभी शुरू नहीं किया जायेगा तो सीमेंट खराब हो जायेगा। ऐसी स्थिति में वहां उनका उपस्थित रहना आवश्यक है। वैसे तो अनुपस्थिति के लिये यह कारण पर्याप्त नहीं है, फिर भी, समिति ने उनको अनुपस्थित रहने की अनुमति दे दी है। इस आशय का एक पत्र भी उनको लिखा जा रहा है।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : सभा को उनकी यह बात स्वीकार नहीं करनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि अनुपस्थित रहने की अनुमति देने के पूर्व उनके गत इतिहास पर विचार कर लिया जाय तो मैं उनका नाम परसों के लिये स्थगित कर देता हूं। मैं समझता हूं कि शेष व्यक्तियों के सम्बन्ध में सभा समिति की सिफारिश से सहमत है।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम्) : वह ३९ दिन अनुपस्थित रहे हैं। क्या ऐसी अवस्था में भी अनुमति अपेक्षित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य नियमों को अच्छी तरह देख लें। मैं समझता हूं कि अन्य सदस्यों के विषय में सभा सहमत है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को एतदनुसार सूचित किया जायेगा। अब हम अगला कार्य आरम्भ करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

राजनैतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधायें

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : साधारण निर्वाचनों के लिये विभिन्न राजनैतिक दलों को प्रसारण सुविधायें देने के प्रश्न पर सरकार विचार करती रही है। पिछले साधारण निर्वाचनों में सरकार ने अनुभव किया था कि ऐसी सुविधायें देने पर कोई न कोई दल अन्याय और पक्षपात का आरोप लगायेगा। तथापि चुनावों के बाद सरकार ने इस पर सावधानी से विचार किया है। अन्य लोकतंत्रात्मक देशों में प्रचलित प्रथाओं का अध्ययन और तुलना की गई है। ये उदाहरण एकरूप नहीं हैं और भिन्न-भिन्न देशों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर आधारित हैं। इस प्रश्न के व्यवहारिक पहलू का भी बहुत महत्व है। निर्णय करने में देश का क्षेत्रफल, शासन का रूप--संघानीय या एकीय—दलों की संख्या इत्यादि ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। अमेरिका में, जहां प्रसारण निजी उपक्रम है यद्यपि संघ संचार आयोग ने समान अवसर के कुछ सिद्धांत निर्धारित किये हैं, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि समय रखवाने के लिये पैसा देना पड़ता है और असंतोष और झगड़ा सदा रहता है। ब्रिटेन में युद्ध के बाद चुनावों के लिये प्रसारण के कुछ अवसर लिये गये हैं और समय दलों की शक्ति और अन्य व्यवहारिक बातों को देखकर दिया जाता है। स्विटजरलैंड में चुनावों के लिये रेडियो पर कोई समय नहीं दिया जाता और फ्रांस में केवल ५ मिनट या इससे भी कम दिया जाता है।

विदेशों में प्रचलित प्रथाओं से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक देश ने परिस्थितियों, दलों की संख्या और अन्य बातों को ध्यान में रखा है। भारत के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में अन्य देशों के उदाहरण मान्य नहीं हैं। अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए, सरकार का विचार है कि सभी राजनैतिक दलों को इस प्रकार की सुविधायें देने के लिये संतोषजनक प्रबन्ध करना असंभव नहीं, तो अत्यन्त कठिन होगा। एक और महत्वपूर्ण बात पर भी विचार किया जा रहा है। अन्य देशों में, राष्ट्रीय प्रसारण के लिये एक ही भाषा प्रयोग की जाती है और वह भी राष्ट्रीय निर्वाचनों में। किन्तु स्विटजरलैंड में तीन भाषायें हैं और यह इस बात का एक महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ चुनावों के लिये रेडियो का प्रयोग नहीं करने दिया जाता। भारत के सामने यह काम है कि अंग्रेजी के अतिरिक्त, १२ भाषाओं में २६ स्टेशनों से समान सुविधायें कैसे दी जायें। यह भी याद रखना चाहिये कि कार्यक्रम तैयार करने में लगभग २७ दलों को ये सुविधायें देनी पड़ेंगी।

विभिन्न राजनैतिक दलों को आकाशवाणी के भिन्न-भिन्न पर केन्द्रों समय बांटना बहुत कठिन कार्य होगा और इसकी आलोचना और पक्षपात का आरोप लगाया जाना अनिवार्य है। समय बांटने का सिद्धांत निश्चित करने में भी बहुत विवाद उत्पन्न होगा। आकाशवाणी के भाषाण केन्द्रों और प्रादेशिक केन्द्रों को बहुत-से दलों को दो-तीन या इससे भी अधिक भाषाओं में प्रसारण की सुविधायें देनी पड़ेंगी।

भिन्न-भिन्न देशों में समय का आवंटन भिन्न-भिन्न तरीके से किया जाता है। कुछ मतों की संख्या को देखते हैं, कुछ दलों के उम्मेदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हैं। हम अनुभव करते हैं कि ऐसे आवंटन से सरकार की आलोचना की जायेगी। दूसरी ओर, यदि सब दलों को समान समय दिया जाये, तो चुनाव के समय में आकाशवाणी की साधारण कार्यवाहियों को बहुत कम करना पड़ेगा। इसलिये प्रसारण के लिये न्यायोचित तरीके समय से देना बहुत ही कठिन है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सामान्यतया राजनैतिक दलों को चुनावों के लिये रेडियो की सुविधायें देना संभव नहीं होगा। तथापि सरकार समझती है कि छोटे पैमाने पर ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। इस

†मूल अंग्रेजी में।

बात को देखते हुए कि ऐसी सुविधायें देने से रेडियो का बहुत समय न लिया जाये और विभेद या पक्षपात का आरोप भी न लगे, यह निर्णय किया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा अभिज्ञात चार अखिल-भारतीय दलों को अपने घोषणा-पत्रों का संक्षेप नियमानुसार रेडियो पर प्रसारित करने की सुविधा दी जाये। ये संक्षेप १० मिनट से अधिक समय के नहीं होंगे और इन्हें अंग्रेजी और सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा। यह प्रयत्न किया जायेगा कि दलों के वक्तव्य, दिल्ली से अंग्रेजी और हिन्दी में और आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में एक ही दिन प्रसारित किये जायें। ऐसे प्रसारों का प्रबन्ध आकाशवाणी दलों के अधिकारियों के परामर्श से करेगा।

चुनावों से प्राप्त होने वाले अनुभव को देखकर सरकार इस बात पर विचार करेगी कि आगे क्या कदम उठाये जायें।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इस वक्तव्य से बहुत-से पेचीदा प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उदाहरणतया क्या केवल कांग्रेस दल को घोषणा-पत्र प्रसारित करने का अधिकार होगा और क्या कांग्रेस के छोटे-बड़े सभी नेताओं को भाषण करने दिया जायेगा ? मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मामले पर चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। माननीय मंत्री ने कहा है कि भाषण नहीं होंगे, केवल घोषणा-पत्र प्रसारित किये जायेंगे और प्रत्येक दल को १० मिनट दिये जायेंगे और क्या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

†**श्री कामत :** कांग्रेस दल को भी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कांग्रेस राजनैतिक दल नहीं है ?

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दूंगा।

(संख्या विनियोग ५) विधेयक

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** मैं* प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं* प्रस्ताव करता हूं :

"कि ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिये कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं के लिये प्राधिकृत या अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और खण्ड ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र, और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अलगेशन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं* प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और खण्ड ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अलगेशन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल राज्य के विधान मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को सौंपने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह साधारण प्रस्ताव है । यह मुख्यत: औपचारिक है । माननीय सदस्य जानते हैं कि केरल राज्य वर्तमान में सीधे संसद् के नियंत्रणाधीन है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

केरल के इस प्रकार के प्रशासन के लिये राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को संसद् का अनुमोदन इस मास के प्रारम्भ में प्राप्त हो गया था । इस विधेयक पर विचार करने के लिये मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूं वह उक्त उद्घोषणा की स्वीकृति का एक अनिवार्य परिणाम है । जैसा माननीय सदस्य जानते हैं त्रावनकोर-कोचीन राज्य विगत मार्च में सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में ले लिया गया था । उसके पश्चात् राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप नये केरल राज्य की स्थापना हुई और पहली नवम्बर को उसका प्रादुर्भाव हुआ । इसलिये एक नई उद्घोषणा जारी की गई। सभा द्वारा उक्त उद्घोषणा का अनुमोदन तथा स्वीकरण हुआ है। जब इसी प्रकार त्रावणकोर-कोचीन राज्य के लिये इसी प्रकार की उद्घोषणा पहले जारी की गई थी, तो तत्कालीन त्रावणकोर-कोचीन राज्य के लिये विधायनी शक्तियों के प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में सभा द्वारा ऐसा ही विधेयक पारित किया गया था ।

स्थानीय विधान-मण्डल की अनुपस्थिति में, केरल राज्य के लिये आवश्यक अवस्था की वैधानिक स्वीकृति प्रदान करने की दृष्टि से संसद् को कुछ तात्कालिक विधि ढूंढनी पड़ेगी। अत: राष्ट्रपति को यह शक्ति देने का प्रस्ताव किया गया है । किन्तु इस तरह के किसी भी विधेयक को स्वीकार करने के पूर्व इसे केरल राज्य के सब सदस्यों से मिली-जुली एक समिति के समक्ष प्रस्तुत रखा जाकर विचार करना होगा। वस्तुत: उद्घोषणा की औपचारिक स्वीकृति के पूर्व ही मुझे केरल के सदस्यों के साथ इस पर परामर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । उन्होंने मुझे कृपापूर्वक अत्यन्त उपयोगी सलाह दी है। अब इस विधेयक के द्वारा केरल सम्बन्धी व्यवस्था समिति के समक्ष रखी जायेगी और तदनन्तर राष्ट्रपति उन्हें वैधिक रूप एवं स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

दो विधेयकों को अविलम्ब ही अनुमोदन प्रदान करना है । एक व्यवहार न्यायालयों से सम्बन्धित है और दूसरा अनर्हतायें हटाने से। जब त्रावनकोर-कोचीन राज्य राष्ट्रपति के शासनाधीन था तब राष्ट्रपति ने उक्त राज्य के सम्बन्ध में ग्यारह विधेयकों का अनुमोदन एवं प्रकाशन किया । इनमें से सब त्रावणकोर-कोचीन समिति द्वारा स्वीकृत कर लिये गये थे ।

विधायिनी शक्तियों के प्रत्यायोजन से सम्बन्धित इस प्रकार का विधेयक पहले भी पारित किया गया था। सच तो यह है कि जब कभी भी किसी राज्य को सीधे राष्ट्रपति के शासन में लिया गया तो इस प्रकार का विधेयक पारित करना आवश्यक हो गया । पंजाब, पेप्सू, त्रावणकोर-कोचीन और आंध्र इसके उदाहरण हैं । अत: सभा से मेरी इसे पारित करने की प्रार्थना है। इससे केरल की जनता के लाभार्थ विधान पारित करने में सुविधा होगी ।

भूमि सुधार आदि से सम्बन्धित कुछ प्रश्न विचाराधीन हैं तथा यदि उपयुक्त उपबन्धों को समुचित रूप दिया जा सका तो उन्हें भी समिति के समक्ष रखा जायेगा । इन सब कार्यों के लिये हमें भरसक

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित गो० ब० पन्त]

प्रयत्न करना चाहिये। यह विधेयक अल्पावधि के लिये होगा क्योंकि आम चुनावों के पश्चात् केरल में नया विधान मंडल बन जाने पर राष्ट्रपति का शासन समाप्त हो जायेगा। इस बीच केरल राज्य की जनता की इच्छाओं की परिपूर्ति के लिये जो भी कार्य आवश्यक है उन्हें इस विधेयक के अधीन विधिवत् रूप एवं आकार प्रदान किया जायेगा।

अतः मैं इसे सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं। मुझे आशा है कि सभा इसे निर्विवाद मान-कर बिना किसी अधिक चर्चा के पारित कर देगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिन्कील) : मैं माननीय गृह मंत्री से इस बात पर सहमत हूं कि जहां तक इस सभा में प्रक्रिया का सम्बन्ध है यह विधान साधारण है, परन्तु राष्ट्रपति की विधियों के अन्तर्गत जो विभिन्न समस्यायें आयेंगी, उनकी दृष्टि से यह साधारण नहीं।

यद्यपि इस विधान के खण्ड ३ के अनुसार केरल राज्य के लिये विधि बनाने का अधिकार संसद् के प्राधिकार अधीन प्रयोग किया जाना है परन्तु व्यवहार्यतः इस सभा को वे अधिकार प्राप्त नहीं। मंत्रणा समिति में हम राज्य विधान-मण्डल का प्रतिनिधित्व करते हुए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते। अतः यह विधेयक और संसद् को कतिपय अधिकार सौंपने वाले उपबन्ध केरल विधान मंडल की शक्तियों की अपेक्षा सीमित हैं।

माननीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि १३ विधेयक पारित किये गये और सभी को समिति ने स्वीकार किया। परन्तु वे जानते हैं कि उन पर चर्चा के समय बहुत से मूल अन्तर के प्रश्न उठाये गये जिनका उत्तर नहीं दिया गया और विधेयकों को अधिनियमों के रूप में परिचालित कर दिया गया।

जल कर के सम्बन्ध में एक विधान था। हम में से कुछ ने कहा कि भूतलक्षी प्रभाव से यह उपकर नहीं लगाया जा सकता। इससे गृह मंत्री सहमत नहीं हुए।

यह मंत्रणा समिति न तो संसद् की समिति है और न ही त्रावनकोर-कोचीन विधान मंडल का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से स्पष्टीकरण मांगा था और उन्होंने लिखा था कि यह संसद् की समिति नहीं और उसके फलस्वरूप हम समिति में इस समिति के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। वहां की चर्चा का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता। इससे ऐसा पता लगता है कि सब सदस्य सहमत हो गये परन्तु यह तथ्य नहीं।

हमें व्यावहारिक कठिनाइयों का कुछ ध्यान रखना चाहिये। परन्तुक में उपबन्ध है कि ऐसे किसी अधिनियम को अधिनियमित करने से पूर्व राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये बनाई गई समिति से परामर्श लेगा। इस समिति की बैठकों में केवल एक-दो बार ही गृह मंत्री आये हैं। इस उपबन्ध के अधीन केवल भारत के राष्ट्रपति को परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। मैं नहीं जानता कि प्राधिकार क्यों प्रत्यायोजित नहीं किया गया। मैं अनुभव करता हूं कि राष्ट्रपति व्यस्त रहते हैं अतः मैंने संशोधन में यह उपबन्ध रखा है कि वे गृह मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्रालय के किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकें। आशा है गृह-कार्य मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

एक और व्यावहारिक कठिनाई है। इस समिति के सभी सदस्य केरल के हैं और गृह मंत्री को ज्ञात है कि विशेष कारणों से दो मास तक हम में से कोई राज्य से बाहर नहीं रह सकता। अतः मेरा सुझाव है कि समिति की बैठक केरल में किसी स्थान पर हो।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जिन पर माननीय मंत्री कृपया विचार करें। हमें समिति के सदस्यों को भी ऐसे विधानों का सुझाव देने का अवसर मिलना चाहिये जो कि कतिपय स्थितियों के हेतु हमारे राज्य के लिये अत्यावश्यक हों। नित्य प्रति की समस्याओं को तो कार्यपालिका हल कर सकती है परन्तु कतिपय समस्याओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।

कल प्रख्यापन पर चर्चा के समय मैंने एक-दो बातें भूमि सुधारों के सम्बन्ध में उठाई थीं। माननीय गृह मंत्री ने बताया कि समिति भूमि सुधारों पर विचार कर रही है। परन्तु कुछ सुधार पहले होना आवश्यक है। हज़ारों किसानों को भूमि पर दोहरा कर देना पड़ता है एक तो सरकार को मूल कर देना पड़ता है और दूसरे 'जेन्मीकदम' देना पड़ता है। राजस्व वसूली अधिनियम के जिन उपबन्धों के अधीन लोग त्रस्त हो रहे उनका निरसन होना चाहिये। यह कार्यपालिका आदेश से नहीं हो सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने कहा कि समिति के सदस्यों को सुझाव देने का अवसर मिलना चाहिये और उन्होंने इस सम्बन्ध में उदाहरण भी दिया। वे अब इस के ब्योरे को न लें।

†**श्री वें० प० नायर** : एक अन्य विषय है जिसके लिये जटिल विधान पर्याप्त नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि 'कुथागापटम' नियम केरल राज्य के केवल कुछ भागों पर लागू होते हैं। आपने सारे केरल राज्य के लिये विधि बनानी है। इससे कुछ विधि सम्बन्धी प्रश्न पैदा होते हैं। यह एक पृथक् बात है कि जिन भागों में यह विशेष प्रकार का भूधारण प्रचलित नहीं है उनको भी इसमें सम्मिलित करके, सरकार समूचे क्षेत्र के लिये एक आदेश दे सकती है। लेकिन, किसी भी प्रकार का यह महत्वपूर्ण भूमि-सुधार करने से पहले, हमें अपने यहां के कृषकों के कष्ट दूर करने चाहियें, विशेषतया उन कृषकों के कष्ट जिनकी भूमि पर सरकार का अधिकार····

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आता। इसमें तो हमें यही निर्णय करना है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाये या नहीं।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं इस विषय विशेष का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं कि इस सभा को निर्विवाद रूप से वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो केरल विधान मण्डल को प्राप्त हैं। केरल विधान मण्डल में तो यह नियम था कि कोई भी गैर-सरकारी सदस्य कोई भी विधान प्रस्तुत कर सकता था, और यदि सदस्यों का बहुमत उसका समर्थन करे तो वह विधि बन जाता था। लेकिन, इस सभा में उन सबके लिये समय नहीं है। समिति के सदस्यों के रूप में हमारा काम विधान के मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देनी ही है। हमें लोक-महत्व के अविलम्बनीय मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार रहना चाहिये। सरकार ने केरल राज्य के प्रतिनिधियों को समिति में सम्मिलित किया है, इसलिये केरल राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में हमें किसी भी आवश्यक विधान को प्रस्तुत कर सकने का अधिकार रहना चाहिये। यह वास्तविक व्यवहार के क्षेत्र में नहीं आता, हालांकि सैद्धांतिक रूप से इसे उस क्षेत्र में माना जा सकता है।

मैं गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे समिति की बैठकों का प्रबन्ध करें। उनसे भारत सरकार के प्रतिनिधियों को राज्य की विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी भी हो जायेगी। भारत सरकार का काम राज्य के विधायिनी खिताव की पूर्ति ही नहीं करना है, बल्कि चुनावों और विधान-निकाय के निर्माण तक वहां सामान्य स्थिति बनाये रखना भी है। मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेने से आपको जनता से सम्पर्क बनाये रखनें, समस्याओं पर चर्चा करने और सभी दलों के प्रतिनिधियों की राय पर विचार करने के अवसर मिलते रहेंगे।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वें० प० नायर]

इसमें एक ऐसी भी स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिये कि राष्ट्रपति की ओर से एक या दो मंत्री केरल राज्य के प्रतिनिधियों से परामर्श कर सकें। यह इसलिये कि राष्ट्रपति के साथ हमारे बैठने और तमाम विषयों के सम्बन्ध में चर्चा करने के कोई अवसर ही नहीं आते।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : गृह-कार्य मंत्रालय ने पहले त्रावनकोर-कोचीन राज्य के मामलों में और अब केरल राज्य के मामलों में बड़ी रुचि दिखाई है। मंत्रालय के अधिकारी इन दोनों राज्यों के मामलों की अधिक जानकारी रखते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : ऐसा नहीं है।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं केवल श्री नायर द्वारा कही गई बात का अनुसरण कर रहा हूं।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लपि) : आप अच्छे उदाहरण का अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : मंत्रणा समिति का गठन भी एक नई दिशा में उठाया गया कदम है। पेप्सू, आंध्र या पंजाब के मामले में मंत्रणा समिति का गठन नहीं किया गया था।

वर्तमान विधेयक में यह भी एक व्यवस्था की गई है कि विधान सम्बन्धी कार्यों के लिये केरल राज्य के सभी सदस्य मंत्रणा समिति में रहेंगे। यह बड़े संतोष का विषय है।

मैं श्री वें० प० नायर की इस बात का समर्थन करता हूं, कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रणा समिति को बैठकें केरल राज्य में ही करनी चाहियें, जिससे कि सभी सदस्य उनमें सम्मिलित हो सकें।

अगले आम चुनावों के लिये अब कुछ ही महीने रह गये हैं, इसलिये तमाम विधेयक पारित करने का अवसर नहीं रह गया है। लेकिन, उस राज्य के व्यवहार न्यायालय अधिनियम के संशोधन से सम्बन्धित विधेयक को अभी ही पारित कर लेना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना गृह-कार्य मंत्री का यह आश्वासन पूरा नहीं किया जा सकेगा कि अतिरिक्त जिला न्यायालय गठित किये जायेंगे, और वर्तमान जिला न्यायालयों की सभी शक्तियां अतिरिक्त जिला न्यायालयों को भी दे दी जायेंगी। आशा है कि शीघ्र ही यह विधान मंत्रणा समिति के सदस्यों के सामने पेश किया जायेगा।

त्रावणकोर-कोचीन और मलाबार की विधियों को एकीकृत करने के लिये एक भारतीय असैनिक सेवा के वरिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके लिये विधान निर्माण करने से पहले मंत्रणा समिति के सदस्यों से भी परामर्श किया जाना चाहिये। यह इसलिये आवश्यक है कि न्यायालयों का व्यवहार-क्षेत्राधिकार भी अब परिवर्तित होने जा रहा है। अभी इस समय तो मलाबार और त्रावनकोर के व्यवहार क्षेत्राधिकार भिन्न-भिन्न हैं। हमें उनमें एकरूपता लाने के लिये सम्बन्धित राज्य में आय के सामान्य स्तर और प्रति व्यक्ति औसत सम्पदा को भी देखना पड़ेगा। इसलिये, इनके सम्बन्ध में मंत्रणा समिति के सदस्यों से परामर्श कर लेना आवश्यक है।

श्री वें० प० नायर ने परामर्शक समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में ठीक नहीं कहा है। राष्ट्रपति ने जितने भी विधेयक अधिनियमित किये हैं, वे या तो समिति की सर्वसम्मत सिफारिश पर या बहुमत की राय से ही किये हैं।

†**श्री पुन्नूस** : कभी मतदान हुआ भी था ?

†**श्री अ० म० थामस** : कुछ मामलों में मतदान हुआ था, लेकिन आम राय यह थी कि मतदान कराने की आवश्यकता ही नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मेरे मित्र ने जल उपकर को भूतलक्षी प्रभाव देने के उदाहरण का उल्लेख किया है। त्रावनकोर सरकार के विरोध करने पर भी, समिति की सर्वसम्मत राय यही थी कि इस विधेयक में विहित जल उपकर की दरों को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान किया जाये। अब उसकी शिकायत करना उचित नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने हमारी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। मेरे विचार से तो समिति ने उचित सिफारिशें ही की थीं। अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी राष्ट्रपति ने, मंत्रणा समिति की राय लेने के बाद, अधिनियमित कर दिया है।

गृह-कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जहां तक भी सम्भव हो सकेगा, अग्रेतर भूमि-सुधार किये जायेंगे। भूमि सुधारों की दिशा में हमने कुछ उपाय किये भी हैं। त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा में कुछ अन्य विधेयक भी विचाराधीन थे। उनमें से एक विरुम्बा कृषकों या इच्छाधीन कृषकों को भूधारणाधिकार को स्थिरता देने के सम्बन्ध में, और दूसरा जोतों की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में था। पहला विधेयक इतना अविलम्बनीय नहीं है, उसको प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में केरल सरकार विचार कर सकती है। दूसरा विधेयक बड़ा विवादग्रस्त है। योजना आयोग के साथ होने वाली अनौपचारिक चर्चाओं में, हमने सुझाव दिया था कि जोतों की एक सीमा निर्धारित कर दी जाये और उस सीमा से अधिक विस्तार की जोतों पर कुछ अधिभार भी लगाया जाये। योजना मंत्री ने इस सुझाव को बहुत पसंद किया था। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि क्रांतिकारी कार्यवाही करने की अपेक्षा ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे जोत के सम्बन्ध में उच्चतम सीमा नियत करने के लिये हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

निस्सन्देह परामर्शक समिति राज्य के लिये विधान बनाने के प्रयोजन से गठित की जा रही है। परन्तु इसमें केरल के सभी सदस्यों के होने के कारण और इस बात को देखते हुए कि वहां कोई विधान सभा नहीं है, उस राज्य के समक्ष अन्य समस्याओं के समाधान के लिये इससे परामर्श किया जा सकता है। वर्तमान राज्यपाल के पूर्वाधिकरी श्री पी० एस० राव ने वित्त आयोग के सामने ज्ञापन रखने के सम्बन्ध में हमें बातचीत के लिये बुलाया था। उन्होंने द्वितीय योजना से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में बातचीत के लिये हमें बुलाया था। मैं यह बातें इसलिये कह रहा हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा स्थानीय सरकार को यह निदेश दिया जा सके कि जहां तक सम्भव हो, परामर्श समिति की राय जानने का भी प्रयत्न किया जाय। मेरा केवल यह सुझाव है कि परामर्श का क्षेत्र या इस समिति का कार्य क्षेत्र इसके वास्तविक कार्यकरण के सम्बन्ध में विस्तृत किया जाय।

उदाहरण के लिये वहां अब खाद्य स्थिति गम्भीर है। हमें अब मालूम हुआ है बर्मा से १५,००० टन चावल केरल भेजा जायेगा। इससे बहुत सहायता मिलेगी। परन्तु वितरण कार्य व्यवस्था के द्वारा असन्तोषजनक ढंग से कार्यकरण के कारण वहां निराधार अभाव भी है। कोचीन में समस्त केरल क्षेत्र के लिये केवल एक ही गोदाम था। जब उचित दामों वाली दुकानों के मालिक पैसे दे कर डिपो में चालान लेकर जाते हैं तो उन्हें एक सप्ताह बाद आने के लिये कहा जाता है। उन्हें फिर जाना पड़ता है। इसलिये केरल सरकार तथा परामर्श समिति के बीच इस विषय पर बातचीत की जा सकती है कि उचित दामों वाली और दुकानें खोली जायें और वितरण कार्य व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाये।

आज सवेरे एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में बताया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित योजनाओं के लिये, विशेषतया मलाबार जिले के लिये राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में परामर्श समिति से भी परामर्श किया जा सकता है। जहां तक मलाबार जिले का सम्बन्ध है, गांव स्तर, ताल्लुक स्तर, जिला स्तर पर योजनायें तैयार नहीं की गई हैं और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

[श्री अ० म० थामस]

मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि उस विशिष्ट क्षेत्र में दो या तीन बड़े उद्योग स्थापित किये जायेंगे। इस दिशा में परामर्शक समिति से परामर्श किया जा सकता है। श्रम स्थिति के सम्बन्ध में भी जो कठिनाइयां हैं, उनके सम्बन्ध में इस समिति से परामर्श किया जा सकता है।

दक्षिण में केरल राज्य में असन्तोषजनक बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार का छापाखाना वहां स्थापित करने के लिये अभ्यावेदित करते रहे हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि गृह-कार्य मंत्रालय के कहने पर केरल में एक छापाखाना स्थापित किया जायेगा। यदि इस प्रकार की कार्यवाहियां की गईं तो उसे इस नाम से पुकारा जाना बन्द हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री वेलायुधन** : (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले इस सभा में हम जो संकल्प पारित कर चुके हैं यह विधेयक केवल उनके नियमित-करण के लिये है। इसलिये इस प्रक्रम पर मुझे विस्तार में कुछ नहीं कहना है। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री के ध्यान के लिये कुछ बातें बताना चाहता हूं।

वहां अछूत जातियों सम्बन्धी कई समस्यायें हैं और मुझे विश्वास है कि सरकार उनके बारे में जागरूक है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस अवसर पर हम केवल इस विषय पर वाद-विवाद कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति को विधियों के बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिये या नहीं। और फिर परामर्शक समिति है जिससे कुछ मामलों पर परामर्श किया जाना चाहिये। परन्तु राज्य की शिकायतों या विकास योजनाओं की चर्चा करना इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। सदस्यों को केवल विधेयक से सम्बन्धित मामलों तक ही सीमित रहना चाहिये।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : क्या केरल राज्य के सम्बन्ध में हम उन विषयों की चर्चा नहीं कर सकते जिनके लिये विधान अपेक्षित है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल निर्देश मात्र ही किया जा सकता है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति द्वारा उन बातों के सम्बन्ध में विधान बनाया जाना चाहिये अन्यथा इस विधेयक पर वाद-विवाद कभी समाप्त न हो सकेगा।

†**श्री वेलायुधन** : मैं अपने आपको विधेयक की बातों तक ही सीमित रखूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परामर्श समिति और स्वयं राज्यपाल राज्य में किस प्रकार से अपना कार्य-सम्पादन करेंगे। राज्यपाल केरल की जनता के हितों का संरक्षक है क्योंकि वहां कोई विधान सभा नहीं है। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को यह बात बताना चाहता हूं कि अछूतों या अनुसूचित जातियों की सूची में पुलाया समुदाय का नाम छूट गया है। यह समुदाय राज्य में एक प्रमुख अछूत जाति है। इस विशिष्ट समुदाय को अनुसूचित आदिम जातियों में अब सम्मिलित किया गया है। इस गलती को ठीक करने के लिये माननीय मंत्री या राज्यपाल अब भी एक अध्यादेश निर्गमित कर सकते हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इस सभा द्वारा हाल ही में आदेश स्वीकार किया गया था।

†**श्री वेलायुधन** : यदि मुझे ठीक याद है तो गृह-कार्य मंत्री ने हमें बताया था कि यह केवल अन्तर्कालीन आदेश है। मद्रास सरकार से पूरा ब्योरा प्राप्त करने के लिये समय नहीं था और इसका शोधन कर दिया जायेगा। मालाबार उस समय मद्रास राज्य में था। इस मामले का सम्बन्ध त्रावनकोर-कोचीन से नहीं है। उदाहरण के लिये श्री ईयाचरण का मामला लीजिये जो पुलाया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनूसूचित जाति से अब वह अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इन सभी बातों पर हाल ही में इस सभा में विचार किया गया था और सभा द्वारा आदेश स्वीकार किया गया था। सभा की इच्छाओं को पूरा करने का मैंने भरसक प्रयत्न किया था। मैंने कहा था कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि इन आदिम जातियों या जातियों के जिन व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें वे विशेषाधिकार और सुविधायें मिल सकें जो उन्हें दी गई हैं।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री मुख्य बात से हटते जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों को संसद् तथा विधान सभाओं में विशेषाधिकार प्राप्त था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम इस बात को छोड़ दें क्योंकि यह सुसंगत नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** : अब मैं खाद्य स्थिति की चर्चा करना चाहता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : आपने अभी विनिर्णय दिया था कि इस विधेयक से सम्बन्धित तत्सम्बन्धी बातों की ही चर्चा की जाय। खाद्य स्थिति का विधेयक से क्या सम्बन्ध है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य से फिर कहूंगा कि वह अपने भाषण को विधेयक के क्षेत्र तक ही सीमित रखें।

†**श्री वेलायुधन** : यह एक ऐसी उद्घोषणा है जिसका मैंने प्रारम्भ से ही विरोध किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल यह है कि क्या यह विधान बनाया जाना चाहिये या नहीं।

†**श्री वेलायुधन** : मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं यही बता रहा हूं कि यह विधान क्यों प्रस्तुत किया गया है। इसके लिये कौन उत्तरदायी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह नहीं है कि यह विधान आवश्यक क्यों है या आवश्यक क्यों नहीं है। हमने कुछ विधान पारित किये हैं और अब संसद् को विधान बनाने का अधिकार है। हमारे सामने प्रश्न केवल यह है कि क्या यह अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा जाय या नहीं।

†**श्री वेलायुधन** : यदि संसद् किसी संकल्प को स्वीकार कर भी चुकी है तो उसे उस पर पुनः विचार करने का अधिकार है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस समय नहीं।

†**श्री वेलायुधन** : जब हमारे सामने पैप्सू और त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में इसी प्रकार के विधेयक थे तो मुझे उन बातों के सम्बन्ध में भाषण करने का अवसर प्राप्त हुआ था जिनके सम्बन्ध में हम संकल्प पर बोल थ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि हमने गलती की भी थी तो अब हमें उसे दोहराना नहीं चाहिये।

†**श्री वेलायुधन** : मैं आपका विनिर्णय स्वीकार करता हूं। हमारे राज्य में जो भ्रष्ट सरकार स्थापित थी, उसी के कारण इन सभी बातों की आवश्यकता हुई है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस बात को सभा सुन चुकी है।

†**श्री वेलायुधन** : तब मैं बैठ जाती हूं।

†**श्री पुन्नूस** : यदि इस विधेयक के उपबन्धों का पूरी तरह से पालन किया जाय तो भी समस्याओं का समाधान न हो सकेगा।

वहां पर सन्तोषजनक प्रशासन के लिये गृह-कार्य मंत्रालय को कुछ उपाय करने होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय का इन समस्याओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पुन्नूस]

मेरे विचार में इस अवधि में हमें अधिक विधान कार्य न करना होगा, परन्तु माननीय गृह-कार्य मंत्री ने भूमि सुधारों से सम्बन्धित विधेयकों की ओर निर्देश किया था। ये विधेयक राज्य विधान सभा के सामने भी थे। यदि देर लगाने की नीति न अपनायी जाती तो वे पारित भी हो जाते। त्रावन-कोर-कोचीन के लिये परामर्शक समिति गठित करने पर यहां यह कहा गया था कि परामर्श समिति द्वारा ये विधान तुरन्त ही बनाये जायेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब तक इन अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया जायेगा तब तक ऐसा कैसे हो सकता है ?

†**श्री पुन्नूस** : त्रावनकोर-कोचीन के लिये एक परामर्श समिति थी परन्तु उसकी बैठक केवल दो या तीन बार हुई थी और इन भूमि सुधारों के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया था। अब चुनाव निकट होने पर इन विधेयकों पर विचार करने की बात कही गई है। मैं चाहता हूं कि परामर्श समिति द्वारा इन पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि विधान के सम्बन्ध में केवल परामर्श समिति की नियुक्ति मात्र से ही काम नहीं चलेगा। आपको याद होगा कि कुछ समय हुआ, वहां पर खण्ड न्यायालय, जिला न्यायालय के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भारी आन्दोलन हुआ था। वहां प्रशासक ने जनता अथवा राज्य की भावनाओं को नहीं समझा था। हम इन बातों को रोकना चाहते हैं। इसलिये मेरे दो सुझाव हैं। एक सुझाव तो श्री वें० प० नायर का संशोधन है कि जितनी बार सम्भव हो, इस परामर्श समिति की बैठकें केरल में हों। कम से कम इस काल में मास में एक बार बैठक अवश्य वहां होनी चाहिये। माननीय मंत्री को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि कोई ऐसे उपाय ढूंढे जायें जिनसे विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलों से राज्य की समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श किया जा सके।

उदाहरण के लिये, द्वितीय योजना में मलाबार के लिये दिये गये बंटन से हम चिन्तित हैं और आप यह नहीं कह सकते कि परामर्श समिति है और हमारी केवल विधान में अभिरुचि है। मलाबार को उसका उचित अभ्यंश मिलना चाहिये और यदि मद्रास राज्य इस सम्बन्ध में कुछ न कर सकता हो तो केन्द्रीय सरकार को सहायता करनी होगी। इन प्रयोजनों के लिये परामर्श समिति से परामर्श करना होगा।

खाद्यान्नों की कीमतों का प्रश्न भी है। इनके दाम बढ़ रहे हैं और हम प्रत्येक गांव में उचित दामों वाली दुकानें चाहते हैं। मैं जानता हूं कि और कहना असंगत होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कहने ही वाला था कि माननीय सदस्य भी उसी क्षेत्र में भटक रहे हैं।

†**श्री चट्टोपाध्याय** (विजयवाड़ा) : आप उन्हें कुछ बातों तक सीमित रहने के लिये कहते हैं। जब तक धारणा स्पष्ट न हो सीमित रहना असम्भव है।

†**श्री पुन्नूस** : माननीय गृह-कार्य मंत्री जानते हैं कि काजू कारखानों को बन्द करने के फलस्वरूप ४०,००० श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। श्री अ० म० थामस ने उर्वरक तथा रासायनिक त्रावनकोर-लिमिटेड जैसे उद्योग में श्रमिक अशांति की चर्चा की है......

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये महत्वपूर्ण बातें हैं, परन्तु इन्हें किसी अन्य समय कहा जाना चाहिये।

†**श्री पुन्नूस** : मेरे विचार में ये बातें संगत हैं। अधिक न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को श्रमिक अशांति की समस्या का समाधान करना होगा।

वहां सरकार की एक प्लाईवुड फैक्टरी है। मुझे बताया गया है कि इसे बेचा जा रहा है। इस पर वहां आन्दोलन हो रहे हैं। इन सभी बातों पर विचार करने के लिये न केवल संसद् सदस्यों बल्कि विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को भी सम्बद्ध करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं चाहता हूं कि यह परामर्श समिति अधिक क्रियाशील हो तथा यह अधिक बार अपनी बैठकें करे ताकि भूमि सुधार के बारे में तुरन्त कोई वास्तविक विधान बनाया जा सके।

श्री अ० म० थामस ने कुछ सीमा से ऊपर की जोत के लिये एक विशिष्ट कर आरोपित करने का सुझाव दिया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इससे भूमि के दाम बढ़ जायेंगे। इसलिये हम जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के पक्ष में हैं। अर्थात् केरल राज्य में एक विशिष्ट सीमा से अधिक किसी के पास भूमि नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कुछ विधेयक जो पहिले त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान सभा के सामने लम्बित थे, अब मंत्रालय में विचाराधीन पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि परामर्श समिति द्वारा इन पर विचार किया जाना चाहिये और शीघ्र ही कोई विधान बनाया जाना चाहिये।

यद्यपि माननीय मंत्री इन समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में अधिक सफल नहीं हुए हैं, तथापि मुझे विश्वास है कि परामर्श समिति इस दिशा में कुछ न कुछ कर सकेगी।

†**श्री अच्युतन** : इससे पहिले हम त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सम्बन्ध में ऐसे ही एक विधान पर विचार कर चुके हैं। मुझे आशा है कि इस प्रकार का यह अन्तिम विधान होगा क्योंकि मार्च या अप्रैल १९५७ में केरल में एक विधान-सभा और एक स्थायी सरकार भी स्थापित हो चुकी होगी।

जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि नौ या दस महीने के इस थोड़े से समय में लगभग तेरह विधेयक अधिनियमित किये जा चुके हैं। वहां जनता द्वारा उनका स्वागत किया गया है।

श्री अ० म० थामस ने सिंचाई विधेयक की चर्चा की है और कहा है कि परामर्श समिति में हमने सिफारिश की थी कि दरों का भूतलक्षी प्रभाव होना चाहिये। अब यह कहा गया है कि ऐसे आदेश जारी करने होंगे कि जिनसे किसानों को केवल वही दर देने होंगे जो जुलाई में पारित किये गये नये विधेयक में उपबन्धित हैं। मैं कह नहीं सकता कि यह कहां तक ठीक है और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आदेश जारी कर दिये गये हैं।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में जब विधान सभा थी, तो उसमें भूमि सुधार सम्बन्धी कई विधेयक लम्बित थे। विधान सभा के विघटन के पश्चात् भी हम उस राज्य में कई भूमि सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में प्रयत्न करते रहे हैं। उदाहरणार्थ हम कृषकों के लिये प्रतिकर (सुधार) विधेयक के लिये प्रयत्न करते रहे हैं। मलाबार प्रदेश में इस समय भी धान के खेतों, नारियल बागान तथा दूसरी प्रकार की भूमि के सम्बन्ध में उचित किराया निश्चित करने वाला एक अधिनियम लागू है और उसको त्रावनकोर-कोचीन प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है, ताकि कृषकों के लिये जब तक कोई नया विधान नहीं बनता, तब तक इसी पुराने अधिनियम से ही कृषकों को कुछ लाभ हो सके।

समाचारपत्रों से हमें यह ज्ञात हुआ है कि मलाबार का जिला बोर्ड समाप्त किया जा रहा है। यदि यह सच है, तो इस सम्बन्ध में इसकी जगह कोई अन्य व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। यदि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में विद्यमान पंचायत अधिनियम तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम को मलाबार में भी लागू कर दिया जाये, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई कठिनाई न आयेगी।

इसी प्रकार से कई और विधान भी हैं जो कि केवल त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में ही लागू हैं। और कई ऐसे हैं जोकि केवल मलाबार क्षेत्र में ही लागू हैं यदि एक प्रदेश में लागू विधियों को दूसरे प्रदेश में भी लागू कर दिया जाय तो उससे दोनों प्रदेशों के लोगों को बड़ा लाभ होगा।

इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी समस्यायें केरल राज्य में विद्यमान हैं। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर अथवा केरल राज्य के किसी अन्य स्थान पर परामर्श समिति की एक दो बैठकें अवश्य की जायें और इन समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में सोच विचार किया जाये। तत्पश्चात् राष्ट्रपति उनके सम्बन्ध में आवश्यक विधान पारित करें।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अच्युतन]

इसी प्रकार से काजू उद्योग सम्बन्धी समस्या की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाये । यह दूसरी समस्या है जिसके समाधान के लिये एक विधान बनाने की बड़ी आवश्यकता है ।

मुझे विश्वास है कि सरकार कई अन्य विधानों पर भी विचार कर ही है, जिन्हें वह जनवरी या फरवरी में परामर्श समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगी । मेरा सुझाव है कि समिति की एक-दो बैठकें केरल राज्य में अवश्य की जायें ताकि मंत्री जी स्वयं वहां जायें और समिति के सदस्यों से बातचीत कर सकें । यदि ऐसा किया गया, तो हमारे मन में इस बात का संतोष होगा कि गृह-कार्य मंत्री ने हमारे राज्य के भले के लिये अपना भरसक प्रयत्न किया है ।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन्** (टेल्लिचेरी) : मुझे इस बात से हर्ष है कि अब परामर्श समिति का पुर्नगठन किया जा रहा है, और इसमें संसद् की दोनों सभाओं में केरल राज्य के सदस्य सम्मिलित होंगे । केरल राज्य के संसद्-सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक २२ नवम्बर को गृह-कार्य मंत्री द्वारा बुलाई गयी थी, और उसमें कई निर्णय किये गये थे । परन्तु इस बात का खेद है कि उन निर्णयों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

उनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि मलाबार जिले को तीन भागों में बांट दिया जाये, और मुझे स्मरण है कि यह निर्णय एक सर्वसम्मत निर्णय था । हां, इस बारे में विवाद अवश्य था कि एक जिले का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन पुरानी बातों का पुनः उल्लेख करने से क्या लाभ है ?

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन्** : इनका परामर्श समिति से सम्बन्ध है । इसीलिये मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका सम्बन्ध तो बहुत-सी बातों से है, परन्तु वे फालतू हैं । अतः आप अपनी मुख्य बात पर आयें क्योंकि दो बज कर पन्द्रह मिनट पर चर्चा समाप्त करनी है ।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन्** : मैं तो केवल यही बताने का प्रयत्न कर रहा था कि परामर्श समिति में जो निर्णय किये गये थे, उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है । जहां तक जिले के मुख्यालय के स्थापना-स्थान के प्रश्न का सम्बन्ध है, उस पर सिवाय एक सदस्य के अन्य समस्त सदस्य सहमत हो गये थे । मैं यही निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि वहां के उत्तरदायी पदाधिकारी ऐसे कार्यों के लिये दौरा कर रहे हैं जिनके सम्बन्ध में परामर्श समिति में निर्णय हो चुके हैं । उदाहरणार्थ वहां के सलाहकार ने हाल ही में इसलिये दौरा किया है कि जिससे इस बात का निर्णय किया जा सके कि उस जिले का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाये । परन्तु इस सम्बन्ध में परामर्श समिति पहले ही निर्णय कर चुकी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी बातें असंगत हैं ।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन्** : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि परामर्श समिति द्वारा किये गये निर्णयों को कार्यान्वित किया जाये, और ऐसी कोई बात न की जाये जोकि उन निर्णयों के विरुद्ध हो ।

इस सुझाव का मैं भी समर्थन करता हूं कि समिति की बैठकें केरल में की जायें । उसकी बैठकें त्रिवेंद्रम, एरणाकुल्लम् अथवा कोजीकोड़े में की जायें ।

इसके अतिरिक्त विधेयक में लिखा है कि इस प्रकार का कोई अधिनियम लागू करने से पहले राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझे तो परामर्श समिति से परामर्श करेंगे । मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को बदल दिया जाये ताकि राष्ट्रपति उस समिति से अधिक परामर्श ले सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अय्युण्णि** (त्रिचूर) : इस विधेयक में विधायिनी शक्तियों के प्रत्यायोजनों के बारे में व्यवस्था है। श्री थामस ने कहा है कि क्योंकि एक परामर्श समिति स्थापित कर दी गयी है, इसलिये दैनिक कार्यों में उत्पन्न होने वाली सभी कठिनाइयों के बारे में उस समिति से परामर्श लेना लाभकारी है। मैं भी उनका समर्थन करता हुआ यही सुझाव देता हूं कि यदि कठिन समस्याओं के बारे में उस समिति से परामर्श लेकर कार्य किये जायें तो उससे वहां का कार्य अधिक कुशलता से चल सकेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य के वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में भी समिति से परामर्श लिया जाये। क्योंकि अगला वित्त आयोग ५ वर्ष के बाद नियुक्त होगा, इसलिये इसके सम्बन्ध में भी समिति से परामर्श लिया जाये।

इसके अतिरिक्त एक और मामला भी है जिसकी ओर श्री दामोदरन् ने निर्देश किया है। यहां पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी अधिनियम लागू करने से पूर्व राष्ट्रपति यदि उपयुक्त समझें, तो वह किसी समिति से परामर्श लेंगे यहां पर जो 'shall' (गे) शब्द है, यह बड़ा ढीला सा शब्द है, और 'यदि उपयुक्त समझे तो' यह वाक्य ऐसा है जो कि परामर्श लेने के आभार को लगभग समाप्त कर देता है। अतः मेरा यह सुझाव है कि उपरोक्त के शब्दों को बदल कर यह रख दिया जाये कि इस प्रकार के किसी भी अधिनियम को लागू करने से पूर्व राष्ट्रपति, जब तक कि समय की कमी के कारण वैसा न कर सकेंगे उसके बारे में एक समिति से परामर्श लेंगे। परामर्श से यह अर्थ नहीं कि राष्ट्रपति उस समिति के सुझावों को अवश्य स्वीकार कर लें। अतः उस समिति से परामर्श अवश्य लिया जाये। इस सम्बन्ध में मैंने यद्यपि कोई संशोधन नहीं रखा है, फिर भी मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे। अन्त में मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि परामर्श समिति से न केवल वैधानिक मामलों, अपितु अन्य मामलों के बारे में भी परामर्श किया जाये।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम): मैंने इस सभा के विभिन्न पक्षों के सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त किये गये सभी विचारों को सुना है। इन समस्त भाषणों में मुख्य रूप से तीन बातें कहीं हैं। उनमें से एक में यह कहा गया है कि समिति की बैठकें केरल में ही हुआ करें। हम सब लोग इस प्रस्तावना से सहमत हैं।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि उसकी बैठकें कितनी बार होनी चाहियें, मैं समझता हूं कि इसके लिये एक निश्चित सूत्र बना लिया जाये, और इसके बारे में एक निश्चित सूत्र है भी और वह यह कि जब भी राष्ट्रपति उपयुक्त समझेंगे, समिति से परामर्श लेंगे, और हमें इस सूत्र में पूरा विश्वास रखना चाहिये। श्री अय्युण्णि ने सुझाव दिया है कि इस खण्ड में संशोधन करना चाहिये। मैं समझता हूं कि संशोधन से कोई विशेष लाभ न होगा। अतः हमें सरकार की सद्भावना में पूरा-पूरा विश्वास रखना चाहिये। और इस खण्ड को वर्तमान रूप में ही रहने दिया जाय।

दूसरी विशेष बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि इस समिति का क्षेत्र यद्यपि सीमित ही बताया गया है तो भी मेरा सुझाव है कि सरकार इसके क्षेत्र को व्यापक बना दे और संवैधानिक मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों के बारे में भी उस समिति से परामर्श लिये जायें। मुझे खुशी है कि अधिकतर सदस्य मेरे इस कथन से सहमत हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि निर्वाचन निकट आ जाने के कारण मैंने भूमि सुधारों के सम्बन्ध में कुछेक टिप्पण दिये हैं अथवा कुछेक निर्देश किये हैं। सम्भवतः वे अपनी मानसिक स्थिति को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन निकट

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित गो० ब० पन्त]

आ जाने के कारण केरल का प्रत्येक सदस्य इसके बारे में विचार प्रकट करना आवश्यक समझता है, और मुझे आशा है कि ये सदस्य इस सभा में भाषण देना जितना आवश्यक समझते हैं, केरल की सरकार और वहां के लोग इसकी ओर उतना ही अधिक ध्यान देंगे और उनकी इच्छाओं को उस सीमा तक पूरा करने का प्रयत्न करेंगे जहां तक वे लोकहित में हैं।

इस बात की ओर निर्देश किया गया है, कि हमारी ओर से परामर्श समिति से परामर्श करना वांछनीय होगा। इस प्रकार के मिथ्या सन्देह विद्यमान हैं जब कि इस प्रकार के सन्देहों का कोई आधार नहीं। मैं माननीय सदस्यों को स्मरण करा देना चाहता हूं कि परामर्श समिति बनने से पहले भी मैंने केरल के सदस्यों की एक बैठक की थी और मैंने उनसे उन मामलों के बारे में परामर्श लिया था जिनका सम्बन्ध विधान से है। जब कि कार्यवाही की उपेक्षा कर देने पर भी इस प्रकार के सन्देह प्रकट किये जाते हैं, तब तो इन सन्देहों को दूर करना बड़ा कठिन है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि पहले कई निर्णय किये गये थे, परन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। सम्भवतः वह यह समझते हैं कि एक दिन यदि कोई निर्णय किया जाये तो वह दूसरे दिन ही कार्य रूप में परिणत हो जाये। मलाबार जैसे विभाग को तीन भागों में विभाजित करना एक ऐसा कार्य है जिस पर अभी कुछ समय लगेगा। परन्तु उस बैठक में जो भी सुझाव प्रस्तुत किये गये थे, उनके आधार पर दूसरे दिन ही आदेश जारी कर दिये गये थे। मैं केरल के लोगों की सेवा करने को उत्सुक हूं और मुझे केरल के सदस्यों द्वारा दी गई सलाह को ठुकरा देना अच्छा नहीं प्रतीत होता। हमें विश्वास है कि वे केरल का मामला बड़े संतोषजनक रूप से सम्भालेंगे। जहां तक सरकार के निर्णयों अथवा वैधानिक कार्यों का सम्बन्ध है, वे सभी केरल के सदस्यों द्वारा दिये गये परामर्शों पर आधारित थे। यह ठीक है कि कुछ व्यक्ति इन निर्णयों से सहमत न हों परन्तु वे समिति के सदस्यों की राय के अनुसार थे। यदि समिति के कुछ सदस्यों की राय विरोध में हो तो हम लोकतन्त्रात्मक रूप से बहुमत की इच्छाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस से और अधिक असंतोष फैल सकता है। परन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि जहां तक सम्भव हो, निर्विरोध रूप से मामला निबट जाना चाहिये जिससे सही मायनों में तथा लगभग सभी की इच्छाओं के अनुरूप केरल की भलाई हो सके।

जहां तक भूमि सम्बन्धी विधानों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि यह विवादास्पद विधान है तो हम इसको जबरदस्ती लागू करना नहीं चाहते हैं। मैं देखता हूं कि यहां भी मत वैभिन्नय है। श्री थामस ने कुछ कहा तथा श्री पुन्नूस ने कुछ और। क्या उनकी यह इच्छा है कि हम अपनी इच्छानुसार विधेयक बनायें अथवा वे चाहते हैं कि इस प्रकार के मामलों के लिये एक नया विधान बनाया जाये। हम जनता अथवा समिति की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना नहीं चाहते। सभी मामलों पर वह स्वयं विचार करेगा। परन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इन सभी वैधानिक मामलों में समिति का परामर्श लेना चाहता हूं तथा अन्य मामलों में भी आवश्यकता तथा सुविधानुसार परामर्श लेना चाहता हूं।

हमने एक बड़ी समिति नियुक्त की है। पहली ही बार राज्य के सभी सदस्य समिति में सम्मिलित किये गये। अथवा पहली सलाहकार समितियों में सम्बन्धित राज्यों के कुछ सदस्य ही सम्मिलित किये गये थे। हमने ऐसा इसलिये किया कि मेरी इच्छा यह है कि हमें केरल के सभी सदस्यों का परामर्श लेना चाहिये।

मैं भूमि विधि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ मासों में, जब से हमने कार्यभार संभाला है कई विधान, जैसे त्रावनकोर-कोचीन ऋणी किसान सहायता अधिनियम, त्रावनकोर-कोचीन भूमि

संरक्षण अधिनियम, त्रावनकोर-कोचीन काश्तकारों के सुधार के लिये प्रतिकर अधिनियम, आदि पारित किये। मुझे क्षमा कीजिये यदि मैं कहूं कि इस बारे में हमने जब से भार सम्भाला है तब से कुछ महीनों में ही सम्भवतया इतना कार्य किया है जो इस राज्य प्रशासन के प्रभारी और लोग वर्षों में कर सकते थे ।

उचित मूल्य की दुकानों के बारे में यह कहा गया है कि वहां केवल ५ अथवा १० दुकानें हैं। जो आंकड़े मुझे मिले हैं उनसे मैं कह सकता हूं कि १६५ थोक तथा २,६२१ खुदरा उचित मूल्य की दुकानें अब तक खोली जा चुकी हैं। तथा आवश्यकतानुसार और दुकानें खोली जायेंगी। ये आंकड़े पुस्तक रूप में मुद्रित, प्रकाशित होकर यहां परिचालित किये जा चुके हैं। कहीं कुछ गलती जरूर है क्योंकि ५ तथा २,६२१ में बड़ा अन्तर है। यह ५ का ५०० गुना है।

हमें बताया गया कि 'राष्ट्रपति' शब्द के स्थान पर 'गृह-कार्य मंत्री' अथवा 'गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री' रखना चाहिये। यह कठिनाई है परन्तु विधि इसी प्रकार बनानी पड़ती है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद ७७ के अनुसार सभी कार्यपालिका शक्ति तथा कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किये जाते हैं। इसीलिये संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले सभी विधेयक इसी रूप में बनाये गये हैं। इस बारे में किसी संदेह की आवश्यकता नहीं है ।

एक यह सुझाव दिया गया कि केरल में बैठक हो। मैं केरल में रहना पसन्द करूंगा। यदि सरकारी कार्य के लिये मुझे वहां जाना पड़ेगा तो मैं अपने मित्रों से वहां मिलना पसन्द करूंगा। वह एक बड़ा अच्छा स्थान है तथा जो भी वहां गया है उसने उसकी प्रशंसा की है। मैं भी वहीं जाना चाहता हूं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं आशा करता हूं कि यह अनिच्छा के कारण नहीं होगा अपितु अन्य कारणों से ऐसा होगा जो मेरे काबू से बाहर होंगे ।

मैं नहीं जानता कि और भी कोई प्रश्न उठाया गया है। परन्तु मेरी इच्छा है कि हम इस तीन अथवा चार महीनों के थोड़े से समय में ऐसे कार्य कर देंगे तथा ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर देंगे जिससे लोकतंत्रीय सरकार वहां स्थापित हो सके। हमारी सदा यही इच्छा रही है तथा हमारी यही इच्छा रहेगी । इस बारे में, मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की आशा करता हूं ।

हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। मैं इस समय इसके अतिरिक्त और कुछ कहना नहीं चाहता जो कुछ विधेयक में दिया गया है। परन्तु हमें आशा करनी चाहिये कि हम सहयोग की भावना से काम करेंगे ।

†**श्री पुन्नूस** : मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। समिति की बैठक में हमने मलाबार जिले के मुख्य कार्यालय के बारे में निर्विरोध निर्णय किया था ।

†**पंडित गो ब० पन्त** : मुझे याद है कि निर्णय किया गया था तथा जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं उस निर्णय को लागू करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया आदेश दिये जा चुके हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को केरल राज्य के विधान मंडल की विधान बनाने की शक्ति देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३—(राज्य विधान मण्डल की शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपना)

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा के लगभग सभी सदस्यों ने मेरे संशोधन का समर्थन किया है तथा मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री उसे स्वीकार कर लेंगे।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे अधिक और कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं संशोधन सभा में मतदान के लिये रखूं ?

†**श्री वें० प० नायर** : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १ अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९५३ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक सीधा-सा विधेयक है और इसका उद्देश्य वित्त आयोग की, तम्बाकू, दियासलाई, तथा वनस्पति उत्पादों के उत्पादन-शुल्क से हुई आय का ४० प्रतिशत विभिन्न राज्यों में अन्तर्कालीन वितरण के लिये अन्तरिम सिफारिशों को लागू करने का है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इन शुल्कों की आय का वितरण संविधान के अनुच्छेद २७२ के अधीन संसद् द्वारा बनाई गई विधि से होता है।

वित्त आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन गत १३, दिसम्बर को सभा-पटल पर रखा गया था तथा उसी के साथ सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी सभा-पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में वे कारण बताये गये हैं जिनके कारण आयोग को अन्तरिम पंचाट देना पड़ा और जिनके आधार पर यह पंचाट दिया गया। मैं इस समय इस पर अधिक कह कर सभा का समय लेना नहीं चाहता। इस प्रतिवेदन के आधार पर अगले वर्ष किये जाने वाले भुगतानों का समायोजन आयोग की अन्तिम सिफारिशों के निर्णयों के आधार पर होगा जिसके लिये उस वर्ष आवश्यक विधान बनाया जायेगा।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६, और बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (प्रदेशों का स्थानान्तरण अधिनियम, १९५६ और जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अंश के शामिल हो जाने से हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होने वाले समायोजनों के कारण, मूल अधिनियम में दी गई प्रतिशतता के आधार पर ही

---

†मूल अंग्रेजी में।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

विभिन्न राज्यों में अंशों की प्रतिशतता है। उत्पादन-शुल्क की वर्तमान दरों तथा चालू वर्ष के प्राक्कलनों के आधार पर राज्यों को १८·२ करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान होगा। परन्तु आने वाले वर्ष की धनराशि, उस वर्ष में इन तीन वस्तुओं पर प्राप्त उत्पादन-शुल्क के कुल राजस्व पर आधारित होगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिन्कील) : मेरे विचार से यह विधेयक इतना सीधा-सादा नहीं है, जितना कि बताया गया है। मैंने वित्त आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन पढ़ा लेकिन मैं यह नहीं जान पाया कि यह वितरण किस आधार पर किया गया है। मैं नहीं जानता विभिन्न राज्यों को उन राज्यों की जनता के आधार पर उनका भाग मिलेगा अथवा उन प्रदेशों से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में आये राजस्व के आधार पर उन्हें भाग मिलेगा। मेरे विचार से जो धनराशि अब दी जायेगी उसमें १९५२ के वित्त आयोग के प्रतिवेदन में बताई गई राशि में बड़ा कम अन्तर है। मैं यही जानना चाहता हूं कि यह वितरण जनता अथवा उनके द्वारा राजस्व में दिये गये अंश के आधार पर होगा अथवा राज्य के आय-व्ययक के लिये अपेक्षित धन को पूरा करने में भी इस पर ध्यान रखा जायेगा।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय यह बतायें कि यह वितरण अन्तरिम प्रतिवेदनों के आधार पर किया जायेगा अथवा स्वतन्त्र रूप से किया जायेगा। यदि ऐसा है तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि तब केरल राज्य की प्रतिशतता ३·८६ नहीं रह जायेगी अपितु कुछ बढ़ जायेगी। मेरा विचार भी यही है कि केरल को अधिक धनराशि मिलनी चाहिये। उसके दो कारण हैं।

एक तो यह है कि यह सबसे कम विकासवान प्रदेश है। वित्त आयोग की मूल सिफारिशों के अनुसार मैसूर का अनुदान ४० लाख रुपये था तथा पुराने त्रावनकोर-कोचीन राज्य को ४५ लाख रुपये था। परन्तु मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब पुराने त्रावनकोर-कोचीन राज्य को ४५ लाख रुपये देने की सिफारिश पहले वित्त आयोग ने की थी अब वर्तमान आयोग ने समस्त केरल के लिये केवल ४० लाख रुपये की व्यवस्था की है।

दूसरी बात जिसका ध्यान हमें रखना चाहिये यह है कि केरल राज्य का अधिकांश भाग राजाओं के प्रशासन में रहा है तथा इसका आर्थिक विकास बड़ा अजीब हुआ है। आप जानते हैं कि उस समय कोचीन पत्तन से इतनी आय नहीं होती थी, जितनी कि अब होती है। अगर आप राज्य का इतिहास पढ़ें तथा सौ वर्षों का उसका विकास देखें तो आपको यह पता चलेगा कि यद्यपि केरल राज्य के सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क अलग थे फिर भी उनसे कोई लाभ नहीं था। १८६५ में आंग्ल प्रशासन तथा त्रावनकोर सरकार ने "अन्तर पत्तन समझौता" किया था जिसके अनुसार हम उन दरों पर सीमा-शुल्क ही लेंगे जिन दरों पर अंग्रेजी पत्तनों पर सीमा-शुल्क लिया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक फसलों की पैदावार बढ़ाई जाने लगी तथा खाद्यान्नों की पैदावार कम होने लगी। आज हमें खाद्यान्न बाहर से खरीदने पड़ते हैं। इन्हीं वाणिज्यिक फसलों के कारण सरकार को विदेशी मुद्रा अधिक मिलने लगी है तथा हम निर्यात अधिक कर रहे हैं।

भूमि-कर के कारण भूमि राजस्व बड़ा नियंत्रित था। जब यह कर लागू किया गया था उस समय हमारी स्थिति बड़ी अच्छी थी तथा अन्य बहुत से कारणों से हम सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क से धन प्राप्त कर सकते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वें० प० नायर]

१९५० में वित्तीय एकीकरण के पश्चात् स्थिति दूसरी प्रकार की हो गई। अब भी हम भूमि कर पर आधारित भूमि राजस्व ले सकते हैं। हमने सारा उत्पादन-शुल्क केन्द्रीय सरकार को दे दिया तथा हमें केवल प्रति व्यक्ति धन मिलता है।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूं कि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में, जो सभा-पटल पर रख दिया गया है बता दिया है कि उनकी सिफारिशों पर किये गये निर्णयों को सरकार १-४-१९५७ को लागू करे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अन्तरिम सिफारिशों को आयोग के विचार नहीं समझ लेने चाहिये। वह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं तथा उनका अन्तिम निर्णय पुनर्निर्धारण के आधार पर होगा। परन्तु मेरे माननीय मित्र यह बता रहे हैं कि उन्होंने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है। इस समय उन्हें यह सब बातें नहीं कहनी चाहिये क्योंकि यह तो सीधा-सा विधेयक है।

†**श्री वें० प० नायर** : मैंने इस बात पर कभी भी जोर नहीं दिया कि यह अन्तिम सिफारिशें हैं। परन्तु मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक प्रामाणिक आयोग की अन्तरिम सिफारिश तथा अन्तिम सिफारिश में कोई अन्तर हो। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि मान लीजिये ३·८६ प्रतिशत का आवण्टन बढ़ा कर ५ प्रतिशत कर दिया तो मेरे राज्य को एक करोड़ से अधिक धन मिलेगा। इसी-लिये मैं चाहता हूं कि जिस किसी भी आधार पर यह प्रतिशतता निश्चित की गई हो परन्तु इसका पुनरीक्षण होना चाहिये।

इसके साथ-साथ दो अन्य सिफारिशें भी की गई हैं। प्रतिशतताओं का विभाजन बाद के निर्णयों के आधार पर किया गया है परन्तु यह बात रह जाती है कि जब अन्तरिम सिफारिश को लागू करने के लिये इसको बनाया गया है तभी यह भी बताया गया है कि आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल को क्रमशः ७५ लाख रुपया, ७१ लाख रुपया, ५० लाख रुपया तथा १५२ लाख रुपया दिया जायेगा। मेरे विचार से यह धनराशि भी कम है।

†**सभापति महोदय** : १४·३० पर हमें केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार करना है। क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेना चाहेंगे।

†**श्री वें० प० नायर** : जी, हां।

†**सभापति महोदय** : आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले वित्त विधेयकों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मैंने, खासकर आज की वर्तमान आर्थिक दशाओं में, कराधान के विषय में कुछ ढिलाई की आवश्यकता के सम्बन्ध में विस्तार से बताया था। वास्तव में यह विधेयक मेरे उसी उल्लेख के अनुरूप है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

वित्त विधेयक पुर:स्थापित करते हुए मैंने अपने वक्तव्य में यह भी बताया था कि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर आजकल कितना बोझ पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में बनी हुई तथा आयात की हुई अनेक अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव इतने बढ़ गये हैं कि उत्पादन-मूल्य से उनका कोई अनुपात नहीं है ।

अत: अर्थ-व्यवस्था को काबू में रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह आयातों पर इस प्रकार नियंत्रण रखे जो वह सामान्यतया नहीं रखती, किन्तु विदेशी मुद्रा सम्बन्धी बातों के कारण हम वैसा करने के लिये तैयार हैं । आशा है कि सभा मुझ से इस बात में सहमत होगी कि सारी बातों को काबू में रखने के लिये हमें प्रत्येक सम्भव कार्यवाही करनी होगी ।

इन्हीं कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करना इस विधेयक का लक्ष्य है । सूती कपड़ पर शुल्क वृद्धि की प्रस्थापनायें जब सभा के सामने रखी गयी थीं तब सभा ने यह सन्देह व्यक्त किया था कि क्या उस विधेयक से उसका वह प्रयोजन पूरा हो जायेगा । वास्तव में, मूल्य काबू से बाहर नहीं हुए । अगस्त के अन्त में जो रुख दिखाई पड़ रहा था उसे रोका गया और कुछ मामलों में भाव गिर गये । अब तो खपत भी सामान्य ही है । सम्भवत: लोग यह शिकायत करें कि माल जमा हो गया है किन्तु आज स्थिति प्राय: साधारण है । मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह स्थिति इसी प्रकार रहेगी या नहीं, क्योंकि जिन घटनाओं के कारण वास्तव में यह स्थिति उत्पन्न हुई है, उनमें एक घटना बाढ़ और संचार साधनों का छिन्न-भिन्न हो जाना है । मुझे यह कहने में हर्ष होता है कि जनता ने सहयोग दिया है । अनेक जगहों पर जनता ने अधिक मूल्य न देने की अपील मानी है ।

अत: जिन उद्देश्यों से यह विधेयक बनाया गया था उन्हें प्राप्त करने में यह विधेयक किसी हद तक सफल हुआ है । मैं समझता हूं कि उस विधेयक से हमारी अर्थ-व्यवस्था को कोई हानि नहीं हुई है, बल्कि उससे हमें कुछ लाभ ही हुआ है ।

कपड़े के प्रश्न के सम्बन्ध में भी, मुझे पूरा-पूरा विश्वास नहीं है कि निकट भविष्य में आज जैसी स्थिति रहेगी या नहीं । प्राय: जो उपभोग आज नहीं होता वह आगे के लिये टाल दिया जाता है । शादियों का मौसम आ रहा है और यदि फसलें अच्छी हुईं तो आशा है कि मांग बढ़ेगी । सम्भवत: इस बीच उत्पादन अधिक होगा और वही स्थिति नहीं रहेगी जो अगस्त में थी । कपड़े के सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं और यह फिर कहता हूं कि जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं वे अधिकतर जनता के सहयोग के कारण हुए हैं और मैं योजना की पूर्त्ति के लिये उसी पर निर्भर हूं ।

इससे यही दिखायी पड़ता है कि उस अवसर पर जो कार्यवाही हमने की, उससे हमें अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्य अवसरों पर भी सहायता मिल सकती है । मैं अभी यह नहीं बता सकता कि किन वस्तुओं के सम्बन्ध में वह शक्ति हो । मैं उन वस्तुओं को गिना देता किन्तु उससे लोग उन वस्तुओं को संचय कर लेंगे । यदि कोई आपात विधेयक रखना हो तो यह अधिक अच्छा है कि वह तुरन्त रखा जाये और यह कहने के बजाय कि मैं अमुक-अमुक वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने जा रहा हूं, कुछ निर्बन्धन के साथ वह रखा जाये ।

दूसरी बात यह है कि सभा स्थगित होने जा रही है और इसी कारण मैंने यह विधेयक सभा के समक्ष रखा है । सम्भव है कि पांच महीने से अधिक की अवधि तक सभा पुन: समवेत न हो । इस बीच आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ रद्दोबदल हो सकता है ।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर आजकल कितना बोझ पड़ रहा है और उसके कुछ पहलुओं को सुरक्षित रखने के लिये निकट भविष्य में हम जो कुछ कार्यवाही सम्भवत: करेंगे

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उससे वह बोझ अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है। मुझे दु:ख है कि वह अनिवार्य है। इन रुझानों पर नियंत्रण रखने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा और किया गया है किन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि स्थिति किस ओर करवट लेगी ताकि मैं अभी सभा के सामने कोई विशिष्ट प्रस्थापना रख सकूं।

वर्तमान विधान से हमें यह शक्ति दी गयी है कि परिस्थिति के अनुसार हम सूती वस्त्र और नकली रेशम पर शुल्क बढ़ायें या घटायें किन्तु मैं आश्वासन दे सकता हूं कि यदि सभा उसे अनुमोदन करे तो सूती वस्त्र अथवा नकली रेशम के मामले में यह विधेयक लागू नहीं किया जायेगा। किन्तु अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में यह वांछनीय समझा जाता है कि आपात का सामना करने के लिये सरकार को कुछ सीमित शक्ति दी जाये। इसी कारण मैंने इस विधेयक की प्रस्थापनायें सभा के सामने रखी हैं।

मैं फिर यह बता देना चाहता हूं कि यह मुख्यत: एक पुर्वोपाय है। जो शक्ति हम मांग रहे हैं, यदि उसके उपयोग की आवश्यकता न पड़े तो मैं सबसे अधिक प्रसन्न होऊंगा। राजस्व प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिये मैं कराधान की शक्ति का उपयोग करना नहीं चाहता। तत्कालीन वित्त मंत्री अगली मई में वह सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसका उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना होगा किन्तु यहां मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना नहीं है।

इस विधेयक का क्षेत्र यह है कि वर्तमान उत्पादन-शुल्क अधिकतम ५० प्रतिशत तक बढ़ाने की शक्ति दी जा सके। मेरे मित्र श्री तुलसीदास के इस कथन से कि "उस समय जब कि यह अधिनियम लागू हो, विद्यमान शुल्कों के ५० प्रतिशत", कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है। सम्भव है कि वे ठीक कहते हों। मेरा वही आशय है और सरकार का भी वही आशय है और यदि संसद् वह आशय स्वीकार करती है तो सरकार किसी दशा में उसके विपरीत नहीं जा सकती। किन्तु मैं नहीं समझता कि यह संशोधन विधेयक के अनुरूप होगा क्योंकि यह एक वर्ष के लिये ही लागू होगा। हो सकता है कि अगले वित्त अधिनियम में हम शुल्क बढ़ा दें। तब पुन: इस विधेयक में परिवर्तन करना होगा। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा यह आशय नहीं है कि गुणक प्रभाव जारी रहे। अर्थात् यदि मैं किसी वस्तु पर ५० प्रतिशत शुल्क बढ़ाऊं और बाद में यह कहूं कि उसे फिर ५० प्रतिशत बढ़ाया जाता है तो यह बात नहीं होगी कि १५० प्रतिशत होने के बजाय, वह १५० का ५० प्रतिशत अर्थात् २२५ प्रतिशत बढ़ा दिया जाये। ऐसा नहीं होगा। वह कुल का ५० प्रतिशत ही बढ़ाया जायेगा, अधिक नहीं।

†**सभापति महोदय** : विधेयक के शब्दों से दूसरी व्याख्या भी सम्भव है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैंने विधि मंत्रालय को उस ओर ध्यान देने के लिये कहा है किन्तु मरे माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है उसका मेल नहीं बैठता। जो भी हो, मैं उस विषय का परीक्षण करूंगा।

देशी उद्योग के लिये, जिस पर ऐसा अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकेगा, संरक्षण कायम रखने के लिये और सामान्य वित्तीय सिद्धान्तों के अनुसार, विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि उत्पादन-शुल्क में ऐसी वृद्धि के बराबर आयात प्रतिशुल्क वास्तव में लग जायेगा; अर्थात् जिस वस्तु पर शुल्क लगाया जा सकता है, उस पर यदि अन्य और कोई कर न लगायें तो दूसरी बात लागू नहीं होगी। यदि वह लागू होती है तो यह ठीक है कि वह दोनों तरह कार्य करे। इसी कारण विधेयक में उत्पादन-शुल्क के बराबर आयात शुल्क में वृद्धि करने की व्यवस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक केवल एक वर्ष की अवधि के लिये लागू होगा। इसे जारी रखना आवश्यक न होगा। यदि जारी रखना हुआ तो किसी दूसरी शक्ल में रखा जा सकता है। तब इस पर संबद्ध विधान मण्डल विचार करेगा और इसके हानि तथा लाभ के बारे में सोचेगा। इस समय हम यही कहेंगे कि यह एक वर्ष तक के लिये लागू रहेंगे अधिक समय के लिये नहीं।

इस समय मैं अधिक न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि यदि मुझे इस विधेयक को प्रयोग न करना पड़े तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यदि ऐसा प्रबन्ध रहा कि मांग के अनुसार माल आता रहे तो सरकार को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता न होगी। इस से मुझे प्रसन्नता होगी। यदि वास्तव में हम अतिरिक्त राजस्व बढ़ाना चाहें तो उसके लिये समय वह होगा जब हम राजस्व बढ़ाने के विशिष्ट प्रस्तावों को यहां रखेंगे। मुख्यतया इसका प्रयोजन राजस्व बढ़ाना नहीं है यद्यपि अचानक ही इसमें राजस्व बढ़ाने का प्रस्ताव भी है।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : मैं इस विधेयक के लिये निश्चित समय जानना चाहता हूं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : मैं समझता हूं कि यह ५ घण्टे है।

इस विधेयक के बारे में मैं एक सांवैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। आप उस पर ध्यान से विचार करें। क्या यह बात हमारे संविधान के अनुकूल है कि इस प्रकार से कराधान करने की स्वतन्त्रता कार्यपालिका को दे दी जाये? संविधान के अनुच्छेद २६५ के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। इंग्लैंड में भी "मैगना कार्टा" के समय से यही प्रयत्न रहा कि कराधान का अधिकार कामन्स को हो। इसी प्रकार अमेरिका के संविधान के अनुसार कराधान करने, कर एकत्रित करने आदि के अधिकार 'कांग्रेस' को हैं। इसी प्रकार हमारे संविधान में भी उपबन्ध है। विधि का अर्थ "संसदीय विधान"। इसलिये क्या ठीक है कि विधान अधिकार मंत्री को दिये जायें? क्या हम इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद २६५ का उल्लंघन नहीं कर रहे? लोगों पर कर संसद् ही लगा सकती है। इस प्रकार कर लगाने से हम संविधान का उल्लंघन करेंगे। कराधान के लिये पूर्ण विधि होनी चाहिये। संसद् ही विधि द्वारा कराधान कर सकती है।

मैं यह नहीं कहता कि यह स्वतन्त्रता पूर्ण है। एक सीमा निर्धारित की जा रही है। किन्तु इस प्रकार संसद् द्वारा अधिकारों को कार्यपालिका को देना ठीक नहीं है। कराधान में संसद् का प्रभुत्व कायम रखा जाना चाहिये। इस प्रकार तो आय-व्ययक तथा वित्त विधेयकों की भी क्या आवश्यकता है। किन्तु हम ऐसी विधि नहीं बना सकते। ऐसी विधि अवैध होगी। आप को याद होगा कि १९४२ के कांग्रेस आन्दोलन के बाद अध्यादेश संख्या २ लागू किया गया था। इस पर फेडरल कोर्ट में आपत्ति की गई और न्यायाधीश श्री वरधाचार्य ने इसे अवैध घोषित किया था। यह विधेयक भी उसी प्रकार का है। इसमें भी विधि बनाने के अधिकार का प्रत्यायोजन है जो कि अवैध है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह बात स्पष्ट है कि विधान बनाने की शक्ति किसी और को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती। इसी प्रकार न्यायाधीश श्री महाजन ने भी कहा था कि विधान-सभा का कार्य केवल विधान-सभा ही कर सकती है और किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता।

वित्त के मामले में संविधान के अनुसार पूर्ण जिम्मेदारी संसद् की ही है। यह शक्ति किसी और को नहीं दी जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

सम्भवतया माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में भारतीय प्रशुल्क अधिनियम का उल्लेख करें। किन्तु यह पुरानी बात है। और इसके साथ ही सरकार को यह अधिकार कुछ समय के लिये ही था।

मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि जहां तक कर लगाने का प्रश्न है इसे संसद् के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। यदि इसके विपरीत करना है तो आपको संविधान बदलना पड़ेगा। कार्यपालिका द्वारा कर लगाना प्रजातंत्र की विचार धारा के सर्वथा विपरीत है। मुझे केवल सांविधानिक औचित्य का ही ध्यान नहीं है; मैं सांविधानिक मान्यता और वैधता की दृष्टि से विचार कर रहा हूं। मुख्य न्यायाधिपति वरधाचार्य ने अमरीका के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर निर्देश किया था जिस में कहा गया है कि कांग्रेस विधान सम्बन्धी अत्यावश्यक कार्यों को हस्तान्तरित नहीं कर सकती है अथवा त्याग नहीं सकती है। करारोपण विधान सम्बन्धी कार्य ही है जो कि संसद् को सौंपा गया है।

अब मैं करों के अस्थायी एकत्रीकरण अधिनियम, १९३१ की ओर निर्देश करूंगा। उसकी धारा ३ के अधीन घोषणा करने की शक्ति दी गई थी परन्तु यह उपबन्ध था कि यदि संसद् इसे रद्द कर दे या संशोधन कर दें तो कर वापस लौटाना होगा।

परन्तु वित्त मंत्री ने जो विधेयक पुर:स्थापित किया है उसके खण्ड २ में केन्द्रीय सरकार को उत्पादन-शुल्क बढ़ाने का अधिकार दिया गया है और यह उपबन्ध किया गया है कि अधिसूचना जारी करने के पश्चात् यदि सभा का सत्र हो तो यथाशीघ्र अथवा पुन: सत्र होने के एक सप्ताह के बीच, उसे संसद् के समक्ष रखा जायेगा।

मेरी यह धारणा है कि यह अनुच्छेद २६५ के सर्वथा विरुद्ध है। संसद् की बैठक के समय भी वित्त मंत्री को ५० प्रतिशत उत्पादन-शुल्क बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। यह सांविधानिक शक्ति से परे है। केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना में यदि संसद् ने रूपभेद किया अथवा उसे रद्द कर दिया तो अधिसूचना अधीन पहले की गई कार्यवाही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अन्य संविधियों के उपबन्धों के विरुद्ध है। इस से संसद् के निर्णय का कोई अर्थ नहीं रहता। फिर उपधारा (४) में कहा गया है कि संसद् द्वारा रूपभेद सहित अथवा अन्यथा अनुमोदित अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार किसी भी समय सरकारी गजट में दूसरी अधिसूचना निकाल कर रद्द कर सकती है। इस से तो संसद् को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्नता केवल मजाक बन जाती है।

चाहे कितने ही मधुर शब्दों में कहा जाये कि अतिरिक्त लाभ छीना जा रहा है परन्तु इसका भार उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। अत: हमें शक्ति देने से पूर्व इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये। यह संविधान के भी अनुकूल नहीं है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : क्या माननीय सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाया है अथवा उन्होंने इस आधार पर विधेयक का विरोध किया है कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है? क्या उन्होंने यह कहा है कि यह शक्ति परिस्तात है अथवा यह कि यह शक्तियों की परिधि में नहीं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद २६५ के विरुद्ध है? मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह औचित्य प्रश्न है?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : एक-दो मामलों को आपने स्वयं सभा के निर्णय पर छोड़ दिया है। मैंने केवल संविधि की वैधता के बारे में कहा है और इसे संविधान के विरुद्ध बताया है।

†**श्री गाडगील** : इस सभा की यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष ने कभी यह विनिर्णय नहीं दिया कि कोई विधि शक्ति परिस्तात है और यह निर्णय न्यायालयों पर छोड़ दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी इसी प्रथा को अपनाऊंगा । मैं समझता हूं कि वे मुझे इस पर विनिर्णय देने के लिये नहीं कह रहे हैं । जो बातें उठाई गई हैं उन पर सभा को ध्यान देना है । अन्ततः माननीय मंत्री को ही इस बारे में अपने विचार प्रकट करने होंगे । मैं भी एक-दो बातें अन्त में कहूंगा ।

†**डा० कृष्णस्वामी** : (कांचीपुरम्) : मुझे इस बात पर खेद है कि माननीय वित्त मंत्री ने यह विधान पुरःस्थापित किया है । लोकतन्त्रात्मक प्रथा, प्रयोग और रूढ़ि के अनुसार करारोपण और व्यय नियत करने का अधिकार और उत्तरदायित्व संसद् को प्राप्त है और यह विधेयक उस के महत्व को घटाना चाहता है । कराधान के क्षेत्र में कार्यपालिका को अधिकार प्रत्यायोजित करने वाले विधेयक को सांविधानिक अधिकार का गम्भीर उल्लंघन समझना चाहिये । अनुच्छेद ११७ में यह उपबन्ध है कि कार्यपालिका प्रत्येक विधान के लिये सभा को सिफारिश करेगी । इस से स्पष्ट है कि कार्यपालिका को केवल सिफारिश करने का अधिकार है और स्वीकृति देनी तो सभाओं का काम है । इसका आधार यह है कि लोगों के प्रतिनिधि केवल राजस्व सम्बन्धी बातों पर ध्यान नहीं देते वरन् तात्कालिक परिस्थितियां, कर में न्यायोचित्य, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर प्रभाव आदि पर विचार करते हैं । ऐसा अधिकार तो तभी प्रत्यायोजित किया जा सकता है जब कि संसद् कसौटी का उपबन्ध कर दे और उस में स्थिति सम्बन्धी अविलम्बनीयता भी रखी जाये । इस मामले में कसौटी बनाना सम्भव नहीं । अधिसूचना द्वारा कराधान का सिद्धान्त बुरा है क्योंकि बाद में संसद् उसे रद्द कर दे तो एकत्र किया गया कर लौटाया नहीं जा सकता । संसद् गलती को सुधार नहीं सकेगी । अनुच्छेद २६५ के अधीन उपबंधित इसका अधिकार निस्सार हो जायेगा । सरकार ऐसी कौन सी आपात सम्बन्धी स्थितियों का विचार कर रही है जिन के कारण वह संसद् के अधिकार को निष्प्रभाव बनाना चाहती है ? मेरे माननीय मित्र ने तो इस ओर कोई संकेत नहीं किया । आखिर हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि मार्च में संसद् की बैठक हो रही है और नई सभा की बैठक कभी मई में होगी । निर्यात-शुल्क में परिवर्तन करने के अधिकार का प्रत्यायोजन न्यायोचित है । निर्यात-शुल्क ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन के विदेशी और देशी मूल्यों में बड़ा अन्तर होता है । निर्यात-शुल्क न होने से विदेशी मूल्यों का प्रभाव देश के बाजार पर पड़ता है और इसमें शीघ्र उतार-चढ़ाव की सम्भावना होती है । परन्तु उत्पादन-शुल्क के मामले में माननीय मंत्री किस आपात की कल्पना करते हैं ? मैं तो समझता हूं कि माननीय मंत्री ने आर्थिक स्थिति का जो निर्धारण किया है वह गलत है ।

•

मान लीजिये कि जब संसद् का सत्र न हो उस समय आपात स्थिति पैदा हो जाती है तो अध्यादेश द्वारा कार्यवाही करने का अधिकार सरकार को है । इस विधेयक के उपबन्ध तो असाधारण हैं क्योंकि संसद् की बैठक के समय भी अधिसूचना जारी कर के कर वसूल किया जा सकेगा । मुझे स्मरण है कि जब कपड़े पर उत्पादन-शुल्क लगाने सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा हुई थी तो उसका कितना अधिक विरोध हुआ था । परन्तु इस विधेयक से अधिकतम शुल्क को भी ५० प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है । निस्संदेह माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे शुल्क इतना बढ़ाना नहीं चाहते । परन्तु आश्वासन की उपेक्षा संविधि के उपबन्धों का अधिक महत्व होता है ।

इस विधेयक में लगाये जाने वाले शुल्कों का उल्लेख किया गया है और इस तरह से इस में स्वविवेक का क्षेत्र कपड़ा उत्पादन-शुल्क अधिनियम से अधिक बढ़ा दिया गया है । इस से तो बिना परिस्थितियों और औचित्य पर चर्चा किये अधिसूचना द्वारा कर लगा दिया जायेगा । कराधान की कोई भी विधि संसद् द्वारा निरसित हो सकती है । संविधान के अनुच्छेद २६५ का यही अभिप्राय है । यदि इसका निरसन कार्यपालिका कर सके तो संसद् का क्या काम रह जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में ।

[डा० कृष्ण स्वामी]

मैं अनुभव करता हूं कि सभा की ख्याति खतरे में है। एक दिन माननीय मंत्री ने सुझाव दिया था कि कराधान और कराधान निर्धारण के विधानों का न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन नहीं होना चाहिये। यह तो ऐसा ही है कि एक पुलिस अधिकारी कहे कि यदि अपराधों का निर्णय न्यायालय में न हो तो वह अधिकाधिक अपराधियों को पकड़ सकता है। शीघ्र ही जनता हमारे व्यवहार का पुनर्विलोकन करने वाली है। ईश्वर का धन्यवाद है कि लोगों को यह अधिकार प्राप्त है। माननीय मित्र की वर्तमान मानसिक स्थिति में कोई भी संसद् उन्हें और अधिकार कैसे दे सकती है। इस का निर्णय जनता को करना है कि सांविधानिक लोकतन्त्र के आधार को इस प्रकार शिथिल बनाना कहां तक उचित है।

निस्संदेह यह योजना महत्वपूर्ण है। परन्तु मुझे आशा है कि यह नहीं समझा जायेगा कि हम जो अधिकार देने का विरोध कर रहे हैं, वह योजना की सफलता में रुकावट है। योजना की कार्यान्विति में आने वाली कठिनाइयों को संसदीय लोकतन्त्र का अन्त करने के लिये बहाना नहीं बनाना चाहिये। मेरा सभी दलों में अपने मित्रों और विशेषत: कांग्रेस दल में अपने मित्रों से निवेदन है कि वे तात्कालिक बातों पर नहीं वरन् देश के भविष्य पर विचार करें और फिर अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार मत दें। आपात की कोई सम्भावना नहीं है जिस से ऐसे अधिकार देने का औचित्य सिद्ध हो। ये वस्तुयें देश में बनती हैं और हम विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हम संसद् से कर बढ़वा सकते हैं।

मेरे मित्र ने आपात सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर निर्देश किया है। राजकोषीय साधनों की अपेक्षा आयात नियंत्रण से आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। अत: मैं इन तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ हूं। मैं इन्हें संसद् के सम्मान के लिये खतरा समझता हूं।

†**श्री गाडगील** : आपात की घोषणा अथवा निर्णय मतों पर निर्भर नहीं है। इसका निर्णय करना कार्यपालिका का काम है। इसका निश्चय करने के लिये गहरे ज्ञान की आवश्यकता है। विगत दो तीन महीनों से मैं देश की आर्थिक प्रवृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन कर रहा हूं। अनेक बार सदस्यों ने सरकार से कहा है कि समय अत्यन्त संकटपूर्ण है तथा सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि आर्थिक स्थिति में ह्रास न हो। यदि सरकार यह अनुभव करती है कि हम असामान्य समय से गुजर रहे हैं तो हमें उनका यह निर्णय स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि यदि शक्ति के अभाव में सरकार किसी कार्य को करने में असफल रही, तो बाद में स्वयं हम कहेंगे कि सरकार ने हमें क्यों नहीं बताया। हम उन्हें शक्ति प्रदान करते। अत: सरकार शक्ति के अभाव का बहाना नहीं ले सकती है। पिछले बारह महीनों में सामान्य देशनांक में २३ प्रतिशत वृद्धि हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की बात जाने दीजिये। कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। अत: बुद्धिमानी का तकाज़ा है कि हम सतर्क रह कर स्थिति का उपयुक्त एवं प्रभावशाली ढंग से सामना करें।

क्या कोई ऐसा संविधान है जिसमें आपातिक परिस्थितियों के लिये उपबन्ध न हो? किसी संविधान को ले लीजिये। आपात में संविधान स्थगन रखा जाता है। स्वाभाविक है कि देश-हित सर्वोपरि है। संवैधानिक औचित्य के नाम पर उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है।

श्री चटर्जी ने हमें बताया है कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम में धारा ४ (क) के अधीन संशोधन प्रस्तुत कर शक्ति प्राप्त की गई थी। क्या सभा की बैठक हो रही है अथवा नहीं, यह तो अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने की दृष्टि से संगत है किन्तु इस प्रकार की अधिसूचना जारी करने की क्षमता इस

†मूल अंग्रेजी में।

बात से भिन्न है। सन् १९५० में इस प्रश्न पर बहस हो चुकी है और संविधान सभा (विधायनी) की कार्य-वाही से मालूम होता है कि लगभग यही बातें पण्डित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उस समय कही गई थीं। उन्होंने कहा था कि संसद् की गरिमा को आघात पहुंचाये बिना शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह आशंका भी व्यक्त की थी कि कहीं शक्ति का अनुचित उपयोग न हो। किन्तु उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि शक्ति के दुरुपयोग की संभावना मात्र से विचलित होकर शक्ति प्रत्यायोजन से मना कर देना उचित नहीं है। शक्तियों का उपयोग उचित रूप से किया जायेगा अथवा अनुचित रूप से यह सर्वथा पृथक् प्रश्न है।

श्री चटर्जी ने जो बात उठाई है उसके बारे में मैंने यह कहा था कि सभा की परम्परा सदैव यह रही है कि अध्यक्ष महोदय कभी किसी विधेयक विशेष का प्रयोजन शक्ति परस्तात् घोषित नहीं करते।

हमें सामान्यतः वृहद् शक्तियां देकर विभिन्न वस्तुओं की दरें निर्धारित करने का कार्य उन्हीं पर छोड़ देना चाहिये। संसद् द्वारा इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करना वर्तमान परिस्थितियों में सर्वथा उचित है।

अब केवल यही प्रश्न है कि दरों की घोषणा होने पर उसका क्या प्रभाव होगा? मैं उपभोक्ता के हित का समर्थक हूं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि शुल्क की वृद्धि हो जाने पर इस बात का प्रयत्न किया जाये कि उपभोक्ता पर उसका भार न पड़े। इसका यह अर्थ नहीं है कि उपभोक्ता पर कोई प्रभाव ही न पड़े। समाजवादी समाज में पूंजी की प्राप्ति का उत्तरदायित्व अन्ततोगत्वा समूचे समाज पर है।

यह मेरा दृढ़ विचार है कि अत्यन्त गंभीर और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतन्त्रता को निलम्बित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देश पर आक्रमण के समय मुझे अहिंसा का उपदेश देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है।

सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के बारे में समाज का दावा प्रथम, सर्वोपरि और बहुव्यापी होना चाहिये। संकटकाल में तो यह अभीष्ट है ही। अस्तु, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रयोजन के लिये शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनकी पूर्ति हो और सब समान कुर्बानी करें।

†**श्री अ० म० थामस** : यह एक असाधारण विधि है। इससे कार्यपालिका को वृहद् शक्तियां मिल जायेंगी। किन्तु इसके साथ ही मैं श्री नि० चं० चटर्जी और डा० कृष्णस्वामी के मत से सहमत नहीं हूं। अनुच्छेद २६५ में लिखा है कि किसी कर की वसूली अथवा आरोपण विधि के प्राधिकार बिना नहीं किया जायेगा। टीका में कुछ निर्णयों का सार दिया गया है। एक स्थल पर बताया गया है कि किसी उपविधि, नियम अथवा विनियमन द्वारा तब तक करारोपण नहीं होगा जब तक कि उस संविधि में, जिसके अधीन शक्ति प्रत्यायोजन किया गया है, इस प्रकार के करारोपण के अधिकार का विशेष उल्लेख नहीं हो।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : यह इंग्लैण्ड का मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इंग्लैण्ड के अपने अनुभव और प्रजातान्त्रिक वातावरण में यह उदाहरण उपयोगी सिद्ध होता है तो इस देश में भी यह लाभदायी सिद्ध हो सकता है।

†**श्री अ० म० थामस** : श्री नि० चं० चटर्जी ने जो दो प्रकार के मामले बताये हैं उनमें एक निर्णय में यह बताया गया है कि जिस बात का हमें निर्णय करना है वह है विधि निर्माण के लिये शक्ति का प्रत्यायोजन। वर्तमान अवस्था में किसी विधि निर्माण के लिये शक्ति प्रत्यायोजन की बात नहीं है। इस विधेयक के बारे में संसद् यह नहीं कहती है कि कार्यापालिका किसी भी वस्तु पर अपनी इच्छानुसार शुल्क लगा सकती है। यहां तो वस्तुओं के नाम दे दिये गये हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कार्यपालिका किस

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० म० थामस]

सीमा तक शुल्क लगा सकती है। अतः इसमें वैधानिक दृष्टि से कोई गलती नहीं है। केवल संकट-कालीन परिस्थितियों के आधार पर ये शक्तियां दी जा रही हैं।

अब मैं इस विधेयक के बारे में कुछ और कहूंगा। इस विधान से सरकार को गहन शक्तियां मिलेंगी। वस्त्र पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाते समय कुछ लोगों ने कहा था कि यह मांग औचित्यहीन है। किन्तु वित्त मंत्री की प्रत्याशा सर्वथा सही सिद्ध हुई और बाजार में वस्त्र के भावों में स्थिरता आ गई।

जब हमने वित्त विधेयक पर चर्चा की तो यह आलोचना की गई कि करों में वृद्धि की जा रही है किन्तु निर्यात समस्या तथा बढ़ती हुई कीमतों की समस्या के निराकरण का कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया। इस विधेयक द्वारा निर्यात समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया है।

सरकार वस्तुतः बधाई की पात्र है कि उन्होंने लोक-सभा को सही स्थिति का ज्ञान करा कर उसे सही-सही बातें बता दी हैं। मेरा विश्वास है कि सरकार इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। इसका प्रयोग निर्यात को प्रोत्साहन और अतिरिक्त लाभ संयमन के लिये किया जायेगा।

मैं यह भी कह दूं कि यद्यपि जनता द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये कुर्बानी करने को तैयार है तथापि सामान्य व्यक्ति पर एक सीमा तक ही कर लगाये जा सकते हैं। सामान्य उपभोग की गिनी-चुनी वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क लगाने से शेष मांग की पूर्ति हो सकती है। ऐसा करते समय वस्तुओं का चुनाव बड़ी सावधानीपूर्वक होना चाहिये। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि संसद् द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में न किया जाकर अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाये।

यदि इन सिद्धान्तों का ध्यान रखा गया, तो कोई हानि नहीं होगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक में एक ही खण्ड है। विचार प्रस्ताव की चर्चा ६ बजे तक होगी। जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, वे केवल नई बातों का उल्लेख करें।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : यह विधेयक कार्यपालिका को जो अधिकार देता है, वे असाधारण अधिकार हैं, जो कि कार्यपालिका संसद् को निर्देश किये गये बिना प्रयोग करना चाहती है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि ये अधिकार कौन से हैं। सबसे पहले यह कारण दिया जाता है कि संभव है संसद् की बैठक कुछ मासों तक न हो; इसलिये ये असाधारण अधिकार आवश्यक हैं। सरकार का कहना है कि यह विधि दिसम्बर, १९५७ तक लागू रहेगी। इसका क्या अर्थ है? क्या सरकार यह आशा करती है कि संसद् की बैठक एक वर्ष तक नहीं होगी? मैं समझता हूं कि यह कहना कि संसद् की बैठक कुछ समय तक नहीं होगी, इसलिये ये अधिकार लेना आवश्यक है, नेकनियती नहीं है।

यह कहना भी एक दिखलावा है कि अधिसूचनायें संसद् के सामने रखी जायेंगी और इनको अनुमोदित करने या न करने या इनमें रूपभेद करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जायेगा। उपबन्ध यह है कि यदि बैठक हो रही हो, तो प्रत्येक अधिसूचना यथाशीघ्र संसद् के सामने रखी जायेगी और यदि बैठक न हो रही हो, तो इसके समवेत होने के ७ दिन के अन्दर-अन्दर। इस सदन का सत्र मार्च के अन्त में ८ या १० दिन के लिये होगा। कुछ अधिसूचनायें जो बीच की अवधि में जारी होंगी, इसके समक्ष रखनी पड़ेंगी। किन्तु क्या संसद् इन पर विचार कर सकेगी? क्योंकि अनुमोदन प्रस्ताव पारित करने के लिये १५ दिन की अवधि दी जाती है। इसका अर्थ है, तीन सप्ताह; और अगला सत्र तीन सप्ताहों का नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कुछ मित्र कह रहे थे कि विधि में वे वस्तुयें निश्चित कर दी गई हैं जिन पर कर लगाया जायेगा और अधिकतम दरें भी निश्चित कर दी गई हैं। किन्तु विधेयक को पढ़ने से मालूम होता है कि वास्तव में कोई ऊपरी सीमा नहीं रखी गई है। अब मंत्री महोदय का कहना है कि इस बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा। यदि वह ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे इसकी अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि संसद् के अधिकार, जो इस विधेयक में रखे गये हैं, ऐसे हैं जिन की कार्यपालिका पूर्णतया उपेक्षा कर सकती है। संसद् के कोई प्रस्ताव पारित करने के बाद, कार्यपालिका इसका निराकरण कर सकती है।

अगली बात यह है कि क्या कोई आपात उत्पन्न हुआ है? अतिरिक्त लाभों को समेटने के लिये शुल्क बढ़ाने की बात तो समझ में आ सकती है किन्तु यह समझ नहीं आता कि इन शुल्कों को बढ़ाने से निर्यात कैसे बढ़ जायेंगे। साधारणतया उत्पादन-शुल्क बढ़ाने से तो निर्यात कम हो जाता है।

यदि यह कार्यवाही आपात के नाम में की जाये, तो कल इसे पूर्व दृष्टान्त बनाया जा सकता है और वह बहुत हानिकर दृष्टान्त होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई आपात नहीं, जिसके कारण इस विधेयक को पूरे वर्ष तक के लिये रखा जाये, मैं कहता हूं कि ये शक्तियां बहुत असाधारण हैं और ये संसद् की सम्पूर्ण प्रभुता के विरुद्ध हैं। मैं इन्हें कार्यपालिका को दिये जाने पर आपत्ति करता हूं।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : यदि हम मान भी लें कि यह आपातकाल है, दुर्भाग्यिवश वित्त मंत्री यह समझते हैं कि यह आपात सदा जारी रहेगा। क्या उस आपात को जो सदा ही रहता है, आपात कहा जा सकता है? यदि वर्ष में ३६५ दिन आपात रहे, तो स्थिति साधारण हो जाती है।

कहा गया है कि आयोजन के लिये ऐसा विधेयक आवश्यक है, क्योंकि योजना को क्रियान्वित करने के लिये धन चाहिये। सरकार अन्य तरीकों से रुपया इकट्ठा नहीं कर सकी। करापवंचन करने वालों से भी वह अभी तक रुपया इकट्ठा नहीं कर सकी और इसको उनके नाम भी मालम नहीं हो सके। अब वह अधिक कर लगाने के लिये संसद् से अधिकार लेने की मांग कर रही है।

इस विधेयक से जनसाधारण का आय-व्ययक असंतुलित हो जायेगा, क्योंकि इसे मालूम नहीं हो सकेगा कि अगले दिन सरकार किन वस्तुओं पर कर लगा देगी। हो सकता है कि सरकार कल नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगा दे और जनसाधारण को इस का कोई ज्ञान नहीं होगा।

खण्ड २ के उपखण्ड (२) के अन्तर्गत, करारोपण प्रस्ताव संसद् के सामने रखे जायेंगे। यदि संसद् उनमें कोई परिवर्तन करे, तो वह उस तिथि से लागू होगा, जिस तिथि को वह किया गया है। इसका सरकार को पहली कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि संसद् किसी करारोपण प्रस्ताव को रद्द भी कर दे, तो वह कर जो वसूल किये जा चुके हैं, वापस नहीं किये जायेंगे। दूसरे शब्दों में यदि कार्यपालिका कोई अनुचित कर लगा देती है, तो वह भी ठीक समझा जायेगा।

इस विधेयक के विरुद्ध हमारी मुख्य आपत्ति यह है कि यह करारोपण के बुनियादी सिद्धान्त के प्रतिकूल है, क्योंकि लोगों के प्रतिनिधियों को करारोपण प्रस्तावों के बारे में अपनी राय देने का अधिकार नहीं होगा। कर लगाना या न लगाना कार्यपालिका की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसी कारण इस विधेयक को अस्वीकार कर देना चाहिये। यह ठीक है कि संसद् की बैठक कुछ समय तक नहीं होगी, फिर भी इतने अधिकार देने वाले विधेयक को अस्वीकार कर देना चाहिये।

†**श्री सारंगधर दास** (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : इस विधेयक को देखकर सरकार पर यह आरोप लगाया जा सकता है, कि वह उन शक्तियों को अपने हाथ में ले रही है, जो संसद् के हाथ में होनी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सारंगधर दास]

चाहियें। कुछ मित्र कहते हैं कि उत्पादन-शुल्क या आयात-शुल्क लगाने का उद्देश्य अतिरिक्त लाभों को समेटना है। किन्तु यह सदा अनुभव किया गया है कि जब भी साधारण वस्तुओं पर कोई ऐसा शुल्क लगाया जाता है, तो इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि उसका मूल्य तुरन्त बढ़ जाता है। यदि अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ता को ही देना पड़ता है, तो यह समझ में नहीं आता कि सरकार अतिरिक्त लाभ कैसे समेट लेती है? इस दृष्टिकोण से इस विधेयक को पारित करना बहुत खतरनाक होगा।

मैं मानता हूं कि योजना को क्रियान्वित करना आवश्यक है और लोगों को ऐसा करने में सहयोग देना चाहिये। किन्तु इतनी अधिक राशि देश में गरीब उपभोक्ताओं से नहीं वसूल की जा सकती। वे पहले ही इतना भार सहन कर रहे हैं। उदाहरणतया चीनी पर राजस्व शुल्क के कारण हमें इस के लिये लगभग दुगने दाम देने पड़ते हैं। ये शुल्क उत्पादकों या व्यापारियों पर नहीं पड़ते, बल्कि उपभोक्ताओं पर पड़ते हैं। यह स्थिति सदा के लिये जारी नहीं रह सकती और लोग इस भार को अधिक समय तक सहन नहीं करेंगे। उन्हें सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा। मैं यह चेतावनी देता हूं।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं उन सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने ये आपत्तियां उठाई हैं और वर्तमान नीति के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। वास्तव में, जहां तक इन शक्तियों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में सरकार इन्हें केवल उचित अवसरों पर ही ले सकती है।

प्रशुल्क अधिनियम में संशोधन के समय, वित्त मंत्री की राय यह थी कि इन शक्तियों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है और वह अब भी यही कहते हैं। उस समय सदन ने अन्त में वह विधेयक पारित कर दिया था।

यह सत्य है कि धारा २६५ के अन्तर्गत, कर लगाने का अधिकार केवल इस सदन को है। किन्तु उस विधेयक के समय ये शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं। मेरा विचार है कि एक बार ऐसा कर देने से यह पूर्व दृष्टान्त बन चुका है और हमें अब इस पर आपत्ति नहीं उठानी चाहिये।

श्रीमान्, आपने उस समय बड़ी सुन्दर युक्ति दी थी। आपने कहा था :

> "लोगों ने हमें अपना प्रतिनिधि बना कर सभा के समक्ष आने वाले प्रत्येक विधान पर वाद-विवाद करने के लिये भेजा है। हम जनता के एजेन्ट हैं क्या कोई एजेन्ट अपने अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकता है? यदि हम ऐसा करते रहे हैं तो यह ग़लत है।"

जब सभा की बैठक हो रही हो तो करारोपण के औचित्य आदि पर विचार करना और निर्णय करना सभा का काम है। इस बात पर विचार करते समय कि क्या यह अधिकार सरकार को देना हमारे लिये ठीक होगा, हमें बहुत सी बातों पर विचार करना होगा।

यह भी सच है कि अब लगभग चार या पांच महीने के लिये सभा की बैठक स्थगित होगी और इस अवधि में वित्त मंत्री सभा से परामर्श न कर सकेंगे। परन्तु स्थगन की तिथि तथा अगले सत्र की अवधि में मंत्रियों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। मुझे यह तर्क समझ में नहीं आता कि जिस समय सभा की बैठक हो रही हो, उस समय विशिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में विधान सभा के सामने नहीं रखे जा सकते हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं एक बात कहूं? अध्यक्ष पीठ की अनुमति से मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे विधेयक के उस भाग के निकाल देने की चेष्टा की जायगी जिसमें सरकार को सभा की बैठक के दौरान में इस विधान का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। यदि अध्यक्ष महोदय मुझे संशोधन प्रस्तुत करने देंगे तो मैं इस आपत्ति को दूर कर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मुझे प्रसन्नता है कि दो बातों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने ठीक बात की है। एक, सभा की बैठक के समय इन अधिकारों का उपयोग न करने के सम्बन्ध में है और दूसरी, जहाँ तक दरों का सम्बन्ध है यह केवल वर्तमान दरों का ५० प्रतिशत है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह भी किया जा रहा है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वित्त मंत्री को अध्यादेश जारी करने के अधिकार द्वारा सभी अधिकार मिल गये हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं उनका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मुझे वे नहीं चाहियें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जहाँ तक उन अधिकारों का सम्बन्ध है यदि वह उनका उपयोग करना चाहें तो सभा उन्हें रोक नहीं सकती। वस्तुत: हम उन्हें न केवल अब बल्कि एक वर्ष के लिये अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे रहे हैं। यदि माननीय मंत्री संसद् के अगले सत्र की अवधि तक ही इन अधिकारों से काम लें तब सभा उन्हें कोई विशिष्ट अधिकार नहीं दे रही है। चाहे कोई आपात हो या न हो, इस विधि द्वारा उन्हें अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।

मुझे यह समझ में नहीं आता कि आपात एक वर्ष तक हो सकता है। आने वाले पांच वर्षों में, योजना की अवधि तक उन्हें धन की आवश्यकता होगी। हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। लेकिन इतने लम्बे समय तक आपात नहीं हो सकता। यदि यह अवधि छ: महीने या अगले सत्र तक की हो तो ठीक है। हमें उन पर विश्वास है। वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि सभा के अधिकारों को छीन लेंगे। उनके स्थान पर कोई और मंत्री होता तब भी मुझे यही आपत्ति होती। जैसा कि आपने कहा था, इस सभा का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रश्न के प्रत्येक पहलू को देखे और यह देखे कि जब तक पूर्णत: आवश्यक न हो, कोई कर न लगाया जाय। अन्यथा वाणिज्यिक सौदों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जायेगी। इसलिये मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्री छ: महीनों के लिये इन अधिकारों को प्राप्त करें। फिर हमें कोई आपत्ति न होगी।

आज ही मैंने एक समाचारपत्र में एक लेख पढ़ा है जिसमें बम्बई के व्यापारियों के भावों का उल्लेख था। वे बहुत चिन्तित हैं और उन्हें मालूम नहीं कि उनका क्या होगा। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। परन्तु ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को जब तक रखना है, तब तक उसे काम करने की पूर्ण स्वतन्त्रता देनी होगी।

वित्त मंत्री को जनता को आपात के बारे में बताना चाहिये। श्री गाडगील कहते हैं "यह गुप्त बातें हैं"। हमें यह बात समझ में नहीं आती। यदि हमें आपात का विश्वास हो जाय तो हम उनसे भी आगे जाने को तैयार हैं। यदि वह इन बातों को अपने तक ही रखेंगे तो हमें खेद है हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं।

जहाँ तक उत्पादनशुल्कारोप्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, उन्होंने ठीक कार्यवाही की है, परन्तु श्रीमान् मैं एक बात कहना चाहता हूँ। करों के लिये अन्तर्कालीन संग्रहण के लिये १९३१ के अधिनियम में एक बहुत ही अच्छा उपबन्ध था कि यदि संसद् यह समझे कि अमुक कर नहीं लगाना चाहिये था या यह अत्यधिक है तो उस स्थिति में रकम वापिस करने की अनुमति होनी चाहिये। अब लगभग ५ महीने तक संसद् की बैठक नहीं होगी। यदि कोई कर लगाया जाता है तो इस अवधि में करोड़ों रुपये इकट्ठे हो जायेंगे और यह राशि वापिस न की जायेगी। न्याययुक्त तो यह है कि यदि संसद् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कर न्यायोचित नहीं था तो रकम लौटानी चाहिये। इस सम्बन्ध में उपबन्ध होना चाहिये। यदि माननीय मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे विधेयक के सम्बन्ध में और कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसका स्वागत करता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय वित्त मंत्री ने अभी मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में दो या तीन संशोधन दिये हैं। मेरे विचार में यदि माननीय सदस्य इन संशोधनों को सुन लें, तो उन्हें अपनी बहुत सी बातों का

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]

उत्तर मिल जायेगा। पहिले संशोधन में कहा गया है कि संसद् के सत्र की अवधि में वह कोई अधिसूचना जारी नहीं करेंगे। उत्पादन शुल्क में ५० प्रतिशत वृद्धि के सम्बन्ध में द्वितीय संशोधन के अनुसार ऐसा नहीं है कि मूल में ५० प्रतिशत वृद्धि जोड़ दी जायेगी और फिर १५० प्रतिशत से ५० प्रतिशत वृद्धि होगी। कुल वृद्धि ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तृतीय संशोधन के अनुसार अधिसूचना की तिथि के बाद संसद् की पुनः बैठक होने के सात दिन के भीतर ऐसी प्रत्येक अधिसूचना संसद् के सामने रखी जायेगी। यदि अब मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये कहूँ तो माननीय सदस्यों को खण्डों पर विचार करने के समय बोलने का अवसर मिल जायेगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं स्थिति का स्पष्टीकरण कर सकता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के भाषण के बाद भी यदि कुछ बातें रह जाती हैं तो खण्डों पर वाद-विवाद के समय वे कही जा सकती हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या आप हमें संशोधनों के सम्बन्ध में संशोधनों के प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे ? उदाहरण के लिये मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी) : एक या दो अन्य बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें वित्त मंत्री स्वीकार कर सकते हैं; उन्हें बाद में बोलने दीजिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य बातें कही जा चुकी हैं। अन्य बातों को खण्डों पर वाद-विवाद के समय कहा जा सकता है।

†**श्री सिंहासन सिंह** (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : इस विधेयक के उपखण्ड (४) के अनुसार सरकार को संसद् का अधिकार निर्बन्धित करने की शक्ति क्यों होनी चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा केवल कम करने के प्रयोजन के लिये है; अन्यथा आपात न रहेगा। फिर भी हमें माननीय वित्त मंत्री के विचार सुन लेने चाहियें।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैंने माननीय सदस्यों से सुना है। श्री चटर्जी और श्री कृष्णस्वामी ने मूल सिद्धान्तों की चर्चा की है और इनके अतिरिक्त अन्य भाषणों में केवल कुछ संदेह प्रकट किये गये हैं जिन्हें मैं दूर करने का प्रयत्न करूँगा।

जहाँ तक मुख्य बातों का सम्बन्ध है,—क्या यह विशिष्ट विधेयक अनुच्छेद २६५ का विलंघन करता है, मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पर्याप्त रूप से इन पर विचार अभिव्यक्त किये हैं। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जिस वाद-विवाद की ओर निर्देश किया है उसमें लगभग उसी प्रकार का तर्क दिया गया था जैसा कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम में धारा ४क को निविष्ट करने के समय हुई चर्चा में दिया गया था। हमें इस विशिष्ट मामले पर स्वर्गीय डा० अम्बेडकर के दृष्टिकोण का लाभ प्राप्त था और आप संदेह की बात उठाने वाले व्यक्तियों में से एक थे। मुझे यह भी याद है कि उस समय थोड़े से समय के लिये सभा स्थगित की गई थी और हमने विधान के उपबन्धों का इस प्रकार से संशोधन किया था कि वह शब्दशः न्यूनाधिक वर्तमान विधेयक जैसा ही है। उस समय डा० अम्बेडकर ने एक और भी विशेष बात कही थी, जो विधान-निर्माताओं के लिये सदा ही मार्ग-प्रदर्शक सिद्धान्त के रूप में लाभदायक होगी। उन्होंने कहा था कि शक्ति आवश्यक है और यह भी कि शक्ति अनुच्छेद २६५ का अतिक्रमण नहीं करती है, लेकिन शक्ति का प्रयोग ठीक ढंग से किया गया है या नहीं इसका निर्णय अवसर विशेष के औचित्य को देखकर करना चाहिये। उस समय मैंने जो

†मूल अंग्रेजी में।

भाषण दिया था, उसमें मैं डा० अम्बेडकर से सहमत हो गया था और मैंने अवसर के औचित्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पर काफ़ी ज़ोर दिया था। यही कारण है कि अध्यादेशों को बनाने वाली शक्तियों द्वारा निस्संदेह ही आपातकालीन विधान अधिनियमित करने की शक्ति भी निहित कर दी जाती है। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी यही कहा है।

जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं अध्याादेश-निर्मात्री शक्तियों का प्रयोग किसी कराधान के प्रयोजन के लिये नहीं करूँगा। प्रयोजन चाहे कर लगाना हो, या किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करना हो, वह होता कराधान ही है, और मैं एक वित्त मंत्री के रूप में कभी भी अध्यादेश निर्मात्री-शक्ति का प्रयोग कराधान के प्रयोजनों के लिये नहीं करूंगा। पता नहीं, मैं वित्त मंत्री बना भी रहूंगा या नहीं, लेकिन यदि बना रहा तो कभी भी कराधान के लिये उसका प्रयोग नहीं करूंगा। हम केवल केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम में उल्लिखित सीमा और उसकी अनुसूची तक ही इस शक्ति का प्रयोग सीमित करना चाहते हैं, और केवल इसी के लिये हम सभा की अनुमति चाहते हैं। लेकिन, यदि वास्तव में कोई ऐसी बात हो जाती है जो काफ़ी गम्भीर हो, तो उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना विचार अध्यादेश निर्मात्री-शक्ति को कराधान के लिये प्रयुक्त करने के विरुद्ध ही है।

इसका क्षेत्र काफ़ी सीमित कर दिया गया है। माननीय सदस्य और समझदार जनता, दुकानदार और उद्योगपति भी यह भली प्रकार जानते हैं कि मैं जूतों के लिये इस शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। कुछ अन्य वस्तुओं के लिये भी मैं इस शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। मैं किसी भी ऐसी वस्तु के सम्बन्ध में इसका प्रयोग नहीं करूँगा जो बहुसंख्यक जनता के उपयोग में आती हो। जिन वस्तुओं का सम्भरण कम होता है, जहां हमें उनका अधिक सम्भरण सुलभ नहीं हो पाता, और जिन भी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होने की सम्भावना हो, और इसी कारण जिनके मुनाफे कुछ अन्य लोगों की जेबों में जाने वाले हों, हमें केवल उन पर ही रोक लगानी पड़ती है। उसे सीमित करने वाली यही चीज़ें हैं। और यह प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है; और जिन लोगों को मूल्यों की वृद्धि से लाभ होता है, वे तो यह और भी अच्छी तरह से समझते हैं। इस सम्बन्ध में, एक-दो बातें और भी समझ लेनी चाहियें।

अनुच्छेद २६५ के सम्बन्ध में, मुझे यही कहना है कि यदि वह इसमें कोई बाधा उपस्थित करता तो मैं, इस बात का लाभ उठाकर कि अध्यक्ष पीठ द्वारा इस बारे में निर्णय नहीं दिया जायगा, इसे सभा में प्रस्तुत नहीं करता। मैं यह नहीं करूँगा। यदि इससे कोई बाधा पड़ती होती, तो मैं अवश्य ही सरकार को यही राय देता कि अध्यक्ष महोदय द्वारा विनिर्णय न देने की बात का लाभ न उठाया जाये, और इस मामले को निर्णय के लिये उच्चतम न्यायालय में ही भेज दिया जाय। मुझे पूरी तौर पर विश्वास है और मुझे सलाह भी यही दी गई है कि इस प्रकार का विधान निर्मित करने में कोई भी बाधा नहीं है। इसका एक पूर्व दृष्टांत मौजूद है और मैं एक वित्त मंत्री, या वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में, या अपने पूर्वाधिकारी, या पूर्वाधिकारी के भी पूर्वाधिकारी की ओर से कह सकता हूँ कि हमने किसी भी अवसर पर भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा ४क का दुरुपयोग नहीं किया है, यह इसलिये कि हमें सभा में उसका स्पष्टीकरण भी करना पड़ता है। और, सभा ने हमारे कार्यों का भारी बहुमत से समर्थन ही किया है। दो-एक सदस्यों ने असहमति भी दिखाई, लेकिन सभा के भारी बहुमत ने हमारे कार्यों का अनुमोदन ही किया है। इसलिये, मेरे विचार से तो इसकी वैधानिक स्थिति बिल्कुल ही स्पष्ट है और हमारे पहले के कार्यों से माननीय सदस्यों तथा जनता को पूरी तौर पर आश्वस्त हो जाना चाहिये।

फिर, एक प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें संसद् की बैठकों के दौरान में भी इन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये? इस उपबन्ध को प्रारूपित करते समय हमने यही सोचा था कि शायद संसद् बहुत अधिक व्यस्त होगी। लेकिन, मैं इस मामले के औचित्य को भी समझ रहा हूँ जैसा कि मैं काफ़ी जोर देकर

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

कह भी चुका हूँ, और मैं इस उपाय के उपयोग में औचित्य का ध्यान रखने की आवश्यकता भी स्वीकार करता हूँ । इसीलिये मैंने, आपकी अनुमति से, ऐसे संशोधनों का सुझाव रखा है जिनमें यह बड़ी स्पष्टता से दर्शाया गया है कि हम संसद् के सत्र के दौरान में भी एक विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अन्तर्कालीन कर-संग्रह अधिनियम के साथ इसकी जो तुलना की है, जो साहश्य बैठाया है, वह संगत नहीं है । अन्तर्कालीन कर-संग्रह अधिनियम के अन्तर्गत तो हम जिस समय विधेयक को पुरःस्थापित करते हैं वह उसी समय क्रियाकारी बन जाता है। इस मामले में समन्याय का जो प्रश्न है, वह तो एक ऐसी बात है जिसका हम कोई हिसाब नहीं रखते, क्योंकि सभी मामलों में प्रत्यर्पण के रूप में जो भी समन्याय किया जायेगा वह एक ऐसे ही व्यक्ति को मिलेगा जो उसका सबसे कम अधिकारी हो । न तो सरकार के रूप में, और न ही संसद् के रूप में, हम कोई भी ऐसी पद्धति निकाल सकते हैं जिसके द्वारा दो पैसे या एक आने के मूल्य की किसी वस्तु विशेष को खरीदने वाले उपभोक्ता को उसके द्वारा अदा किये गये टंक का टंकाभास मिल जाये । हम तो अवशिष्ट रिक्थग्राही ही हैं, माध्यमिकता करने वाले नहीं । अन्तर्कालीन कर-संग्रह अधिनियम के पीछे यही सिद्धान्त है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : लेकिन सरकार इस धन को लेने की अधिकारिणी कैसे हो जाती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि वह धन उपभोक्ता को नहीं मिलता, और यदि वह राज्य-कोष में ही रहता है, तो भी उसका उपयोग उपभोक्ता के ही लाभ के लिये होता है । राज्य में तो किसी धन को पचा लेने की उतनी भी शक्ति नहीं होती जितनी कि केन्द्र में है । राज्य किसी भी धन को पचा नहीं सकता । अन्त में, उस धन का उपयोग जनसाधारण के लाभ के लिये ही होता है । इसीलिये, अन्तर्कालीन कर-संग्रह अधिनियम में कहा गया है कि यदि संसद्.....

†**अध्यक्ष महोदय** : हाल में, अन्तर्राज्यिक कराधान के बारे में बिहार के एक मामले में प्रत्यर्पण का प्रश्न उठा था । उसमें देखा गया था कि संसद् की मंजूरी के बिना बिहार राज्य कराधान का कोई विधान पारित नहीं कर सकता । उसमें जिन बातों पर विचार किया गया था, उनमें से एक मुख्य बात यह थी कि प्रत्यर्पण से न तो सरकार का लाभ होता है और न उपभोक्ता का, इसीलिये वह बिचोलिये के पास ही रहता है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इसलिये, पंडित ठाकुर दास भार्गव जो चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिये मैं कोई भी तरीका नहीं निकाल सकता ।

उन्होंने अवधि के बारे में भी कहा है । वास्तव में, इसे प्रारूपित करने के बाद हमने इसके सम्बन्ध में विचार किया था । मैंने कहा भी था कि एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिये । सामान्यतया, छः महीनों की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । यह इसलिये कि हो सकता है कि १३ मई को संसद् की बैठक ही न हो । हो सकता है कि उसकी बैठक इसके बाद हो । संसद् की बैठक बुलाने की तो कोई वैध व्यवस्था है नहीं । हो सकता है कि उसकी बैठक ही न हो । यदि मैं मार्च में लेखानुदान की माँग करूँ और उसकी अवधि चार महीने तक बढ़ाने की अनुमति माँगूं, तो उसके लिये भी यही तर्क दिया जा सकता है । शायद माननीय सदस्य यह कहेंगे कि यह इसलिये अनावश्यक है कि १३ मई को संसद् की बैठक होगी और आप केवल सात सप्ताहों के लिये ही इसकी माँग कर रहे हैं । आपको इसके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये । यह भी सम्भव है कि १३ मई को संसद् की बैठक हो और वह लगातार चले । वह १३ मई से ३० सितम्बर तक भी चल सकती है । स्पष्ट ही है कि तब इस शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता । व्यवहारिक रूप

†मूल अंग्रेजी में ।

में तो केवल दो ही महीने रह जायेंगे। इसलिये, यदि हम यह कहें कि हमें इस अधिनियम की अवधि एक वर्ष तक कर देनी चाहिये, तो वह कोई अतिसावधानी की बात नहीं होगी। यह वास्तव में एक अल्पकालीन विधान ही है। यह प्रश्न कि यह छः महीनों के लिये हो या नौ महीनों के लिये, यहां संगत नहीं है। यदि मुझे बहुत ही सावधानी रखते हुए कोई काल-सीमा निर्धारित करनी हो, तो मैं यह नहीं कहूँगा कि वह छः महीनों के लिये, या ३० सितम्बर तक के लिये ही रखी जाये। वह तो संसद् की बैठक का ही काल होगा। और, हो सकता है कि संसद् के पास इसके लिये समय ही न रहे। उसके पास इससे अधिक महत्व-पूर्ण अन्य विषय हो सकते हैं। आशा है कि मेरे माननीय मित्र इस बात पर सहमत होंगे कि संसद् की बैठकें, एक महीने की अन्तरावधि सहित, मई से लगा कर लगभग वर्ष के अन्त तक होती रहेंगी, और इसलिये इस विधान के लागू होने की कोई सम्भावना नहीं है। यह वास्तव में एक अल्पकालीन विधान ही है। यह अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि इससे उनकी आपत्ति मिट जायेगी।

श्री तुलसीदास द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उनमें उन्होंने एक ही मुख्य बात कही है कि मुझे कपड़े और कृत्रिम रेशम के शुल्कों में वृद्धि करने के लिये इस विधान का प्रयोग नहीं करना चाहिये। स्पष्ट ही है कि मैं यह नहीं करूँगा। अभी इस समय तो मैंने उसे काफ़ी कम रखा है। अभी उसमें ५० प्रति-शत वृद्धि की और भी गुंजाइश है। और जब तक कि मैं उसमें ५० प्रतिशत वृद्धि नहीं करता, और उसके बाद ५० प्रतिशत और भी वृद्धि नहीं कर देता, तब तक मैं कह सकता हूँ कि उसके लिये इस विधान का प्रयोग करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। यह तो उसमें है ही, इसलिये मैं समझता हूँ कि इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

श्री तुलसीदास (मेहसाना—पश्चिम) : मैं जानता हूँ यह व्यवस्था उसमें की जा चुकी है। बहुत ही महीन (सुपरफाइन) कपड़े पर तो हम चार आने शुल्क लगा ही रहे हैं। मैं इसे छः आन तक बढ़ा सकता हूँ। मोटे और मध्यम दर्जे के कपड़े पर मैं चार आने तक वृद्धि कर सकता हूँ। एक में तो यह वृद्धि ५० प्रतिशत से अधिक हो जाती है और दूसरे में ५० प्रतिशत ही रहती है। जहां तक कि कृत्रिम रेशमी कपड़े का सम्बन्ध है, हम अभी उसके सम्बन्ध में बहुत थोड़ी ही वृद्धि कर रहे हैं। बाद में यदि परिस्थिति को देखते हुए उचित हुआ तो हम इसमें अधिक वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इसके उपर्युक्त सीमा के अधिक होने की सम्भावना नहीं है। इसके सम्बन्ध में, मैं केवल आश्वासन ही दे सकता हूँ। इसके लिये कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।

श्री नि० चं० चटर्जी और डा० कृष्णस्वामी, जो यहां १९५० में नहीं थे, दोनों ही की मूलभूत आपत्तियों के अतिरिक्त, मैं उन अन्य सभी बातों का स्पष्टीकरण कर चुका हूँ, जो यहां चर्चा के दौरान में उठाई गई थीं। चूंकि डा० कृष्णस्वामी १९५० में यहां नहीं थे, इसलिये वे इस बात का अनुभव नहीं कर सके कि जो भी आपत्तियां उठाई जाती रही हैं, उनके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही भी होती रही है और यह भी कि सरकार की कार्यवाहियां ऐसी ही रही हैं कि औचित्य का ध्यान रखने के सम्बन्ध में जो भी आश्वासन सरकार ने दिये हैं उन पर अमल किया गया है और सरकार अपने आश्वासनों को कभी भी भंग नहीं करेगी। इनके अतिरिक्त, मेरा ख्याल है कि मैंने माननीय मित्रों द्वारा कही गई अन्य सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : उप-खण्ड (४) के सम्बन्ध में क्या होगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक कि उप-खण्ड (४) का सम्बन्ध है, सामान्यतया तो कराधान के किसी भी विधान को रद्द करने या उसकी व्यवस्थाओं में हेरफेर करने की शक्ति सरकार को रहती है। इस विधेयक में भी इसका उल्लेख है। यह शक्ति पहले से ही मौजूद है और हमने उसी का उल्लेख किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सिंहासन सिंह** : संसद् ने उसका अनुमोदन कर दिया है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि संसद् ने उसका अनुमोदन भी कर दिया है पर हमें वह शुल्क लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो हम उसे रद्द कर देंगे । बात यह है कि यह कोई नियमित अधिनियमन नहीं है । यह एक अस्थायी चीज़ ही है और अस्थायी चीज़ को शीघ्र ही रद्द भी करना पड़ता है, संशोधन नहीं करना पड़ता । नियमित संविधि द्वारा ही हमें शक्ति मिलती है । कराधान विधान में शक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट ही व्यक्त कर दिया गया है कि सरकार उसे कम कर सकती है । सरकार कार्यपालक आदेश द्वारा उसमें वृद्धि नहीं कर सकती । चूंकि इस बात को कराधान विधान में स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है, इसलिये हम इसका उल्लेख कर रहे हैं । हम वर्तमान प्रथा के अनुसार ही चल रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—(नयी धारा ३ क की निविष्टि)

†**श्री तुलसीदास** (मेहसाना—पश्चिम) : मैं अपने संशोधन संख्या ४ और ५ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरे संशोधन इस सम्बन्ध में हैं कि वित्त मंत्री को कपड़े और कृत्रिम रेशम के वर्तमान शुल्कों में ५० प्रतिशत वृद्धि करने की शक्ति प्रदान न की जाये । माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे यह वृद्धि करने का इरादा ही नहीं कर रहे हैं । वह इस कारण इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ।

हम एक अधिनियम पारित कर चुके हैं । उसके द्वारा उनको शक्ति प्रदान की गई है । शुल्क की दर में वृद्धि करने की शक्ति उन्होंने ग्रहण कर ही ली है । लेकिन, उन्होंने वृद्धि न करने का आश्वासन दिया है, इसलिये मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता । लेकिन, बाद में उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि यह आश्वासन दूसरी परिस्थितियों में दिया गया था ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : नहीं । नहीं ।

†**श्री तुलसीदास** : तब मैं इन संशोधनों पर आग्रह नहीं करता ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १, पंक्ति ७ और ८ में,

"where in respect of any excisable goods, the Central Government is satisfied" ("जहां भी उत्पादन-शुल्क लगाने योग्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को इस बात का संतोष हो जाता है कि") शब्दों के स्थान पर, "If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the Central Government is satisfied that in respect of any excisable goods" ("संसद् की दोनों सभाओं के सत्र के समय के अतिरिक्त, अन्य किसी समय यदि केन्द्रीय सरकार को इस बात का संतोष हो जाता है कि उत्पादन-शुल्क लगने योग्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में") शब्द रख दिये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) पृष्ठ १ में,

पक्तियों १५ से १७ तक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"Provided that such increase shall not in the aggregate be more than fifty percent of the duty of excise fixed by an Act of Parliament as being leviable on the goods for the time being."

("परन्तु कुल मिलाकर यह वृद्धि संसद् के किसी अधिनियम द्वारा निर्धारित उत्पादन-शुल्क, जो कि उस समय माल पर लगाया जाने योग्य हो, के पचास प्रतिशत से अधिक न होगी।")

(३) पृष्ठ १ में,

पक्तियों १८ से २० तक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"(2) Every such notification shall be laid before Parliament within seven days of its reassembly after the date of the notification."

("ऐसी प्रत्येक अधिसूचना, उसकी तिथि के बाद, संसद् के पुनः समवेत होने के सात दिन के अन्दर, संसद् के सामने प्रस्तुत कर दी जायेगी।")

मैं जो कुछ बोल चुका हूं, ये संशोधन उसी के अनुसरण में प्रस्तुत किये गये हैं।

माननीय मित्र श्री तुलसीदास ने एक और भी बात कही है। उनका संशोधन इस विधान के क्षेत्र को वर्तमान समय तक ही, अर्थात् इस अधिनियम विशेष तक ही सीमित कर देगा। इससे बड़ी कठिनाई होगी। इसलिये, हमने इसे इस रूप में रखा है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरे उत्तराधिकारी इस आश्वासन को मानने के लिये बाध्य रहेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए।

†**श्री मोहनलाल सक्सेना** : यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री ने सदस्यों के कुछ सुझाव स्वीकार कर लिये हैं। किन्तु विधेयक में अभी भी कुछ आपत्तिजनक बातें हैं।

समय के बारे में मंत्री महोदय ने बड़ी चतुराई के साथ यह दलील दी है कि नई संसद् की कुछ समय तक बैठक न हो सकी और आपातकाल उत्पन्न हुआ तो एक वर्ष के लिये इस तर्क के उपबन्ध की आवश्यकता सिद्ध होगी। किन्तु मेरा कहना है कि यदि ऐसी ही बात है तो उपबन्ध में समय निर्धारित क्यों नहीं कर दिया जाता।

हम प्रजातंत्र के प्रथम चरण पर हैं तथा हमें स्वस्थ परम्परायें स्थापित करनी चाहियें। मेरा उद्देश्य सदैव अवैयक्तिक होता है। उस दिन मैंने कहा था कि वित्त मंत्री को अन्य किसी ऐसे विभाग का प्रभार नहीं संभालना चाहिये जिसमें खर्च का सवाल हो। किसी भी देश में वित्त मंत्री ऐसे विभाग का प्रभारी नहीं होता है। क्योंकि उक्त स्थिति में वह अन्य मंत्रालयों की भांति प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं कर सकता है।

मेरा सुझाव है कि इस विधेयक की कालावधि एक वर्ष अथवा नई संसद् की बैठक के छः सप्ताह पश्चात् तक निश्चित कर दी जानी चाहिये। इस अधिनियम द्वारा हम अगली संसद् को भी वचनबद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि संसद् द्वारा यह अनुमोदित कर दिया गया और कुछ समय पश्चात् सरकार इसे रद्द कर दे तो यह सभा के प्रति अपमानजनक होने के साथ-साथ प्रजातंत्र के सिद्धान्त की इतिश्री भी है।

राष्ट्रीय योजना की सफलता का सबसे बड़ा आधार है जनता का समर्थन एवं सहयोग। जब तक जनता में विश्वास की सृष्टि नहीं होती तब तक उसका सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

आवास व्यवस्था की ही बात लीजिये। गांवों में इससे कोई लाभ नहीं होगा। १९४३ में पारित नागपुर योजना में इस बात की आशा व्यक्त की गई थी कि १९६० में भारत में एक भी ऐसा गांव न रहेगा जिसमें पांच मील की दूरी पर पक्की सड़क न हो। किन्तु इस योजना के दो-तिहाई भाग की भी पूर्ति नहीं हुई है प्रत्येक बार आपातकाल की दुहाई दी जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम योजना की अपेक्षा कम राशि का ही उपबन्ध है। और प्रशासन सम्बन्धी व्यय ११ करोड़ रुपये से बढ़कर ५७ करोड़ रुपये हो गया है। विविध मदों पर यह खर्चा १६·६ प्रतिशत से बढ़कर १९ प्रतिशत हो गया है। हमें इन सब समस्याओं का सामना करना है।

योजना में बताया गया है कि देश में औसत व्यक्ति दूध की खपत पांच औंस है।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन उत्पादन-शुल्क विधेयक से दूध की औसत खपत का क्या सम्बन्ध है?

†**श्री मोहनलाल सक्सेना** : यह बात सिद्ध कीजिये कि यह आपातकाल है।

इस विषय की मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। नई संसद् की बैठक तक की अन्तरावधि के लिये विधेयक में समय सम्बन्धी उपबन्ध करने से सरकार की नेकनीयती प्रकट होगी।

दूसरी बात यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (४) में कहा गया है कि वित्त मंत्री अथवा सरकार को अधिसूचना रद्द करने का कभी भी अधिकार होगा। भले ही वे ऐसा न करें किन्तु शब्दों से ऐसा भान होता है कि संसद् के निर्णय की अवज्ञा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री राघवाचारी** : प्रस्तावित संशोधन के बारे में मेरा विचार है कि "संसद् के दोनों सदनों की सत्रावधि को छोड़कर" शब्दों के स्थान पर "दोनों अथवा एक सदन की सत्रावधि को छोड़कर" शब्द होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक सदन के सत्र से तो संसद् नहीं बनती है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य भली प्रकार नहीं समझे हैं। जब दोनों सदनों की बैठक हो रही है तो हम इस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किन्तु यदि एक सदन की ही बैठक हो रही है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका यही अभिप्राय है।

†**श्री राघवाचारी** : यह प्रश्न अधिकार के प्रयोग से सम्बन्धित है। मेरा अभिप्राय है कि जब एक अथवा दोनों सदनों की बैठक हो रही हो तो.....

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह कैसे सम्भव है। इसका अर्थ यह होगा कि यदि एक अथवा दोनों सदनों की बैठक हो रही है तो मैं उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।

†**एक माननीय सदस्य** : माननीय सदस्य की यही अभिलाषा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल एक ही सदन की बैठक का अभिप्राय है कि संसद् पूरी नहीं है। यदि अधिनियम पारित नहीं किया जा सकता है और अध्यादेश जारी करना भी वांछनीय नहीं है तो फिर सरकार क्या चुपचाप बैठी रहे?

†**श्री राघवाचारी** : अर्थ यह है कि हम उस अवधि को नियन्त्रित करना चाहते हैं जब वह इस मनमानी शक्ति का उपयोग करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन एक ही सदन की सत्रावधि में तो अधिनियम की सृष्टि नहीं हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : आखिर दोनों सदनों की बैठक में एक सप्ताह से अधिक अन्तरावधि नहीं होती है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : कभी-कभी एक महीना ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब क्या आपत्ति हो सकती है ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : माननीय मंत्री का ध्यान मैं एक साधारण त्रुटि की ओर आकर्षित करूं । यदि ३१ दिसम्बर, १९५७ को धारा ३क लागू नहीं होती है तो पहले से ही जारी की गई अधिसूचना भी लागू नहीं हो सकती है । आखिर यह अधिनियम की किसी धारा पर ही तो आश्रित है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यहां कोई खण्ड ३क नहीं है । प्रस्तावित धारा ३क की उप-धारा ५ में बताया गया है कि संसद् द्वारा अनुमोदन होने पर ही अधिसूचना जारी रहेगी । क्या माननीय मित्र को मालूम है कि कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किये गये हैं । खण्ड ३क कहां है ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : खण्ड ३क का प्रतिस्थापन कर दिया गया है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : खण्ड ३क कहीं नहीं है । कदाचित् कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : खेद है कि मैंने खण्ड ३क कह दिया । वस्तुतः मेरा अभिप्राय केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम की धारा ३क से था जिसे अब निविष्ट किया जा रहा है । मैं विधेयक के खण्ड २ के बारे में बोल रहा हूं जहां धारा ३क का प्रस्ताव रखा गया है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य की बात में कोई तथ्य नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ १, पंक्ति ७ और ८ में

"Where in respect of any excisable goods, the Central Government is satisfied"

["जहां भी उत्पादन-शुल्क लगाने योग्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को इस बात का संतोष हो जाता है कि"] शब्दों के स्थान पर,

"If at any time, except when both Houses of Parliament are in Session, the Central Government is satisfied that in respect of any excisable goods"

["संसद् के दोनों सदनों के सत्र के समय के अतिरिक्त, अन्य किसी समय यदि केन्द्रीय सरकार को इस बात का संतोष हो जाता है कि उत्पादन-शुल्क लगाने योग्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में"] शब्द रख दिये जायें ।

(२) पृष्ठ १ में,

पंक्तियों १५ से १७ तक के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"Provided that such increase shall not in aggregate be more than fifty percent of the duty of excise fixed by an Act of Parliament as being leviable on the goods for the time being."

["परन्तु कुल मिला कर यह वृद्धि संसद् के किसी अधिनियम द्वारा निर्धारित उत्पादन शुल्क, जोकि उस समय माल पर लगाये जाने योग्य हो, के पचास प्रतिशत से अधिक न होगी ।"]

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

(३) पृष्ठ १ में,

पंक्तियों १८ से २० तक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

"(2) Every such notification shall be laid before Parliament within seven days of its re-assembly after the date of the notification."

["ऐसी प्रत्येक अधिसूचना उसकी तिथि के बाद संसद् के पुनः समवेत होने के सात दिन के अन्दर संसद् के सामने प्रस्तुत की जायेगी ।"]

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने भी एक संशोधन दिया था कि '३१ दिसम्बर, १९५७' के स्थान पर '३० जून, १९५७' शब्द रखे जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखूंगा । परन्तु वह औपचारिक रूप में इसे प्रस्तुत कर दें ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : प्रस्तावित धारा ३क (४) को हटाने के बारे में मेरा भी एक संशोधन है ।

इसके पश्चात् पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री सिंहासन सिंह द्वारा अपने-अपने संशोधन प्रस्तुत किये गये ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मैं संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

मान लीजिये सभा ने अधिसूचना के अधीन किसी वस्तु पर कर बढ़ाने का अनुमोदन कर दिया है और माननीय मंत्री पर इसमें रूपभेद करने के लिये कुछ दबाव डाला गया तो केन्द्रीय सरकार सभा के अनुमोदन बगैर ही इसमें रूपभेद कर सकती है । विधेयक का उद्देश्य अतिरिक्त लाभ का संचय करना है । किन्तु सभा द्वारा करारोपण का अनुमोदन करने के पश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति अपने प्रयत्न में सफल हो जायें और सरकार से उत्पादन-शुल्क में वृद्धि न करने का वायदा करा लें तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । यह निर्णय सभा के समक्ष प्रकट होना चाहिये ताकि वह उस पर विचार कर सके कि ऐसा करना उचित है अथवा अनुचित । यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसका एकमात्र प्रयोजन योजना के लिये रुपये जुटाना है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह स्पष्ट है कि कर-सम्बन्धी विधान में सरकार को कमी करने का अधिकार है । इस विषय में भी वही सिद्धान्त मान्य होना चाहिये । कर में कमी करने का अधिकार परम्परागत है । यदि माननीय सदस्य की यह धारणा है कि सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है तो इसका उपचार है कि सरकार को बदल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : अब इस विधेयक को काफ़ी सुधार के बाद पारित किया जा रहा है ।

जहां तक अतिरिक्त लाभों को समेटने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सरकार को यह शक्ति देनी चाहिये । यह न केवल योजना के या किसी अन्य खर्च को पूरा करने के लिये, बल्कि एक सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भी आवश्यक है । अतिरिक्त लाभों का अर्थ है, उपभोक्ताओं का शोषण । यदि सरकार इनको समेटने की शक्ति न ले, तो कठिनाइयां उत्पन्न होती रहेंगी, क्योंकि यदि दूसरी योजना का रुपया मध्यजनों की जेबों में चला गया, तो यह हमारे सामाजिक लक्ष्य के विपरीत होगा ।

जहां तक निर्यात को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि केवल इस प्रयोजन के लिये सरकार को इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । निर्यात को प्रोत्साहन देने का अर्थ है देश में उपभोग को सीमित करना, जिसका फल यह होगा कि उपभोग वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे । इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा, जिन्हें हम सुविधायें देना चाहते हैं । आपात के समय सरकार सदन से प्रार्थना कर सकती है । किन्तु मैं नहीं कह सकता कि इस चार-पांच मास की अवधि में निर्यात को प्रोत्साहन देने और देश में उपभोग को सीमित करने से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होगा । मेरे विचार में इसकी राशि कम ही होगी । किन्तु इससे उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रयोजन के लिये इन शक्तियों का उपयोग नहीं करेगी ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : वित्त मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उससे विधेयक में काफी सुधार हो गया है ।

यह विधेयक एक आपातकालीन उपाय है और इसे केवल आपातकाल में प्रयोग किया जायेगा । वित्त मंत्री का विचार है कि अगले छः मासों में आर्थिक स्थिति के बिगड़ने का डर है । उनका विचार है कि मूल्य इतने बढ़ जायेंगे कि उन्हें अधिसूचना द्वारा उत्पादन शुल्क लगाने पड़ेंगे और लोगों का विचार है कि मूल्य बढ़ने की बजाय कम हो जायेंगे । कुछ भी हो, मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के उपबन्धों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

†**श्री तुलसीदास** : सब से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे दो संशोधनों का सार स्वीकार कर लिया है । ये संशोधन मैंने इसलिये दिये थे कि ऐसा न करने से उपभोक्ताओं पर अधिक भार पड़ेगा । वित्त मंत्री ने हाल में ही शक्तियां ली हैं और अब उन्हें उपभोग वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने के लिये अतिरिक्त शक्तियां लेना अनावश्यक है ।

आप जानते हैं कि देश में २५ वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क लग सकता है । इनमें से अधिकांश आवश्यक वस्तुयें हैं, जो कि जनसाधारण प्रयोग करता है । इनमें विलास की कोई वस्तु नहीं है । यदि इन पर शुल्क बढ़ा दिये जायें, तो उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होगा । और न ही शुल्क बढ़ाने से निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा । इससे तो उपभोक्ताओं को और भी कठिनाई होगी । आवश्यक वस्तुओं और उपभोग वस्तुओं के मामले में अतिरिक्त लाभ समेटने का प्रयोजन भी अतिरिक्त कर लगाने से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश वस्तुओं के मामले में अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति की स्थिति नहीं

†मूल अंग्रजी में ।

[श्री तुलसीदास]

है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले वित्त मंत्री को इन सब बातों पर विचार कर लेना चाहिये था।

माननीय मंत्री बार-बार यह कहते हैं कि वह किसी न किसी तरीके से दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये धन इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि उन संसाधनों से जो उन्हें प्राप्त होंगे उत्पादन कम तो नहीं हो जायेगा। उत्पादन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। यदि यह कम हो गया, तो दूसरी योजना के उद्देश्य धरे के धरे रह जायेंगे। माननीय मंत्री को यह पहलू ध्यान में रखना चाहिये।

एक और बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चहाता हूं यह है कि इस सत्र में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पुरस्थापित किये गये हैं, जिनके फलस्वरूप यह सत्र आय-व्ययक सत्र बन गया है। सदन को और जनता को इन के सब पहलुओं पर और प्रभाव पर विचार करने का अवसर नहीं दिया गया। महत्वपूर्ण विधेयकों को सामान्यतया प्रवर समिति को सौंपा जाता है। यह विधेयक भी प्रवर समिति को सौंपा जा सकता था और इस पर अधिक सुविधा से विचार किया जा सकता था। फिर भी चूंकि वित्त मंत्री ने मेरे कुछ संशोधन स्वीकार कर लिये हैं और एक आश्वासन भी दे दिया है, इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरी इच्छा वास्तव में इसका विरोध करने की थी।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमन्ड हार्बर) : मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं, क्योंकि इसके द्वारा सरकार ने कर लगाने की असीमित शक्ति ले ली है, जो कि किसी भी लोकतन्त्रात्मक संस्था के लिये खतरनाक दृष्टांत है।

वित्त मंत्री का कहना है कि वह इन करों को लगा कर यह अतिरिक्त धन समेटना चाहते हैं जो उद्योगपति या व्यापारी कमा रहे हैं। किन्तु वास्तविक स्थिति क्या है ? उन वस्तुओं में से, जिन पर उत्पादन-शुल्क लगाया गया है, अधिकांश आवश्यक या अर्ध-आवश्यक वस्तुयें हैं, जिनका जनसाधारण द्वारा उपभोग किया जाता है। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि इन वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क लगाने से इनके मूल्य नहीं बढ़ेंगे और जनसाधारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ? जब तक वह ऐसा आश्वासन न दें, मैं इस विधेयक से सहमत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त इस तरह की असीमित शक्तियां देना एक खतरनाक दृष्टांत स्थापित करना होगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे विचार में माननीय सदस्यों ने तृतीय वाचन में कोई ऐसे प्रश्न नहीं उठाये, जिनका उत्तर देने की आवश्यकता हो।

श्री तुलसीदास ने जो भाषण दिया है, वह उन्हें बहुत पहले देना चाहिये था और उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री बसु अपने आप को प्रजातन्त्र से भी दो कदम आगे समझते हैं। यदि वह किसी और प्रयोजन के लिये सदन में न आते तो वह संभवत: इस विधेयक के सम्बन्ध में न बोलते।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हम ने उन लोगों की जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, सेवा करने का प्रयत्न किया है। कपड़े पर हमने जो शुल्क लगाये थे, उसका भार अधिकतर उत्पादकों पर डाला गया है। यह सम्भव है कि इसका कुछ अंश औरों को सहन करना पड़ा है। जब तक मेरा पूरा नियन्त्रण न हो, मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता। यदि हमारी अर्थ-व्यवस्था ऐसी है कि सब कुछ सरकार द्वारा ही होता है, तो सम्भवत: मेरी सरकार का ८६ प्रतिशत राजस्व उपभोक्ता करों से ही

†मूल अंग्रेजी में।

प्राप्त होगा, जैसा कि तानाशाही देशों में होता है। मेरे माननीय मित्र प्रजातन्त्र के पक्ष में बोलते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें विश्वास नहीं है। मेरे विचार में इसकी अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। यदि किन्हीं माननीय सदस्यों की यह धारणा है, कि सरकार का अभिप्राय उपभोक्ताओं पर कोई भार डालना है, तो यह सत्य नहीं है। वास्तव में जब तक परिस्थितियां इसे अनिवार्य न बना दें, मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। तब भी इसे केवल कुछ वस्तुओं पर लगाया जायेगा। श्री तुलसीदास ने केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम की अनुसूची में से पढ़ कर वस्तुयें बताई हैं। उनकी बात सही नहीं है। मैं जूतों आदि पर कोई शुल्क नहीं लगाऊंगा। तीन या चार वस्तुयें हो सकती हैं। इस समय दो या तीन होंगी। यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक न हुआ, तो ये शुल्क नहीं लगाये जायेंगे और न बढ़ाये जायेंगे।

उन मित्रों को जो मेरी शक्ति को ९ मास या ६ मास तक सीमित करना चाहते थे, मैं यह कहूंगा "आप क्या-क्या संरक्षित करना चाहते हैं? सरकार आपके सामने उत्तरदायी है। हम संसद् के सत्र में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यदि १९५७ के उत्तरार्द्ध में संसद् की बैठकें होती रहीं, तो स्पष्ट है कि इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।" सुझाव देने से किसी को क्या संतोष हो जाता है। एक संशोधन स्वीकार किया जाता है। यदि विधेयक में त्रुटि है, तो इसे संशोधित किया जायेगा। इस बात का कोई महत्व नहीं कि ऐसा कौन करता है। यह बात नहीं है कि मैंने कोई गलती की है और संशोधन स्वीकार करके मुझे कोई श्रेय प्राप्त हो गया है। यह चर्चा की बात है। यदि कोई माननीय सदस्य समझते हैं कि इसमें सुधार हो सकता है, तो वह बतायें। ऐसा समझने का कोई लाभ नहीं कि हम ऐसा केवल किसी सदस्य के कहने पर कर रहे हैं। '३१ दिसम्बर' की तिथि बदल कर '३० जून, करने का क्या प्रयोजन है? यह एक वर्ष के लिये है। १९५७ के उत्तरार्द्ध में संसद् के सत्र होते रहेंगे और हो सकता है कि इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही न पड़े।

मैं यह आश्वासन दे सकता हूं, जैसा कि स्वर्गीय डा० अम्बेडकर ने एक बार कहा था, सरकार इस विधान का प्रयोग करते हुए औचित्य के सब प्रश्नों को ध्यान में रखेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

भारतीय कपास के न्यूनतम और उच्चतम भाव

†**अध्यक्ष महोदय** : चर्चा के लिये एक घंटा नियत है। मंत्री कितना समय लेंगे?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं दस मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, मैं सरकार द्वारा किये गये संदिग्ध कार्य पर, जिससे कि भारत की जनता को हानि पहुंचने की आशंका है, चर्चा आरम्भ करने के लिये बाध्य हुआ हूं। इस महीने

†मूल अंग्रजी में।

[श्री कामत]

की ५ तारीख को उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री श्री कानूनगो ने जो असंतोषजनक उत्तर दिये थे, उनसे यह चर्चा आरम्भ होती है । मुझे ज्ञात नहीं था कि गत वर्ष कपास के लिये निर्धारित उच्चतम मूल्यों में परिवर्तन किया गया था । उन्हें भी ज्ञात नहीं था कि भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय वाणिज्य मंत्री ने राज्य-सभा में क्या कहा था ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

कपास के मौसम के आरम्भ होने पर उच्चतम मूल्य ८४० रुपये निश्चित किया गया था । २३ दिसम्बर, १९५५ को इतवार के दिन सरकार ने ईस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन की एकमत राय के विरुद्ध वायदा बाजार बन्द कर दिया और इसे ७ जनवरी, १९५६ को खोला । बाजार खुलने पर उच्चत्तम मूल्य ८४० रुपये से घटा कर ७०० रुपये कर दिया गया जब कि प्रचलित भाव ७४० और ७५० रुपये के बीच थे ।

इस घृणित कार्य के दो पहलू हैं । एक तो यह कि पहले निर्धारित मूल्य को अत्यधिक घटा दिया गया है और दूसरे इस उच्चतम भाव का भूतलक्षी प्रभाव रखा गया और वायदा बाजार आयोग ने ईस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन के प्रधान को आदेश दिया कि सब वायदा संविदायें बन्द कर दी जायें और पहले की गई संविदाओं को चाहे वे ७४५ या ७५० रुपये पर हुई हों ७०० रुपये पर किया गया समझा जाये । यह सर्वथा मनमाना और घृणित कार्य है ।

सरकार ने इस कार्य के समर्थन के लिये कई कारण बताये हैं । वे तीन प्रकार के हैं । पहले तो यह कहा गया कि यह कार्य व्यापार के हित में किया गया, दूसरे लोक-हित में किया गया और तीसरे यह कि भारत की अर्थ-व्यवस्था के हित में किया गया । मैं आज एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि इससे किस को लाभ हुआ ? डा० पं० शा० देशमुख ने १७ फरवरी को राज्य सभा में कहा था कि मैं ब्योरे को नहीं लूंगा कि सरकार में क्या हुआ, परन्तु मैं उत्पादकों के मूल्यों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूं और मुझे विश्वास है कि वाणिज्य उद्योग मंत्री ने अवश्य दृढ़ कारणों से यह कार्य किया होगा । आश्चर्य की बात है कि उन्होंने पूरे मन से अपने साथी का समर्थन नहीं किया । उन्होंने यह भी कहा कि मैं सदा इस पक्ष में हूं कि उत्पादक को अधिक भाव मिलना चाहिये परन्तु वाणिज्य और उद्योग मंत्री का मत भिन्न है । उस समय के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने, बम्बई में घटी कतिपय घटनाओं के कारण भिन्न धारणा अपनाई ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने भारतीय कपास उपकर (संशोधन) अधिनियम पर चर्चा के समय कहा था कि यदि सभा को इसमें अभिरुचि है तो मामला स्पष्ट हो जाने पर मैं सब कुछ बताऊंगा । उसके पश्चात् इस पर संसद् में कोई चर्चा नहीं हुई और संसद् अब भी इस बात पर हैरान है कि यह कार्यवाही क्यों की गई ।

इस से किसे लाभ हुआ है ? फरवरी में डा० राम सुभग सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि वायदा बाजार आयोग को सभी सम्बन्धित लोगों के हितों की रक्षा के लिये यह कार्य करना पड़ा । यह बहुत अपवंचनपूर्ण शब्दावली है । मेरा निवेदन है कि नये मंत्री भूतपूर्व मंत्री की सहायता से उत्तर दें .....

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोगवस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : केवल उन्हीं से क्यों न पूछिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत :** इसका आप आपस में निबटारा कीजिये। आशा है आप एक-दूसरे की सहायता करेंगे ।

समाप्त करने से पूर्व मैं एक दो बातों को लूंगा। दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से फरवरी के अन्तिम सप्ताह तक उत्पादकों को कृत्रिम कम भाव पर कपास बेचनी पड़ी थी। डा० पं० शा० देशमुख का यह कहना ठीक था कि सरकार का यह कार्य उत्पादकों के हित में नहीं था। वायदा बाजार का कृत्य उत्पादक, व्यापारी और मिलों के बीच उचित मूल्य का सम्बन्ध जोड़ना है। परन्तु सरकार ने कृत्रिम रूप से मूल्य घटा दिया।

सरकार लोक-कल्याण राज्य निर्माण करने की इच्छा से सदा ही कहती रहती है कि वह उत्पादकों, किसानों और उपभोक्ताओं के हित के लिये कार्य करती है जो देश में ९० अथवा ९५ प्रतिशत हैं। मैं उस पर यह आरोप लगाता हूं कि उसने केवल कुछ विशेषाधिकार वाले व्यक्तियों के हित के लिए यह कार्य किया है और इसमें संदेहात्मक प्रयोजन निहित है ।

मैं इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं जो वह राज्य सभा में उचित अवसर के अभाव के कारण नहीं कह सके थे। वे बतायें कि बम्बई में क्या स्थिति पैदा हो गई थी जिससे बाध्य होकर उन्होंने यह कार्यवाही की ?

मैंने श्री कानूनगो से गत सप्ताह यह प्रश्न पूछा था कि "क्या यह सच है कि २९ नवम्बर को वित्त मंत्री ने कहा था कि बम्बई में विजय कपास का मूल्य ७४९ रुपये प्रति केंडी उचित था जब कि गत वर्ष उन्होंने इसी मूल्य को अत्यधिक समझ कर घटा दिया था और इसे ७०० रुपये कर दिया था।" श्री कानूनगो ने उत्तर दिया था कि उन्हें माननीय मंत्री के वक्तव्य का पता नहीं यद्यपि वह वक्तव्य उसी दिन सभा-पटल पर रखा गया था।

अतः मुझे यह मामला फिर उठाना पड़ा है और आशा है कि सभा मुझ से सहमत होगी कि सरकार ने वह कार्यवाही अपने कुछेक कृपापात्र व्यक्तियों के हित के लिये की थी। आज सभा सरकार से उत्तर चाहती है कि वे थोड़े से लोग कौन हैं। यदि सरकार उनके नाम नहीं बताती तो मुझे यह कहने में झिझक नहीं होगी कि सरकार लोगों के हित में काम नहीं कर रही है। तब उन्हें सभा में यह नहीं कहना चाहिये कि हम कल्याणकारी राज्य के लिये कार्य कर रहे हैं। मुझे आशा है कि संसद् इस निकृष्ट स्थिति को समाप्त करेगी ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मेरी राय में सरकार की यह नीति बहुत रहस्यपूर्ण है क्योंकि न तो वर्तमान वित्त मंत्री ने जो पहले उद्योग और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री थे, और न ही खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इन गलत धारणाओं को स्पष्ट किया है।

इस नीति के क्या कारण हैं ? एक तो मूल्यों पर नियंत्रण करना और सट्टे को रोकना हो सकता है और दूसरे उत्पादकों के हित का संरक्षण हो सकता है। परन्तु मुख्य उद्देश्य देश की अर्थ-व्यवस्था ही होता है। उच्चतम मूल्य घटा कर ७०० रुपये करने से क्या ये उद्देश्य पूर्ण हो सकते थे जब कि प्रचलित मूल्य ७५० रुपये था। उच्चतम मूल्य निर्धारण के पश्चात् मूल्य ८०० रुपये तक अर्थात १०० रुपये अधिक तक बढ़ गये थे। वायदा बाजार में भी संविदायें समाप्त हो गई थीं और व्यापार ठप्प हो गया था।

अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि कुछ एक लोगों को लाभ हुए जो कि सरकार की इच्छा नहीं हो सकती थी। केवल जिन कुछ लोगों ने माल खरीदा था और जिन्हें पहले से कुछ ज्ञात था, इस का लाभ उठाया।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री म० शि० गुरुपादस्वामी]

उत्पादकों को कोई लाभ नहीं हुआ । डा० पं० शा० देशमुख पहले ही यह बता चुके हैं मुझे पता लगा है कि ईस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन में उत्पादकों के प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया था । केन्द्रीय कपास समिति ने भी एक संकल्प पारित किया था जिसमें इस कार्य का विरोध किया गया था ।

सट्टा समाप्त नहीं हुआ और मूल्यों पर नियंत्रण नहीं किया जा सका । हाज़र बाज़ार में मूल्य अत्यधिक बढ़ गये थे । अतः यह मुख्य उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हुआ ।

क्या मैं नम्रता से पूछ सकता हूं कि इस नीति परिवर्तन की प्रतिक्रिया और परिणाम क्या होंगे ? क्या वस्त्र आयुक्त, अथवा अपने विभाग के जिन लोगों से परामर्श लेना आवश्यक था, उनसे परामर्श लिया गया ? मेरे विचार में नहीं लिया गया, और यह बहुत बुरी बात है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** माननीय सदस्य किस आधार पर यह बात कह रहे हैं ?

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** अच्छा ही है यदि मैं गलत सिद्ध हो जाऊं ।

एक महत्वपूर्ण बात और भी है । और यह प्रश्न श्री कामत ने भी पूछा था कि इस नीति परिवर्तन से किसे लाभ होगा ? क्या वायदा बाजार में कुछ विशेष सट्टेबाजों को अधिक लाभ पहुंचा है । क्या सट्टेबाजों और व्यापारियों में भी ऐसे लोग हैं जिनसे सरकार विशेष प्रकार का सुविधाजनक व्यवहार करती है । जो कुछ समृद्ध लोग इस स्थिति में हैं कि सामयिक सूचना प्राप्त कर सकें वे लाभ उठाते हैं । दुर्भाग्य यह है कि वायदा बाजार में अधिक सट्टा नहीं होता । मेरे विचार में तो सरकारी नीति में ही सट्टेबाजी की प्रवृत्ति होती है । लोग इस प्रवृत्ति से सरकारी नीति के सम्बन्ध में कई प्रकार की अटकलें लगाते रहते हैं । और जब तक यह कुप्रवृत्ति बन्द न हो वायदा बाजार और सट्टे का व्यापार ठीक ढंग से नहीं चल सकता । इसलिये मैं सभा और मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि वह इस मामले की जांच के लिये तुरन्त किसी प्रकार की समिति नियुक्त करें । इससे सत्य का पता चल जायेगा और असन्तोष कम हो जायेगा । मंत्रालय के लिये भी यह अच्छा ही होगा । इसलिये मेरा विनम्र सुझाव है कि सारे मामले की जांच हो ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : सभापति महोदय, सरकार के हित में और प्रशासन की शुद्धता के लिये इस विवाद का स्वागत होना चाहिये । क्योंकि इस मामले को सरकार द्वारा सभा के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहिये । क्योंकि उनके लिये यही ठीक है ।

हमारी शिकायत है कि २४ जनवरी, १९५६ को कुछ दरों के ठेकों को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया । कुछ विशेष लोगों के लाभ के लिये यह ठेका कम दरों पर दिया गया था । २२ दिसम्बर, १९५५ को वायदा बाजार आयोग ने केन्द्रीय सरकार की ओर से पूर्व भारत रुई संघ के नाम एक आदेश जारी किया । वह यह कि संघ के संचालकों को द्वैध संविदा के भाव को ७०० रुपये प्रति केंडी से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिये । और स्वतन्त्र निगम को यह आदेश दिया कि फरवरी के सौदे ७०० रुपये अथवा इससे कम में निपटा दिये जाने चाहियें । उस समय दर ७४५ प्रति कैंडी थी ।

सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इस संघ के प्रधान हैं । उनकी समिति ने इस पग को अनुचित घोषित किया । २२ दिसम्बर को देशी रुई का भाव ८०० रुपया प्रति कैंडी था । फरवरी, १९५६ में ७३७ से ७४८ के बीच था । मई, १९५६ में यह दर ७०० से ७१८ तक था । इसलिये सर पुरुषोत्तम दास और उनके बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया कि हम लोगों को हानि उठाने के लिये मजबूर नहीं करेंगे । २३ दिसम्बर को केन्द्रीय सरकार ने द्वैध संविदा के सौदे रद्द कर दिये और संघ को भयभीत कर

†मूल अंग्रेजी में ।

सरकार का आदेश मानने पर बाध्य किया । सर पुरुषोत्तम दास और संचालकों ने कहा कि सरकार के लिये इस प्रकार भयभीत करना ठीक नहीं । और सरकार को इस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर व्यापार को बन्द नहीं करवाना चाहिये ।

३० दिसम्बर दूसरी अधिसूचना संघ को दंड देने के लिये निकाली गयी और एक सप्ताह के लिये बाजार बन्द कर दिया गया, और केन्द्रीय सरकार ने इस काल को एक सप्ताह और बढ़ा दिया । तब श्री पुरुषोत्तम दास ने त्यागपत्र दिया और संघ ने बाध्य होकर सरकार की बात स्वीकार करने का प्रस्ताव स्वीकार किया । ६ जनवरी को इस प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दी गयी और बम्बई उच्च न्यायालय में दावा दायर किया गया । २४ जनवरी को समझौता हुआ और कहा गया कि संघ इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र निश्चय कर सकता है । परन्तु साथ ही अधिसूचना प्रकाशित कर यह कहा गया कि सभी सौदे ७०० रुपये पर समाप्त कर दिये जायें । और मई के लिये दर ६८०–८–० निश्चित किया गया । और यह सब जनहित और सामूहिक हित के नाम पर हुआ । परन्तु यह सब गलत बातें हैं ।

क्या वायदा बाजार आयोग, व्यापार बन्द कर और ७०० रुपये का अस्थायी मूल्य निर्धारित कर अपने लक्ष्य में सफल हो गया है ?

जिस समय ७०० रुपये मूल्य निर्धारण किया गया उस समय वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य ८४० रुपये था । इससे रुई का उत्पादन भी कम हुआ और यह ४४ लाख गांठों से अधिक नहीं था फिर इतना होते हुए भी हाजिर माल की दर बढ़ती रही और इस मूल्य की अस्थायी कमी से किसी को लाभ न पहुंचा । केवल उन लोगों को लाभ पहुंचा जिन्होंने आगे के वायदे किये हुए थे । उन्हें ४७ रुपये प्रति कैंडी लाभ हो गया । परन्तु खरीददारों को भारी हानि हुई । सारांश यह कि सारा काम केवल एक छोटे वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिये किया गया ।

अब प्रश्न यह है कि यह आपने क्यों, और किसके कहने से किया ? सभा यदि इस मामले की पूरी जांच नहीं करती तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती ।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : जो बातें की गयी हैं, उसके बारे में सरकार का उत्तर क्या होगा, यह तो मैं नहीं जानता । मुझे इतना पता है कि जब पूर्वी भारत रुई संघ का वायदा बाजार बन्द किया गया तो काफी आन्दोलन हुआ था, और इस प्रश्न पर काफी लेख लिखे गये थे । मैंने मामले का अध्ययन किया । मेरा विचार है कि पूर्वी भारत रुई संघ अपने आपको रुई बाजार का 'खुदा' समझने लग गया था । आप को पता है कि रुई के दाम बढ़ने से कपड़े के भी दाम बढ़ जाते हैं, और यह बात जनता के हितों के विरुद्ध जाती है । संघ ने अपने आप को बाजार का स्वामी मान कर भाव ७०० से ८०० तक कर दिये । सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी । इसलिये इन हालात में जो कुछ सरकार ने किया है, ठीक किया है ।

हाजिर भाव फटका दर से ऊंचा होता है । परन्तु फटका दर बढ़ाये गये, जिससे हाजिर दरों और कपड़ा बाजार पर बहुत बुरी प्रतिक्रिया हुई । और सरकार को जनता के हित में कार्यवाही करनी पड़ी ।

जहां तक कृषि मंत्री, डा० देशमुख और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के मतभेद का सम्बन्ध है, वह स्वाभाविक ही था । वाणिज्य और उद्योग मंत्री को देश के सभी हितों का ध्यान रखना पड़ता है और डा० देशमुख का सम्बन्ध केवल कृषि से है । एक वर्ग को लाभ पहुंचने की जो बात है वह तो होती ही है, और ऐसे लोग दोनों ओर ही होते हैं । इसलिये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि सभा जांच के लिये कोई समिति अथवा आयोग स्थापित करे । विरोधी पक्ष के मित्र ऐसे ही सरकार को कोस रहे हैं । परन्तु मैं अपने मत पर दृढ़ हूं कि सरकार ने ठीक ही किया है ।

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री ग० ध० सोमानी** (नागपुर पाली) : मैं तो विवाद में भाग नहीं लेना चाहता था। और मुझे यह भी पता नहीं था कि सरकार के एक वर्ष पूर्व के काम की चर्चा हो रही है। परन्तु वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित होने के कारण, मुझे स्थिति का पता है। और मैं यह भी जानता हूं कि यदि मंत्रालय यह पग न उठाता तो क्या प्रतिक्रिया होती। मालूम होता है कि मेरे माननीय मित्रों को किसी ने बड़ी अच्छी तरह बातें बता दी हैं किन्तु वे वायदा बाजारों के लेनदेन से भली-भांति परिचित नहीं मालूम होते। मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने मांग और पूर्त्ति की स्थिति का उल्लेख किया है। गत वर्ष कपास की फसल केवल ४३ लाख गाठें थीं और आशा है कि इस वर्ष वह ५५ लाख गाठें होंगी और इसी कारण इस बात का खतरा था कि यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो मूल्य काबू से बाहर हो जाते। यदि सरकार कोई कार्यवाही न करती तो कुछ ही दिनों में वे शक्तिशाली खरीददार भाव को ८४० रुपये की अधिकत्तम सीमा तक अवश्य ही पहुंचा देते। अत: यह कहना बिल्कुल गलत है कि सरकारी कार्यवाही से कुछ थोड़े से अपने प्रिय लोगों को ही लाभ पहुंचा है।

मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि सरकारी कार्यवाही से कुछ शक्तिशाली खरीददारों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें हानि हुई है क्योंकि बहुत सीमित पूर्ति और मिलों की बहुत ऊंची मांग को देखते हुए वे कपास के मूल्य अधिकत्तम सीमा तक नहीं पहुंचा सके। ऐसी बातें वायदा बाजारों में नयी नहीं हैं। उस समय बाजार में कपास की पूर्ति की स्थिति इतनी असंतोषजनक थी कि वायदा बाजारों में काम करने वाले लोगों के लिये भाव ऊंचा कर देना बड़ा आसान था। मैं उसी दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण करना चाहता था। सम्भव है कि हम उस नीति से सहमत न हों, किन्तु मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं था कि यदि मंत्री कोई कार्यवाही न करते तो कोई शक्ति भावों को ऊंचा बढ़ा देने से नहीं रोक सकती थी। अत: मैं नहीं समझता कि इस आरोप का किसी प्रकार समर्थन किया जा सकता है कि मंत्री की कार्यवाही से कुछ थोड़े से शक्तिशाली लोगों को ही लाभ हुआ है। मंत्री की उस विशिष्ट कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी का मतभेद हो सकता है किन्तु वायदा बाजार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि बाजार उचित रूप से चलें, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को बचाया जाये और सट्टेबाज किसी समय किसी बाजार में मांग और पूर्त्ति की स्थिति से अनुचित लाभ न उठायें। अत: मैं यह नहीं समझता कि मंत्रालय की कार्यवाही के पीछे कोई मलीन भावनायें थीं। मेरे विचार से, उस कार्यवाही से मूल्यों को काबू में रखने में बहुत कुछ सहायता मिली है, जो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक था।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जिस समय यह घटना हुई उस समय इस मंत्रालय का भार-साधक मैं था और इस कारण मैं अब कुछ शब्द कहूंगा और मुझे हर्ष है कि मेरे सहयोगी ने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

सर्वप्रथम मैं अपने मित्र श्री सोधिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस विषय के सम्बन्ध में वस्तुरूप दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मैं श्री सोमानी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस विषय में एक व्यापारी का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कपास का मूल्य, कपास की पूर्त्ति आदि के प्रश्नों पर बहुत ध्यान देता रहा है। फरवरी, १९५५ में पूर्त्ति अधिक थी और मूल्य गिरते जा रहे थे और कुछ निर्यात कोटा की अनुमति देकर मुझे बाजार को मजबूत करना पड़ा। सावधानी से इस विषय की ओर ध्यान देकर हमने मूल्यों को काबू में रखा। किन्तु १९५५ के आखिर में, सम्भवत: नवम्बर में किसी समय, पूर्व भारत कपास संस्था के सभापति बाजार की दशाओं से बहुत चिन्तित होकर मुझसे दिल्ली में

†मूल अंग्रेजी में।

मिले । उन्होंने मुझे बताया कि नीलाम बहुत हो रहे हैं और सट्टेबाज बाजार पर कब्जा जमा रहे हैं और इसलिये सरकार को कुछ करना चाहिये । मैंने उन्हें बताया कि जब तक संथा हमें सहायता न दे हम अवैध नीलाम करने वाले लोगों को नहीं पकड़ सकते । वह हमें कोई सहायता नहीं दे सके किन्तु उन्होंने यह कहा कि हमें अवश्य कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिये ।

इसके बाद सरकार ने कार्यवाही की । एक बात की ओर किसी सदस्य ने ध्यान नहीं दिया है । कम फसल के अतिरिक्त, सट्टा खासकर उस तरह के कपास में होता था, जिसका टेंडर दी जाने वाली मात्रा बहुत ही कम अर्थात् १३१६ जरिल्ला थी । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को ठीक-ठीक नहीं बताया गया है । मुख्य बात न्यूनतम या उच्चतम मूल्य की नहीं है । उस विशिष्ट रेशे का कपास उपलब्ध नहीं था और वह कई बार बेचा गया । अत: यह स्वाभाविक था कि जो लोग सट्टा करते थे वे दूसरे लोगों को निकाल बाहर करते । कपास की मात्रा इस कारण गिर गयी थी कि बेमौसमी वर्षा हुई । वह काफी गंभीर स्थिति थी जब कि अधिक मिलों की स्थापना के कारण मांग बढ़ रही थी और प्रश्न यह था कि मूल्य न केवल अधिकतम सीमा तक बल्कि उसके आगे भी पहुंच जायेंगे ।

न्यूनतम और अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को उसका महत्व मालूम नहीं है । न्यूनतम मूल्य ४९५ रुपये निर्धारित किया गया था ताकि उत्पादकों को यह बताया जा सके कि यदि भाव उस स्तर तक गिर गया तो सरकार ४९५ रुपये के मूल्य पर कपास खरीद लेगी । अधिकतम सीमा इसलिये निर्धारित की गयी थी कि यदि उसके आगे खरीद की जाये तो वस्त्र आयुक्त मिलों को आदेश देंगे कि उस मूल्य से अधिक मूल्य पर वे खरीद न करें । हम यह जानते हैं कि कुछ नीलाम गुप्त रूप से हो जायेंगे । न्यूनतम सीमा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पादक से है और उच्चतम सीमा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मिलों से है । न्यूनतम और अधिकतम सीमा के इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र अनभिज्ञ हैं ।

दूसरी बात यह है कि एक ओर द्वैध रक्षित संविदा दर है और हाजिर दर उससे भिन्न है । हाजिर भाव उपलब्ध वास्तविक पूर्त्ति पर निर्भर होता है । जिस समय सरकार ने कार्यवाही की उस समय मूल्य ७४५ रुपये और ७५९ के बीच में थे । हाजिर मूल्य काफी ऊंचा हो गया था क्योंकि वह उस परिमाण या कोटा पर निर्भर होता है जिसका टेन्डर दिया जा सकता है । द्वैध रक्षित दर केवल इस स्थिति पर निर्भर होता है कि काफी संख्या में सट्टेबाज हों । यदि वायदा बाजार आयोग ने कुछ नहीं किया तो मैं समझता हूं कि वह अपना कर्तव्य करने में असफल रहा । यह कहना गलत है कि किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये ऐसा किया गया है क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी कुल पांच-छ: ही थे जो यह अच्छी तरह जानते थे कि उस किस्म की मात्रा उपलब्ध नहीं थी और उन्होंने वास्तव में बाजार से लाभ भी उठाने का प्रयत्न किया था । मैं समझता हूं कि उनके लगभग सारे उपाय समाप्त हो चुके थे और अन्त में वे हार चुक होंगे । मैं नहीं जानता कि वे पांच-छ: व्यक्ति कौन थे । लगभग एक वर्ष के बाद मैं इतना ही जानता हूं कि उनमें एक या दो या तीन व्यक्ति श्री कामत के पास पहुंचे होंगे और श्री कामत ने श्री चटर्जी को बताया होगा ।

उन्होंने एक दूसरी बात का उल्लेख किया था और वह यह है । मेरे सहयोगी श्री कानूनगो ने कुछ पत्र सभा-पटल पर रखे थे । एक ऐसा वक्तव्य भी रखा गया था जिसमें मैंने भी यह कहा होगा कि विजय कपास का ७४९ रुपये मूल्य ठीक है । मूल्य काफी स्थिर हैं । विजय कपास का न्यूनतम मूल्य ५६९ रुपये है, और अधिकतम मूल्य ९२५ रुपये है । वास्तव में प्रयत्न यह रहता है कि मूल्य न्यूनतम और अधिकतम के बीच में हों । जब तक वह ७४९ या ७५० रुपये रहे हमें खुश होना चाहिये । इस बात के होते हुए कि अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मेरे अधीन नहीं हैं और मैं अब वित्त मंत्री हूं, मुझे

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

प्रसन्नता है कि मूल्य स्थिर हैं और वे न तो अधिकतम सीमा तक पहुंचे हैं और न न्यूनतम सीमा तक गिर गये हैं ।

दूसरी बात यह कही गयी थी कि उत्पादकों को घाटा हुआ । जिस समय हमने यह कार्यवाही की, उस समय माल की निकासी शुरू हो चुकी थी और यह कहना ठीक नहीं है कि उत्पादकों के पास काफी भंडार था । हमें बिलकुल विश्वास है कि बिचौलियों को घाटा हुआ क्योंकि हम जानते थे कि माल की निकासी किस प्रकार हो रही है ।

अतः जांच समिति या इसी तरह की कोई चीज का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है ? माननीय सदस्य एक वर्ष पहले भी सभा में थे । इसी प्रकार माननीय सदस्य श्री गुरुपादस्वामी और श्री चटर्जी भी थे । किन्तु उन्होंने पिछले एक साल से क्या किया ? जिस माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया, यदि वे साल भर बम्बई न जाकर अभी-अभी गये हों, तो मैं क्या कर सकता हूं ? यदि किसी ने अभी हाल में उन्हें बताया हो तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि वस्त्र आयुक्त से परामर्श नहीं लिया गया था । इन सभी विषयों में यदि उन्हें ठीक-ठीक जानकारी हो तो वे एक वक्तव्य दे सकते हैं । वस्त्र आयुक्त मंत्रालय के एक कर्मचारी हैं; वह मेरे सहयोगी से नहीं कह सकते कि वह परामर्श लें । कभी-कभी हम उनसे परामर्श लेते भी हैं । किन्तु किसी भी कार्यवाही के लिये अन्त में मंत्री उतरदायी होते हैं वह यह नहीं कहने जा रहे हैं कि उनके एक पदाधिकारी ने उन्हें गलत या सही परामर्श दिया । इस विषय में, प्रश्न वस्त्र आयुक्त के परामर्श का नहीं है बल्कि वायदा बाजार आयोग और देश की सामान्य अर्थ-व्यवस्था का है । मैं फिर कहता हूं कि इन मामलों में हमने जहां भी हस्तक्षेप किया, हमने ठीक ही हस्तक्षेप किया । हमने न्याय करने के लिये हस्तक्षेप किया । मैं समझता हूं कि कपास बाजार का कोई भी निष्पक्ष इतिहास लेखक यह कहेगा कि नवम्बर, १९५५ और जनवरी, १९५६ के बीच की गयी कार्यवाही देश के हित में थी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

———

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६]

विषय **पृष्ठ**

उपमंत्री द्वारा वक्तव्य १३०७–०९

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) ने १८ दिसम्बर, १९५६ को श्री कामत द्वारा अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में लगाये गये घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में स्थिति को बताते हुए एक वक्तव्य दिया ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५४–५५ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५६—भाग २ की एक प्रति ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ अग्रेतर संशोधन करने वाली दिनांक २७ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १८—सी०ई०आर०/५६ की एक प्रति ।

(३) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चौदहवें सत्र में हुई बैठकों (बीसवीं और इक्कीसवीं) की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति ।

(४) श्री आर० गोविन्दन, सदस्य जिला बोर्ड कुलीटकई के अरियालूर रेल दुर्घटना के बारे में दिये गये कथित भाषण का एक उद्धरण ।

(५) दक्षिण भारत में अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में तिरुचिरपल्ली में ७-१२-५६ को हुई सब दलों की सभा के बारे में एक पुस्तिका ।

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

सचिव ने राज्य-सभा से निम्न सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी :

(१) कि राज्य-सभा अपनी १७ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २३ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा १२ दिसम्बर, १९५६ को पारित किये गये निम्न दो विधेयकों के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है :

(१) वित्त (संख्या २) विधेयक, और

(२) वित्त (संख्या ३) विधेयक ।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	१३१०
सड़सठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।	
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	१३१०
अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।	
अनुपस्थिति की अनुमति	१३१०–११
सात सदस्यों को लोक-सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	१३१२–१३
सूचना तथा प्रसारण मंत्री डा० केसकर ने राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
पारित विधेयक ...	१३१३–२८, १३३०–५३
निम्न विधेयकों पर विचार किया गया और वे पारित हुए :	
(१) विनियोग (संख्या ५) विधेयक	
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक	
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक	
(४) केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	
(५) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक	
विचाराधीन विधेयक	१३२८–३०
राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) ने प्रस्ताव किया कि संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	१३५३
सैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।	
भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य के बारे में चर्चा	१३५३–६०
श्री कामत ने भारतीय रुई के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बारे में चर्चा उठाई । वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।	
गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६ की कार्यावलि	
संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और प्रादेशिक परिषद् विधेयक पर विचार और उन्हें पारित करना । बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक और कोयला खानों में सुरक्षा के सम्बन्ध में उच्च शक्ति आयोग की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव पर विचार ।	

M56LSD—190—S1—23-4-58—GIPF.